

# वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक संख्या 17



भारतीय रिज़र्व बैंक  
जून 2018

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट <http://www.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट के फीडबैक [fsu@rbi.org.in](mailto:fsu@rbi.org.in) को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, 352/54, गिरगाँव रोड, मुरलीधर कम्पाउंड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400002 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

## आमुख

लेहमेन ब्रदर्स के पतन के एक दशक बीतने की पूर्व संध्या पर आज जहां पर विश्व है, वहां विलियम फाकनर के ये शब्द अनागत की घोषणा जैसे लगते हैं कि 'विगत कभी भी मरता नहीं। यह तो विगत भी नहीं है।' यद्यपि विश्व-अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में वित्तीय अस्थिरता के स्पंदन अभी भी सुनाई देते हैं, तथापि काफी प्रगति हो चुकी है। आज जो विश्व हम देख रहे हैं वह कम लीवरेज वाला है, बैंकिंग क्षेत्र अधिक पूंजीकृत हुआ है और विनियामक अवसंरचना अधिक प्रखर हो गई है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सहमति - खासकर व्यापारिक मोर्चे पर - भारग्रस्त प्रतीत हो रही हैं। इसी के समांतर बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंक अपने अतिविशिष्ट मौद्रिक हस्तक्षेप के बारे में अब सामान्य स्थिति में आ रहे हैं या फिर सामान्य होने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के निहितार्थों को भी लिया गया है।

स्वदेशी स्तर पर देखें तो अर्थव्यवस्था में मजबूती आती प्रतीत हो रही है यद्यपि वैश्विक पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह में अशान्ति हमारी तेजी से विकासमान अर्थव्यवस्था को निरंतर याद दिलाते रहते हैं कि इस थोड़े बहुत आत्मसंतोष की गुंजाइश बहुत कम ही है। बैंकिंग क्षेत्र की कुछ संरचनागत कमजोरियां विरासत के तौर पर मिली इन्हे अब साहसी तरीके से निपटाया जा रहा है। दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए 12 फरवरी को जारी संशोधित फ्रेमवर्क से क्रेडिट जोखिम को जल्द ही पकड़ने और इसके समाधान में मदद मिलनी चाहिए। विरासत में मिली दबावग्रस्त आस्तियों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने में दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 एक लिंचपिन के रूप में सामने आ रही है। मध्यम अवधि में विनिधानित दक्षता और वित्तीय स्थायित्व के लिए इन गतिविधियां शुभ संकेत हैं भले ही इस प्रक्रिया में अल्पावधि में कुछ पीड़ा हो सकती है।

परिचालनगत जोखिम संबंधी घटनाओं के बाद वित्तीय क्षेत्र में चल रहे मंथन, और अधिक अवनति से बचाव के लिए कम पूंजी वाले बैंकों के संबंध में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करे फिर से सेहतमंद बनाने के लिए क्रमिक रूप से उनका पोषण, और बैंक-गत वित्त से गैर-बैंक वित्त व्यवस्था के लिए मध्यस्थ रहित व्यवस्था करना परिस्थितियों को देखते हुए अपरिहार्य हैं, लेकिन इनकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की जरूरत है। ऐसे मुकाम पर सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अवरोधित बैंकों के लिए फिर से पूंजी जुटाने के लिए सरकार के सुप्रकट कार्यक्रम से वित्तीय क्षेत्र में समग्र रूप से प्रबलता मिलेगी; हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधारों और बाजार से पूंजी जुटाने के काम को बैंकसीट मिल गई है।

इनमें से कुछ प्रमुख गतिविधियों और संपृक्त जोखिमों को इस रिपोर्ट में लेखबद्ध किया गया है। वैश्विक और स्वदेशी समष्टिआर्थिक आकलन से शुरू होकर यह रिपोर्ट दबाव परीक्षण के लेन्सों और संक्रामकता के विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की सेहत का परीक्षण करने की तरफ बढ़ती है, जिसमें - यद्यपि परिकलन या भविष्यवाणी नहीं है - वित्तीय प्रणाली की स्थिति को प्रतिकूल लेकिन तर्कसंगत परिदृश्य को सामने लाया गया है। उचित उपाय करने के लिए वित्तीय स्थायित्व का ऐसा आकलन महत्वपूर्ण है ताकि बैंकिंग क्षेत्र में कठिन दशक में हमारा वित्तीय क्षेत्र अधिक आघात सहन करने वाले वित्तीय क्षेत्र के रूप में सामने आए; इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, 'मेरा सूरज ढलता है अब, कल फिर से उगने को।'

**डॉ. विरल वी. आचार्य**

उप गवर्नर

26 जून 2018



## विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आमुख	
चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची	i-iii
विहगावलोकन	1
<b>अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम</b>	<b>3-18</b>
वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रपाती जोखिम	3
घरेलू समष्टि-वित्तीय गतिविधियां	11
<b>अध्याय II : वित्तीय संस्थाएँ : सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति</b>	<b>19-48</b>
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	19
कार्यनिष्पादन	19
जोखिम	24
समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण	25
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	39
कार्यनिष्पादन	39
समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण	39
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	39
कार्यनिष्पादन	39
समुत्थानशक्ति- दबाव परीक्षण	40
अंतरसंबद्धता	41
<b>अध्याय III: वित्तीय क्षेत्र : विनियमन और गतिविधियां</b>	<b>49-78</b>
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू गतिविधियां	49
अन्य गतिविधियां, बाज़ार प्रथाएं और पर्यवेक्षी चिंताएं	70
<b>अनुबंध 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण</b>	<b>79</b>
<b>अनुबंध 2: कार्यप्रणालियां</b>	<b>83</b>

**बैंकों की सूची**

1.1:	गैर-अमेरिकी उधारकर्ताओं के लिए अमेरिकी डॉलर की नकदी	5
2.1:	बैंकों पर दबाव के परीक्षण का उद्देश्य	26
2.2:	पीएसए पीएसबी की तुलना में गैर-पीसीए पीएसबी : तुलनात्मक विश्लेषण	28
3.1:	एनपीए की शिनाख्त और आकलन : विभिन्न देशों की तुलना	50
3.2:	ऋण देने के निर्णयों में समस्याएं	52
3.3:	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विरासत में मिली आस्तियों का चयन और साधित क्रेडिट जोखिम - पीसीए के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बेंचमार्क पीएसबी की तुलना	55
3.4:	को-लोकेशन और एल्गो व्यापार के लिए दिशानिर्देश	73
3.5:	यूरोपियन संघ - डेटा संरक्षण	76

**चार्ट की सूची**

1.1	जे पी मॉर्गन ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग पीएमआई	3
1.2	ओईसीडी कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स	3
1.3	ब्लूमबर्ग वित्तीय स्थिति सूचकांक	4
1.4	अमरीकी स्थिर आय आपूर्ति	4
1.5	यूरो क्षेत्र आस्तियों का निवल अभिग्रहण (कर्ज और इक्विटी)	4
1.6	लिबोर-ओआईएस स्प्रेड	7
1.7	व्यापार की तीव्रता और चीन का व्यापार संतुलन	7
1.8	निर्यात की दिशा (फ्री आन बोर्ड)	8
1.9	ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक	8
1.10	अमरीकी उच्च अर्जन बांड सूचकांक और अस्थिरता सूचकांक	9
1.11	अमरीकी कारपोरेट्स का लीवरेज	9
1.12	निवेश जोखिम सहनीयता और अमरीकी ट्रेजरी में ईएम निवेश ग्रेड स्प्रेड	9
1.13	जीबीआई: ईएम ग्लोबल एशिया और डालर इंडेक्स के बीच कोरिलेशन	10
1.14	अमरीकी डालर इंडेक्स की अपेक्षा ईएम करेंसी निष्पादन	10
1.15	जीडीपी संवृद्धि, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी-निरूपण	11
1.16	क्षमता उपभोग	11
1.17	केन्द्र सरकार के राजकोषीय संकेतक	12
1.18	चालू खाता और मर्चेन्डाइस व्यापार घाटा	12
1.19	आयातों की प्रोफाइल	12
1.20	भारतीय इक्विटी का सापेक्षित मूल्यांकन	13
1.21	एफपीआई प्रवाह	13
1.22	एफपीआई प्रवाह - उभरते बाज़ार	13
1.23	भारत विक्स और 10 वर्षीय ऑफ-दि-रन ऑन-दि-रन लाभांतर	14

1.24	क्रेडिट संवृद्धि बैंक समूह-अनुसार	15
1.25	एमएफ द्वारा मध्यस्थन	15
1.26	पीएसबी : डिपॉजिट और क्रेडिट शेयर (निजी क्षेत्र के बैंकों के सापेक्ष)	15
1.27	अवधि वक्र का अभिनव उदविकास	16
1.28	दबावग्रस्त बाजारों में कीमत समायोजन	16
1.29	सरकारी प्रतिभूति बाजार में म्यूचुअल फंडों का प्रो-साइक्लिक व्यवहार	17
1.30	मूल्यांतर उत्पादों में निवेश और जी-सेक/टी-बिल/सीबीएलओ	17
1.31	परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए बैंक-लाइन बनाम जी-सेक और टी-बिलों में एएमसी आबंटन	17
1.32	एएमसी के लिए बैंक लाइन और 10 वर्षीय जी-सेक अर्जन	17
1.33	एएमसी के लिए बैंक लाइनों में बैंक समूहों का हिस्सा	18
1.34	आवास कीमत सूचकांक	18
2.1	निष्पादन के चुनिंदा संकेतक	20
2.2	परिसंपत्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक	22
2.3	बड़े उधारकर्ताओं के बारे में परिसंपत्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक	23
2.4	बैंकिंग स्थिरता संकेतक	24
2.5	बैंकिंग स्थिरता खाका	24
2.6	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार लाभप्रदता	24
2.7	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निम्नतर चतुर्थक की लाभप्रदता (आरओए प्रतिशत में)	25
2.8	समष्टि आर्थिक परिदृश्य की मान्यताएं	25
2.9	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जीएनपीए अनुपात का परिकलन	27
2.10	सीआरएआर - परिकलन	27
2.11	सीईटी 1 पूंजी अनुपात के परिकलन	28
2.12	क्रेडिट जोखिम - आघात और प्रभाव	31
2.13	बैंकों के सीआरएआर का वितरण	32
2.14	सीआरएआर में बदलाव का दायरा	32
2.15	क्रेडिट संक्रेन्दण जोखिम : व्यक्तिगत उधारकर्ता - दबावग्रस्त अग्रिम	33
2.16	क्रेडिट संक्रेन्दण जोखिम : व्यक्तिगत उधारकर्ता - एक्सपोजर	33
2.17	क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम- प्रणाली के जीएनपीए अनुपात पर प्रभाव	34
2.18	इक्विटी कीमत जोखिम	35
2.19	चलनिधि जोखिम - एचक्यूएलए के प्रयोग से आघात और प्रभाव	36
2.20	बाटम-अप दबाव परीक्षण - ऋण एवं बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव	37
2.21	बाटम-अप दबाव परीक्षण - चलनिधि जोखिम	37
2.22	कुल डेरिवेटिव का एमटीएम मूल्य - चुनिंदा बैंक - मार्च 2018	38
2.23	चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव संविभाग पर आघात का प्रभाव-दबाव परीक्षण	38

2.24	अंतर बैंक बाजार	41
2.25	अंतर बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों की हिस्सेदारी	41
2.26	निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की संरचना	42
2.27	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (एससीबी + एसयूसीबी) मार्च 2018	42
2.28	बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) की संबद्धता सांख्यिकी	43
2.29	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट - मार्च 2018	43
2.30	संस्थाओं द्वारा दिए गए निवल ऋण (धनात्मक)/ लिए गए उधार (ऋणात्मक)	44
2.31	एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्य राशियां - मार्च 2018	45
2.32	बीमा कंपनियों की सकल प्राप्य राशियां - मार्च 2018	45
2.33	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल देयताएं - मार्च 2018	46
2.34	आवास वित्त कंपनियों की सकल देयताएं - मार्च 2018	46
2.35	प्रतिनिधिक संचरणशील रूपरेखा - बैंक की विफलता का प्रभाव	47
2.36	समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद संक्रामक प्रभाव (ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता)	48
3.1	बैंकिंग क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी	58
3.2	रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का सापेक्षिक हिस्सा	59
3.3	राष्ट्रीय पेंशन योजना - विवरण	61
3.4	कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान लेनदेन	62
3.5	कॉरपोरेट शोधन-अक्षमता समाधान प्रक्रिया की शुरुआत	62
3.6	परिसमापन वाले कॉरपोरेट देनदारों का विवरण	62
3.7	म्यूचुअल फंडों में प्रवृत्तियां	71
3.8	इक्विटी व्युत्पन्नी कारोबार में इक्विटी नकदी का अनुपात	72
3.9	प्राथमिक बाजार से जुटाई गई पूंजी	72
3.10	भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पण्य सूचकांकों में उतार-चढ़ाव	74
3.11	अखिल भारतीय कमोडिटी फ्यूचर टर्नओवर में उत्पादन क्षेत्र के अनुसार हिस्सेदारी (अक्तूबर 2017-मार्च 2018)	74

### सारणियों की सूची

2.1	ऋण संकेंद्रण जोखिम : समूह उधारकर्ता - एकसपोजर	34
2.2	ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात और प्रभाव	35
2.3	एनबीएफसी क्षेत्र का सकल तुलनपत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	40
2.4	एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिंदा अनुपात	40
2.5	एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिंदा अनुपात	40
2.6	अंतर-क्षेत्र आस्तियां और देयताएं - मार्च 2018	44
2.7	सर्वाधिक संक्रामक प्रभाव वाले शीर्ष 5 बैंक - मार्च 2018	47
3.1	महत्वपूर्ण विनियामकीय पहल (नवंबर 2017-मई 2018)	63



## चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	सीपीआई- आईडब्ल्यू	उपभोक्ता कीमत सूचकांक - औद्योगिक कामगार
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीपीएमआई	भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि	सीआरएआर	जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनी	सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक क्रेडिट	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	डी-एसआईबीएस	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक
बीसी	कारोबारी प्रतिनिधि	ईबीपीटी	लाभ और टैक्स पूर्व आय
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
बीआईएस	बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट	ईसीएल	प्रत्याशित क्रेडिट हानि
बीओजे	बैंक ऑफ जापान	ईएमडीई	उदीयमान बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	ईटीसीडी	विनिमय व्यापार मुद्रा डेरिवेटिव
सीएबी	चालू खाता शेष	ईयू	यूरोपियन यूनियन
सीबीओ	यूएस कॉन्ग्रेसनल बजट ऑफिस	एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात आयात बैंक
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एएफएटीसीए	विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम
सीसीपी	सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी	एफबीआईएल	फाइनेन्शियल बेन्चमार्क इंडिया प्राइवेट लि.
सीसीवाई	क्रॉस करेन्सी	एफबी	विदेशी बैंक
सीईओबीई	तुलनपत्र-इतर एक्सपोजर की क्रेडिट तुल्य रकम	एफडीआईसीआईए	दि फेडरल डिपॉजिट इन्श्यूरेंस कार्पोरेशन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट
सीईआरटी-फिन	वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर आपातकालीन सहायता दल	एफईडी	फेडरल रिजर्व
सीईआरटी-इन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन सहायता दल	एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियों निवेश
सीईटी1	कॉमन इक्विटी टियर 1	एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
सीआईआरपी	कॉरपोरेट शोधन संकल्प प्रक्रिया	एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
सीओसी	क्रेडिटर्स समिति	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
सीडी	जमा प्रमाणपत्र		
सीपी	वाणिज्यिक पत्र		

एफएसआई	वित्तीय स्थायित्व संस्थान	आईपीओ	आरंभिक लोक प्रस्ताव
जीएएपी	आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण
जीबीआई	वैश्वित बॉन्ड सूचकांक	आईयू	सूचना उपयोगिता
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद	एलएसी	लैटिन अमेरिका और कैरीबियन
जीडीपीआर	सामान्य डेटा संरक्षण विनियम	एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट	एलईएस	चलनिधि संवर्धन स्कीम
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा	एलआर	लीवरेज अनुपात
जीएफएसआर	वैश्वित वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट	एम/सी	बहुआयामी बैंकिंग / कन्सोर्टियम
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां	एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
जी-एसआईबी	वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक	एमडीआर	मर्चेन्ट डिस्काउंट दर
जीवीए	योजित मूल्य वृद्धि	माइबोर	मुम्बई अंतर-बैंक ऑफर दर
एचएफसी	हाउसिंग फायनेंस कंपनी	एमआईएफआईडी	वित्तीय लिखतों के बाजारों संबंधी निदेश
एचपीआई	आवास कीमत सूचकांक	एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां	एमटीएम	बाज़ार अंकित
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	नाबाई	राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक
आईएसएस39	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक 39	एनबीएफसी-डी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार न करनेवाली - गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां - प्रणालीगत महत्वपूर्ण
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण
आईसीआर	ब्याज कवरेज अनुपात	एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
आईएफआर	निवेश विचलन रिज़र्व	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईएफआरएस9	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 9	एनआईआई	निवल ब्याज आय
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र	एनएनपीए	निवल अनर्जक अग्रिम
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनएनपीए	निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां
आईएनडीएस	भारतीय लेखांकन मानक	एनपीएल	गैर-निष्पादक ऋण
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम

एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य	आरआईआई	खुदरा व्यक्तिगत निवेशक
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
ओएफआई	अन्य वित्तीय मध्यस्थ	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
ओआईएस	ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप	एसडी	मानक विचलन
ओओआई	अन्य परिचालनगत आय	सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
ओआरएसए	स्वयं का जोखिम और ऋण शोधनक्षमता आकलन	एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
ओटीसी	काउंटर पर	सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पीबीडीआईटी	मूल्यहास, ब्याज और टैक्स से पूर्व लाभ	एसएलबी	प्रतिभूतियों का ऋण देना और उधार लेना
पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वयन समिति
पीएफ	पेंशन निधि	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	एसएमए	विशिष्ट उल्लिखित खाते
पीएमआई	क्रय प्रबंधकों का सूचकांक	एसओएमए	सिस्टम ओपन बाजार खाता
पीओएल	पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेन्ट	एसएसएम	एकल पर्यवेक्षी व्यवस्था
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसएसटी	पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
क्यूई	मात्रात्मक सहजता	वीसी	आभासी मुद्राएं



## विहंगावलोकन

### समष्टि-वित्तीय जोखिम

#### विश्व अर्थव्यवस्था और बाजार

वर्ष 2018 के दौरान विश्व में समृद्धि का परिदृश्य हाल की थोड़ी सी मंदी के बावजूद सकारात्मक बना रहा है। हालांकि उन्नत वित्तीय बाजारों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का उभरते बाजार पर प्रभाव बढ़ गया है। विकसित बाजारों में चलनिधि की कठोर स्थिति तथा साथ ही अमरीका की विस्तारकारी राजकोषीय नीति एवं अमेरिकी डॉलर के मजबूत होते जाने से उभरते बाजार की करेंसियों, बांडों तथा पूंजी के प्रवाहों पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर होने, बढ़ती हुई भू-राजनैतिक घटनाओं तथा बढ़ते हुए संरक्षणवाद की भावनाओं ने जोखिमों को और भी बढ़ा दिया है।

#### घरेलू अर्थव्यवस्था और बाजार

घरेलू स्तर पर जहां आर्थिक संवृद्धि स्थिर हो गई है, वहीं वे स्थितियां जिससे पिछले कुछ वर्षों से राजकोषीय समेकन सहज होने लगा था, मुद्रास्फीति मंद पड़ने लगी थी तथा चालू खाते में घाटा कम होने लगा था, अब बदलने लगी हैं जिनके प्रति सावधान रहना जरूरी हो गया है। घरेलू वित्तीय बाजार में संरचनागत परिवर्तन ने क्रेडिट मध्यस्थता के स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया है तथा बाजार में ब्याज दरों को प्रभावित कर रहा है। इन घटनाओं ने घरेलू समष्टि-आर्थिक मोर्चे पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पेश कर दी है ताकि वित्तीय स्थिरता को बहाल रखा जा सके।

#### वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और समुत्थानशीलता

बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बने रहना अभी भी जारी है क्योंकि सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) का अनुपात और भी बढ़ गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लाभ घट गया है, जिसका आंशिक कारण यह है कि बैंकों ने बढ़ा कर प्रावधानीकरण किया है। जहां इसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रेगुलेटरी पूंजी अनुपात पर दबाव को बढ़ा दिया है वहीं प्रावधानीकरण-कवरेज अनुपात भी बढ़ गया है। वर्ष 2017-2018 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियों की वृद्धि में धीमापन रहने के बावजूद क्रेडिट की वृद्धि में तेजी बनी रही थी।

मैक्रो-दबाव परीक्षण से पता चलता है कि वर्तमान माइक्रो इकॉनॉमिक संभावनाओं के बेसलाइन परिदृश्य के

अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.6% से बढ़कर मार्च 2019 तक 12.2% तक बढ़ सकता है। इसी अवधि के दौरान प्रणाली स्तर पर जोखिम-भारित आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) का स्तर 13.5 प्रतिशत से घटकर 12.8 प्रतिशत हो सकता है।

त्वरित सुधारात्मक कार्यवाई संरचना (पीसीए पीएसबी) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दबाव परीक्षण से पता चलता है उनके जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के 21.0 प्रतिशत से और भी खराब हो सकते हैं जो मार्च 2019 तक 22.3% हो जाएंगे, साथ ही 6 पीसीए पीएसबी में पूंजी की कमी पड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि, सरकार द्वारा घोषित पूंजी बढ़ाने की योजना की पूंजी की अत्यधिक कमी को दूर करती रहेगी, साथ ही स्वस्थ बैंकों में क्रेडिट में वृद्धि के प्रति यह उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेगी। इसी के समानांतर, पीसीए संरचना कमजोर बैंकों पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करेगी जो बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। एक प्रकार से देखें तो इस समय पीसीए संरचना का पूरा जोर पूंजी के और अधिक क्षरण को रोकना है, बल्कि खास तौर से उनमें समुत्थानशीलता की हालत तक मजबूत कर देना है ताकि वे अपना सामान्य कार्य शीघ्र प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा, यदि यह कार्यवाई तत्परता एवं अच्छी तरह से कर ली गई तो गवर्नेंस संबंधी सुधार से न केवल बैंकिंग क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन बेहतर होता जाएगा बल्कि यह परिचालनगत जोखिमों को भी कम करने में मददगार साबित होगा।

नेटवर्क का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जहां अंतर बैंक बाजार के आकार में कमी आई है वहीं साथ ही अंतर-संबद्धता के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है। बैंकिंग नेटवर्क के ट्रांजिशन विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यदि किसी बैंक की अधिकतम क्षमता संक्रामकता(ट्रांजिशन) नुकसान को रोक नहीं पाती है तो उससे बैंकिंग प्रणाली की टियर-1 पूंजी को लगभग 9.0% की शोधन क्षमता का नुकसान उठाना पड़ेगा।

#### वित्तीय क्षेत्र विनियमन और उसमें हुई प्रगति

विश्व के रेगुलेटर्स ने संकट के बाद सुधार संबंधी पैकेज को अपनाते हुए रेगुलेटरी इको-सिस्टम को अंतिम रूप दे दिया है। घरेलू मोर्चे पर रेगुलेटरी रुख यह रहा है

कि परंपरा से चली आ रही निष्क्रियता का अतिसक्रियता के साथ सफाया किया जाए तथा दिवाला और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी कारपोरेट समाधान प्रणाली से दिवालियापन का बाजार-आधारित समयबद्ध समाधान निकाला जा रहा है। परिचालनगत जोखिम के कम होने से एक अत्यधिक अग्रसक्रिय तरीका प्रणाली में निहित परिचालनगत जोखिम को दूर कर रहा है, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, साथ ही प्रभावित होने वाले बैंकों में नपे-तुले अंदाज़ में इसमें मदद मिलेगी। रिज़र्व बैंक ने एक ऐसी संरचना लागू की है जो उद्देश्यपरक, सतत एवं निष्पक्ष तरीके से प्रवर्तनकारी कार्रवाई करेगी तथा उल्लंघन के बड़े मामलों में प्रवर्तनकारी कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी गई है।

म्यूचुअल फंड में वित्तीय बचत करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। सेबी ने पण्य डेरीवेटिव संविदा में चलनिधि विस्तार योजना(एलईएस) की अनुमति दे दी है। बीमा क्षेत्र में हाल में की गई रेगुलेटरी पहल का लक्ष्य निवेशकों के आधार को बढ़ाना है। पेंशन क्षेत्र में की गई पहल का उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त परामर्शदाता के रूप में

नियुक्ति की आवश्यकताओं को युक्तिपरक बनाया जाए तथा पेंशन निवेशकों से प्राप्त होने वाले आंशिक आहरण के अनुरोध को आसान बनाया जाए। साइबर जोखिम के बढ़ते साये, वित्तीय मध्यस्थता के लिए फिनटेक तथा डाटा एनालिटिक्स जैसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने से रेगुलेटरी एवं पर्यवेक्षी चुनौतियों के प्रति नये मोर्चे पैदा हो गए हैं।

### प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन

भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है। हाल में की गई नीतिगत पहल से वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटरी एवं संस्थागत ढांचे में तब्दीली आई है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार सर्वेक्षण के सहयोगियों ने अगले 6 महीने की अवधि में विश्व के जोखिम, घरेलू स्तर पर मैक्रो-इकॉनॉमिक जोखिम, संस्थागत तथा बाजारगत जोखिमों के संयत रहने की संभावना व्यक्त की है। संस्थागत जोखिमों में बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता में कमी आना, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम तथा साइबर जोखिम लगातार उच्च जोखिम के रूप में बने रहेंगे।

## अध्याय I समष्टि वित्तीय जोखिम


वर्ष 2018 के दौरान विश्व में समृद्धि का परिदृश्य हाल की थोड़ी सी मंदी के बावजूद सकारात्मक बना रहा है। हालांकि उन्नत वित्तीय बाजारों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का उभरते बाजार पर प्रभाव बढ़ गया है। विकसित बाजारों में चलनिधि की कठोर स्थिति तथा साथ ही अमेरिका की विस्तारकारी राजकोषीय नीति एवं अमेरिकी डॉलर के मजबूत होते जाने से उभरते बाजार की करेंसियों, बांडों तथा पूंजी के प्रवाहों पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ने, बढ़ती हुई भू-राजनैतिक घटनाओं तथा बढ़ते हुए संरक्षणवाद की भावनाओं ने जोखिमों को और भी बढ़ा दिया है। घरेलू स्तर पर जहां आर्थिक संवृद्धि स्थिर सी हो गई है, वहीं वे स्थितियां जिससे पिछले कुछ वर्षों से राजकोषीय समेकन सहज होने लगा था, मुद्रास्फीति मंद पड़ने लगी थी तथा चालू खाते में घाटा कम होने लगा था, अब बदलने लगी हैं जिनके प्रति सावधान रहना जरूरी हो गया है। घरेलू वित्तीय बाजार में संरचनागत परिवर्तन ने क्रेडिट मध्यस्थता के स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया है तथा बाजार में ब्याज दरों को प्रभावित कर रहा है। इन घटनाओं ने घरेलू समष्टि-आर्थिक मोर्चे पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पेश कर दी है ताकि वित्तीय स्थिरता को बहाल रखा जा सके।

### वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रपाती जोखिम

1.1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का यह अनुमान है कि वर्ष 2018 के दौरान विश्व में आर्थिक संवृद्धि तेज रहेगी। संवृद्धि बड़े पैमाने पर होगी जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई) अपनी क्षमता से कहीं अधिक विकास करेंगी तथा उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) में भी समृद्धि उच्च रहेगी। ताजा संकेतक जैसे-क्रेता प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स ने आर्थिक संवृद्धि के निहित संचालकों में थोड़ा


धीमापन आने का संकेत दिया है (चार्ट 1.1 और 1.2) लेकिन, संतुलन रूप में देखें तो विश्व की आर्थिक समृद्धि का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। इसके फलस्वरूप उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति कठोर बन गई है (चार्ट 1.3)। अमेरिका के मजबूत डॉलर ने उभरते बाजार की करेंसियों को खड़खड़ा दिया है। वहीं पर कच्चे तेल की कीमतें, आंशिक रूप से भू-राजनैतिक जोखिमों की वजह से स्थिर हो गई हैं। अतः इस समय विश्व की जो समष्टि- वित्तीय स्थिति है, उसके साथ भू-राजनैतिक अनिश्चितता से जोखिमों के काफी हद तक ईडीएमडी तक फैल जाने की संभावना है।

चार्ट 1.1: जे पी मॉर्गन ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग पीएमआई (डिफ्यूजन इंडेक्स, मौसमी रूप से समायोजित, 50 से ऊपर = विस्तार)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.2: ओईसीडी कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स



स्रोत: यूरो स्टैट

1.2 फैलकर पड़ने वाले जोखिम निम्नलिखित चार संबंधित घटनाओं से पैदा हो सकते हैं:


- i. सुरक्षित आस्तियों की आपूर्ति
- ii. संरक्षणवादी व्यापार नीतियां
- iii. पण्य बाजार का व्यवहार तथा
- iv. पूंजी प्रवाह की दिशा

### i. सुरक्षित आस्तियों की आपूर्ति

1.3 अमरीकी कांग्रेस बजट कार्यालय (सीबीओ) के अनुसार अमेरिका में कारपोरेट कर दर में घोषित हाल की कटौती से उम्मीद की जाती है कि वह पिछले 10 वर्षों की तुलना में अमेरिका के बजट घाटे में 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर और जोड़ देगा (चाट 1.4)। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) का तुलन पत्र भी छोटा हो जाएगा जो निकट के समय में बाजार में महत्वपूर्ण जोखिम का कारण बन सकता है। जहां बेसलाइन सीबीओ के अनुमान को देखें तो अमेरिका की सकल स्थिर आय आपूर्ति (निवेश ग्रेड के परिपक्वता बांड को छोड़कर) वर्ष 2019 तक 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी, वहीं यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह उससे कहीं अधिक वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में 1.5 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी (निवेश ग्रेड परिपक्वता बांडों सहित)। इस निर्गम की वास्तविक राशि चाहे जो भी हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) तथा बैंक ऑफ जापान (बीओजे) की मात्रात्मक सहजता (क्यूई) संबंधी गतिविधियों ने काफी हद तक अमरीकी डॉलर को जोखिम-मुक्त ब्याज दरों पर तथा कारपोरेट स्प्रेड को अब तक न्यूजन बनाए रखा था, हालांकि ईसीबी द्वारा दिसंबर 2018 तक उसकी मात्रात्मक सहजता (क्यूई) को हटा लेने के इरादे से यह उम्मीद की जाती है कि उससे विश्व के चलनिदी-पूल पर काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यूरोपियन आस्ति प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2010 से लेकर काफी मात्रा में अमरीकी डॉलर आस्तियों का अभिग्रहण किया जाता रहा है (चाट 1.5)। विश्व की मौद्रिक नीति धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाने से अमरीकी डालर सुरक्षित आस्ति की आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि और साथ ही सभी उच्च यील्ड एवं निवेश ग्रेड में अमरीकी स्थित आयगत तीव्र निर्गमों से इस बात का जोखिम है कि वह ट्रेजरी दरों को अधिक बढ़ाने की ओर धकेलेगा तथा कारपोरेट स्प्रेड को बढ़ा देगा, जबकि अमरीकी डॉलर की स्थिति की संभावना को अनिश्चित कर देगा।


1.4 इन सरोकारों को देखते हुए गैर-अमरीकी उधारकर्ताओं की अमरीकी डॉलर में चलनिधि के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाल की विश्व

चाट 1.3: ब्लूमबर्ग वित्तीय स्थिति सूचकांक




स्रोत: ब्लूमबर्ग

चाट 1.4: अमरीकी स्थिर आय आपूर्ति



स्रोत: फेडरल रिजर्व, न्यूयार्क, कांग्रेसनल बजट कार्यालय और ब्लूमबर्ग

चाट 1.5: यूरो क्षेत्र आस्तियों का निवल अभिग्रहण (कर्ज और इक्विटी)



स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)




वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट(जीएफएसआर) में गैर-अमेरिकी बिचौलियों के बीच अमरीकी डालर में चलनिधि के संबंध में उभरते हुए कुछ पहलुओं को रेखांकित किया गया है।

इनमें से कुछ मुद्दों को तथा बाज़ार के लिखतों के संबंध में उभरती हुई कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बाक्स 1.1 में चर्चा की गई है।


### बाँक्स 1.1: गैर-अमेरिकी उधारकर्ताओं के लिए अमेरिकी डॉलर की नकदी

ईसीबी और बैंक ऑफ जापान में मात्रात्मक सहजता (क्यूई) ने अमरीकी ब्याज दरों को जहां बनाए रखने एवं क्रेडिट स्प्रेड को कम रखने में काफी मदद की है वहीं वैश्विक वित्तीय स्थिरता की ताजा रिपोर्ट (जीएफएसआर) के अनुसार बैंकों के लिए अमेरिकी डॉलर में आस्तियों की मांग के अतिरिक्त चैनल रहे हैं जैसे- पण्य, ऊर्जा, व्यापार क्रेडिट और कारपोरेट उधारकर्ता (खास तौर से उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में)। गैर-अमरीकी गैर-वित्तीय संस्थाओं की अमेरिकी डॉलर देयताओं के प्रोफाइल से पता चलता है कि वर्ष 2017 की चौथी तिमाही में गैर-अमरीकी उधारकर्ताओं में लगभग एक तिहाई उभरते बाजारों से थे (चार्ट 1)





जीएफएसआर में यह बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर क्रेडिट में गैर-अमरीकी बैंकों की बढ़-चढ़कर भूमिका थी तथा रिपोर्ट यह संकेत देती है उनकी निर्भरता अल्पकालिक डॉलर या थोक डालर फंडिंग पर थी जिससे उनके अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर मूल्य के तुलनपत्र, संरचना के हिसाब से चलनिधि जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। जीएफएसआर के अनुसार, गैर-अमरीकी बैंकों के अमरीकी डॉलर चलनिधि अनुपात बेहतर हुए हैं क्योंकि विश्व के वित्तीय संकट (जीएफसी) को अमरीकी डॉलर की उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) द्वारा संचालित किया गया था। लेकिन, जीएफएसआर द्वारा यथापरिभाषित स्थिर फंडिंग अनुपात वर्ष 2017 के दौरान काफी हद तक अपरिवर्तित बना रहा।

क्रास-करेंसी (सीसीवाय) बेसिस स्वैप, फंडिंग मिक्स की हेजिंग का प्रमुख उपकरण बना रहा अथवा गैर-अमरीकी उधारकर्ताओं के लिए अमेरिकी डॉलर में फंडिंग का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहा। इस प्रकार से, इस प्रकार के स्वैप का आधार अमेरिकी डॉलर फंडिंग बाजार में अंतर्निहित दबाव का एक अच्छा संकेतक है, खासतौर से विश्व के वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद सुधार प्रक्रिया को लागू किए जाने के बाद से इस प्रकार के अधिकांश स्वैप को केंद्रीकृत रूप से क्लियर कर दिया जाता है और इस तरह आधार में होने वाला उतार-चढ़ाव का संबंधित बैंकों द्वारा क्रेडिट के प्रति टिके रहने से कोई संबंध नहीं है। क्रास-करेंसी बेसिस स्वैप (1- वर्ष की अवधि) अमरीकी डॉलर में देयता की अंतर्निहित



(जारी...)

<sup>1</sup> क्रास-करेंसी बेसिस स्वैप स्वयं एक ऐसा लिखित है जिसमें दो पक्षकार दो अलग-अलग करेंसियों में समान राशि का तथा ब्याज दर भुगतान का विनिमय करते हैं जो उनके संबंधित फ्लोटिंग दर सूचकांक से संबंधित होते हैं। अब तक निवेशकों के एक्सेस के संदर्भ में, मान लीजिए यूरो से अमरीकी डॉलर में चलनिधि के लिए, इसका तात्पर्य यह हुआ कि निवेशक दल द्वारा अमरीकी डॉलर उधार लेना और इस तरह अमेरिकी डॉलर लिबोर से जुड़ी ब्याज दरों का भुगतान करना जबकि उसकी तुलना में उन्हें यूरो लिबोर से ब्याज दरें प्राप्त करनी होती हैं। सीसीवाय (ऋणात्मक) बेसिस, का अर्थ है निवेशक द्वारा अमेरिकी डॉलर लिबोर में किए गए भुगतान की तुलना में यूरो लिबोर से होने वाली प्राप्तियों से भुगतान में कमी आना। यद्यपि, मौजूदा अमेरिकी डॉलर की कमी के संदर्भ में दो संस्थाओं की क्रेडिट-स्टैंडिंग में भिन्नता होने के कारण सीसीवाय बेसिस का मामला पैदा हो सकता है, सीसीवाय बेसिस अपतटीय अमेरिकी डॉलर चलनिधि हेतु मांग संबंधी एक माप है।



मांग की ओर संकेत करता है लेकिन अभी तक इसकी जो दिशा रही है वह इस बात की ओर इशारा करती है कि इस प्रकार की पोजीशन के रोलिंग-ओवर में दबाव की कमी है। वित्तीय संकट की स्थिति को देखते हुए अमेरिकी मुद्रा बाजार में किए गए सुधार ने आस्ति प्रबंधकों को इस योग्य बना दिया कि वे चलनिधि शुल्क लगाने के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में उनकी आस्तियों में 99.5% से कम की निधि धारिता के मोचन को वित्तीय संकट के दौरान रोक सकें। अक्टूबर 2016 से इन सुधारों के लागू हो जाने से प्राइम फंड राशि जनवरी 2016 के स्तर से लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर घट गई है, साथ ही उसी के अनुपात में सरकारी निधि बढ़ गई है, जबकि इस अवधि में कर-मुक्त निधि की राशि की स्थिति अधिकांशतः सपाट बनी रही है। वर्ष 2016 के अंत में ट्रेजरी निधि में हुए इस प्रकार के प्रवाह ने बेसिस को तो प्रभावित किया है (चार्ट 2), साथ ही इसका विदेशी वित्तीय फार्मों द्वारा कमर्शियल पेपर (सीपी) के निर्गमों तथा विदेशी बैंक पैरेंट्स सहित अमेरिकी घरेलू निर्गमकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ा है (चार्ट 4 एवं 4बी)। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर

2017 के आसपास अमेरिकी कराधान में सुधार प्रारंभ किए जाने से- जिसका अपतटीय अमेरिकी डालर चलनिधि पर साफ-साफ प्रभाव पड़ा था- ने काफी हद तक सीसीवाय बेसिस को अप्रभावित छोड़ दिया था तथा लिबोर ओआईएस (चार्ट 3) बेसिस को व्यापक बना दिया था। जो भी हो, विदेशी वित्तीय फार्मों के अमेरिकी डॉलर के सीपी निर्गम कार्यक्रम अब तक मजबूत बने रहे हैं (चार्ट 4ए) तथा वह भी विदेशी बैंक पैरेंट्स सहित अमेरिका के घरेलू निर्गमकर्ता के कार्यक्रम वर्ष के अंत में बहुत कम हो जाने की स्थिति से उबरने लगे हैं (चार्ट 4बी)। लेकिन, करेसी बाजार में चल रहे मंथन तथा गर्माहट भरे भू-राजनैतिक वातावरण को देखते हुए अमेरिकी डॉलर चलनिधि-पूल में उभरते बाजार की वित्तीय संस्थाओं की पहुंच चुनौतियों से भर जाएगी।

**संदर्भ:**

1. बीआईएस ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिकेटर्स (30 अप्रैल, 18, अद्यतन)
2. आईएमएफ (अप्रैल 2018), द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट

1.5 विश्व की मौद्रिक नीति में अमेरिकी फेड के अनुरूप सामान्यीकरण की स्थिति आगे का मार्ग तय कर रही है जो विश्व के मुद्रा बाजार की दरों में दिखाई दे रहा है। इसीबी द्वारा दिसंबर 2018 तक अपनी मात्रात्मक सहजता (क्यूई) को समेट लेने का निर्णय विश्व में उपलब्ध चलनिधि-पूल को प्रभावित कर सकता है। जून 2018 में दरों की नीलामी के बाद इस समय अमेरिकी फेडरल फंड फ्यूचर्स का मूल्य-निर्धारण 2-3 बार ब्याज दरों में वृद्धि करके किया जा रहा है। साथ ही साथ 3-मासिक अमेरिकी डॉलर-ओआईएस (ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप) जो सितंबर 2017 में 1.2 प्रतिशत पर था इस समय (13 जून 2018 को) 1.93% पर उद्धृत किया जा रहा है। गैर-ज़मानती अमेरिकी डॉलर अंतरबैंक निधीयन वक्र का फ्रंट-एंड भी अपने 2017 के वर्षांत स्तर की तुलना में समान अवधि की 'जोखिम-मुक्त' वक्र ओआईएस वक्र की अपेक्षाकृत ज्यादा फैल गई है(चार्ट 1.6)। आमतौर पर इस प्रकार के फैलाव (अंतर) का अर्थ यह होता है कि बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट-जोखिम बढ़ गया है किंतु क्रेडिट संबंधी किसी खास उत्प्रेरक के न होने की स्थिति में इस जोखिम की वजह अमेरिकी कारपोरेशन द्वारा विदेश से नकदी को वापस लाना हो सकती है क्योंकि फ्रंट-एंड पर निधीयन उपलब्ध करने वाला उनके पास सबसे बड़ा वित्तीय बाजार उनके हाथ से निकल रहा है। जहां इस फैलाव (अंतर) में हाल के समय में थोड़ा कम होने के संकेत दिखाई दिए हैं वहीं गैर-ज़मानती निधीयन वक्र की स्थिति में जो प्रगति हो रही है उसका प्रभाव उभरते बाजार (ईएम) के कारपोरेट्स पर अमेरिकी डॉलर की निधीयन लागतों के रूप में पड़ेगा।

## ii. संरक्षणवादी व्यापार नीतियां


1.6 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बहाली की प्रक्रिया निवेश द्वारा संचालित की जाती रही है जिससे दो साल तक हालत कमजोर बनी रहने के बाद 2017 में विश्व के व्यापार की वृद्धि वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन, अपनी नीतियों के भीतर झांकने वाली बहसों के बावजूद विश्व में व्यापार की वृद्धि<sup>2</sup> की तीव्रता 2017 में 1 के ऊपर थी (चार्ट 1.7ए)।

चार्ट 1.6: लिबोर-ओआईएस स्प्रेड



स्रोत: ब्लूमबर्ग


चार्ट 1.7: व्यापार की तीव्रता और चीन का व्यापार संतुलन



स्रोत: वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक और सीईआईसी डाटा कं. लिमि.

<sup>2</sup> जीडीपी संवृद्धि में व्यापार का अनुपात।

चार्ट 1.8: निर्यात की दिशा (फ्री आन बोर्ड)




स्रोत: व्यापार सांख्यिकी की दिशा, आईएमएफ

व्यापार के संबंध में आईएमएफ की सांख्यिकी की दिशा यह दर्शाती है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर निर्यात में जो जनवरी 2016 तक गिरावट हुई थी उसे नियंत्रित कर लिया गया है (चार्ट 1.8)। दूसरी ओर, अमेरिका के साथ व्यापार के संबंध में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए चीन ने मार्च में व्यापार घाटा दिखाया जो अब वापस ठीक हो गया है (चार्ट 1.7बी)। इसके अतिरिक्त, संरक्षणवाद की ज़बानीखर्च वास्तविकता में बदलते जाने से विश्व की समृद्धि को काफी खतरा पैदा हो सकता है।

### iii. पण्य बाजार का व्यवहार

1.7 हाल के महीनों में विश्व में जिस तरह से मांग बढ़ रही है और साथ ही आपूर्ति के संबंध में जो बाधाएं पैदा हो रही हैं जैसे वेनेजुएला और ईरान से घटती हुई आपूर्ति से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पण्य बाजार में वित्तीय प्रवाह की स्थिति देखें तो जहां ऊर्जा क्षेत्र के फ्यूचर्स को लगातार थोक हिसाब से संचयी प्रवाह प्राप्त हो रहे हैं, यहां तक कि इधर कुछ दिनों से कृषि संबंधी पण्यों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है हालांकि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कीमतों की बहाली अभी शांत नजर आ रही है। धातु क्षेत्र में देखें तो अमेरिका द्वारा कतिपय सी मध्यस्थताओं पर हाल में घोषित पाबंदी से लगता है कि एलुमिनियम की कीमतों पर अल्पकालिक रूप से कम रहने का दबाव बनेगा। खासतौर से तांबा और निकल को घटते मूल्यों की प्रवृत्ति उलट सी गई है, शायद इस वजह से कि हाल में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग से इनके लिए मांग पैदा हो रही है (चार्ट 1.9 ए और बी)।

चार्ट 1.9: ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक




स्रोत: ब्लूमबर्ग

iv. पूंजी प्रवाह की दिशा


1.8 विश्व के वित्तीय बाजार की अस्थिरता में इधर जो तेजी पैदा हुई है उसे देखते हुए जोखिमों से होने वाले नुकसान की दोबारा कीमतें आंकने ने जोखिमपूर्ण क्रेडिट को वास्तव में प्रभावित किया है (चार्ट 1.10)। लेकिन, अस्थिरता सूचकांक (VIX) में आंशिक वापसी होने के बावजूद उच्च अर्जन (एचवाय) क्षेत्र में जोखिम की कीमतों का पुनर्निर्धारण खासतौर से प्रासंगिक है, भले ही अमरीकी कारपोरेट तुलनपत्र के लीवरेज में सामान्यतया कमी हुई है (चार्ट 1.11)। इसके अलावा, ईएम निवेश ग्रेड क्रेडिट की भी पुनः रेटिंग हुई है (चार्ट 1.12)। इससे उभरते बाजार के कारपोरेट्स के लिए क्रेडिट के मूल्य-निर्धारण पर और उभरते बाजारों को होने वाले समग्र पूंजी प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।

चार्ट 1.10: अमरीकी उच्च अर्जन बांड सूचकांक और अस्थिरता सूचकांक




स्रोत: जे पी मार्गन<sup>3</sup> और ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.11: अमरीकी कारपोरेट्स का लीवरेज (कर्ज/इक्विटी)



स्रोत: फेडरल रिज़र्व इकानामिक डाटा (फ़ेड)


चार्ट 1.12: निवेश जोखिम सहनीयता और अमरीकी ट्रेजरी में ईएम निवेश ग्रेड स्प्रेड



स्रोत: जे पी मार्गन और ब्लूमबर्ग

<sup>3</sup> सूचना भरोसेमंद स्रोत से प्राप्त की गई है किंतु जेपी मार्गन उसकी पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता है सूचकांकों के इस्तेमाल के लिए अनुमति प्राप्त की गई है सूचकांकों को जेपी मार्गन के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना बिना कॉपी इस्तेमाल या वितरण किया जाए इस पूरे दस्तावेज में जेपी मार्गन का जहां भी दिया गया है यह स्वीकार्यता सभी जगह लागू होगी कॉपीराइट 2018 जेपी मार्गन चेस एंड कंपनी सर्वाधिकार सुरक्षित


चार्ट 1.13: जीबीआई: ईएम ग्लोबल एशिया और डालर इंडेक्स के बीच कोरिलेशन (अंतरसंबद्धता)



स्रोत: जे पी मार्गन और ब्लूमबर्ग

1.9 जे पी मॉर्गन ग्लोबल बांड इंडेक्स- तथा ग्लोबल एशिया उभरते बाजार के इंडेक्स के प्रतिफलों (जीबीआईएम, एशिया, व्यापारित कुल प्रतिफल इंडेक्स) के बीच 30-दिवसीय रोलिंग-कोरिलेशन तथा अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (चार्ट 1.13) से पता चलता है कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स पर करेंसी प्रभाव हावी है। हालांकि कोरिलेशन का स्तर 2017 के प्गारारंभ के न्यूनतम (ऋणात्मक) से अभी काफी दूर है। उभरते बाजार की करेंसियों बनाम अमरीकी डालर इंडेक्स के बीच पैदा होती तुलनात्मक स्थिति से ज्ञात होता है कि हाल में दोनों में समान रूप से अवमूल्यन हुआ है। हाल की प्रवृत्ति से पता चलता है कि स्थानीय करेंसी ईएम बांड निधि से बाहर जाने वाला प्रवाह कम रहा है। जो भी हो, ईएम से बढ़ता हुआ प्रवाह चिंता का विषय बना हुआ है।

चार्ट 1.14: अमरीकी डालर इंडेक्स की अपेक्षा ईएम करेंसी निष्पादन




स्रोत: जे पी मार्गन और ब्लूमबर्ग

घरेलू समष्टि-वित्तीय गतिविधियां

क. वृद्धि


1.10 वर्ष 2017-18 के चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही जो यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था की सकल स्थिर पूंजी निर्माण (चार्ट 1. 15 बी) में तीव्र बढ़ोतरी के कारण सही डगर (चार्ट 1.15 ए) पर है। साथ ही, कुछ उद्योगों जैसे कि स्टील/इस्पात के अंतर को ढापने/कम करने के साथ दक्षता उपयोग (चार्ट 1.16) में वृद्धि हुई है। समग्र मांग संगठन (कम्पोजीसन) निवेश की पुनर्जीवीकरण के साथ व्यापक वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 1.15: जीडीपी संवृद्धि, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी-निरूपण



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चार्ट 1.16: क्षमता उपयोग



स्रोत: सीईआईसी डाटा कंपनी लि.

**ख. राजकोषीय शेष**

1.11 सरकार ने राजकोषीय समेकन में महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। केंद्र सरकार का समग्र राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 3.9 प्रतिशत और 2016-17 में 3.5 प्रतिशत हो गई, और वर्ष 2017-18 में 3.5 प्रतिशत बनी हुई है (चार्ट 1.17)। वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, राजकोषीय के मामले में यह अभी संभव है जबतक कर की प्राप्तियों में उछाल/ बढ़त और/ या व्यय पर रोक न हो।


**ग. बाह्य शेष**

**i चालू खाता**

1.12 वर्ष 2017-18 में चालू खाता घाटा में वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटा में भी वृद्धि हुई (चार्ट 1.18)। वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार की सभी प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है (चार्ट 1.19)। साथ ही, व्यापार की बिगड़ती हुई शर्तों विशेष कर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ घरेलू मांग में वृद्धि हुई, जो चालू खाता को प्रभावित कर सकता है, हालांकि, मजबूत वैश्विक वृद्धि के कारण भारत की निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है।


1.13 चालू खाता की घाटा बढ़ने के कारण निर्यातकों का विशेष तौर पर अमेरिकी डालर क्रेडिट की ओर किफायती पहुँच को अहमियत दी गई। समग्र निर्यात क्रेडिट में संतुलित रूप से मार्च 2017 में रु. 2,353 से दिसंबर 2017 (अनंतिम) में रु. 2,445 तक वृद्धि हुई। इस संबंध में, यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार वैश्विक मुद्रा बाजार में अपनी पहुँच बनाए रखे जो जोखिम भरा है क्योंकि इसमें निर्यात क्रेडिट का लगभग 45 प्रतिशत योगदान है। निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा की गई अत्यधिक आपूर्ति के जरिये व्यापार क्रेडिट से संबन्धित संभावित प्रतिकूल प्रभाव को बराबर/समान किया जा सका।

चार्ट 1.17: केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतक




\* : संशोधित अनुमान  
 स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.18: चालू खाता और मर्केन्डाइस व्यापार घाटा



स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.19: आयातों की प्रोफाइल



नोट: पी ओ एल, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंट  
 स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस तथा पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष




ii पूंजी खाता

1.14 भारतीय इक्विटीयों के परस्पर मूल्यांकन की तुलना में उनके समकक्ष उभरती हुई बाज़ार में वायदा पी/ई मल्टिपल के अनुसार कुछ बढ़त दिखाई दी है(चार्ट 1.20)। वैश्विक चलनिधि की क्रमशः सामान्यीकरण/मानकीकरण और जोखिम भरी आस्तियों की पुनः रेटिंग से लगता है कि उपार्जन आउटलुक निवेशकों के प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।


1.15 वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तीन तिमाही में देखा गया है कि पूंजी बाज़ार में डेट को बहुत वरीयता देते हुए विदेशी संविभाग निवेश के प्रवाह में उछाल /वृद्धि हुई(चार्ट 1.21 ए और बी)। इसके बाद, फरवरी 2018 से निवल पूंजी बहिर्वाह हुआ। तथापि, भारत, इक्विटी प्रवाह के संबंध में अन्य उभरते बाज़ारों के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रहा है(चार्ट 1.22 ए और बी)। उभरते बाज़ार के

चार्ट 1.20: भारतीय इक्विटी का सापेक्षित मूल्यांकन




स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.21: एफपीआई प्रवाह




स्रोत: सेबी

चार्ट 1.22: एफपीआई प्रवाह - उभरते बाज़ार



नोट: \$ 31 मार्च 2018 तक  
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.23: भारत VIX और 10 वर्षीय ऑफ-दि-रन ऑन दि रन लाभांतर



स्रोत: ब्लूमबर्ग

लिए एफपीआई के प्रवाह के संबंध में हाल ही के आंकड़े सामान्यतः यह दर्शाते हैं कि निवेशक विशेष तौर पर स्थानीय मुद्रा कर्ज के संबंध में असहज हुए हैं क्योंकि अमेरिकी ब्याज स्थिर बना हुआ है।


1.16 इक्विटी और ऋण दोनों में बाज़ार की दर निर्धारण के संबंध में ध्यानपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। इक्विटी बाज़ार (भारत VIX ) और कर्ज बाज़ार (10 वर्ष की ऑन-द-रन लाभों के अंतर को ऑफ-द-रन से घटाते हुए, अवधि के अंतर के लिए असमायोजित) बाज़ार की अस्थिर समसामयिक बाज़ार संकेतकों ने दर्शाया है कि तनावग्रस्त स्थितियों में सह-गतिविधियाँ हुई हैं। तथापि, ये वर्तमान में ऊँचाई से दूर (जून 2013 में प्राप्त स्थिति), अल्पावधि यील्ड स्प्रेडों का क्रमशः अधिक बढ़ने के बावजूद भी बाज़ार की स्थितियाँ ठीक लगती हैं (चार्ट 1.23 और 1.27)।

#### घ. बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर और क्रेडिट फ्रिक्शन में बदलाव

1.17 बैंक के तुलनपत्र और उनके बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास जारी है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए सरकार की पुनर्पूजीकरण योजना बैंक के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रतिकूल सबब न बन सके। वर्तमान में तेज़ी से बढ़ती हुई आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग इकोसिस्टम में एक उत्कृष्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के द्वारा स्थायी क्रेडिट कल्चर बुफे लाने के लिए चुनौती बनी हुई है। इस संदर्भ में, हाल ही कुछ गतिविधियों<sup>4</sup> के बाद क्रेडिट बाजार स्पेस में संरचनागत परिवर्तन का एक सेट तैयार किया गया ताकि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह भाग फंडिंग बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर और कुछ क्रेडिट फ्रिक्शन की कतिपय गतिविधियों की जांच कर सके।

<sup>4</sup> इस संबंध में कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: 1. मई 2016 में दिवालियापन और शोधन अक्षमता कोड बनने और नई दिवालियापन और शोधन अक्षमता अपनाने के बाद 1 अक्टूबर 2017 को विनियामक के रूप में भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना की गई; और 2. 12 फरवरी 2018 को तनावग्रस्त आस्ति के समाधान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क की घोषणा की गई जो एक सामंजस्यपूर्ण और सरलकृत जेनेरिक ढांचे के साथ मौजूदा दिशानिर्देश को प्रतिस्थापित करता है और यह फॉर्बेन्स से दूर तथा पूर्व की पहचान को प्रोत्साहित करता है और पहले के तनाव की रिपोर्टिंग करता है।

चार्ट 1.24: क्रेडिट संवृद्धि बैंक समूह-अनुसार




स्रोत: आरबीआई

1.18 हाल ही के वर्षों में, क्रेडिट डेलीवरी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शेयर क्रमशः कम हुआ<sup>5</sup> है और बढ़ती हुई क्रेडिट मांग को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरा किया गया (चार्ट 1.24 ए और बी)। उसी समय, क्रेडिट इंटरमेडिएसन भी गैर बैंकिंग चैनलों<sup>6</sup> की ओर रुख किया है। विशेषतौर पर म्यूचुअल फंड द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय क्रेडिट प्रवाह लगातार मजबूत हुआ तथापि यह अपनी ऊँचाई को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाया है।


1.19 अलग-अलग स्तरों पर, सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट जोखिम चाह में भिन्नता और उनके तुलनात्मक तनाव स्तर को देखते हुए क्रेडिट वृद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट किया है हालांकि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों का हिस्सा गिरावट के निम्न

चार्ट 1.25: एमएफ द्वारा मध्यस्थन



स्रोत: सेबी

चार्ट 1.26: पीएसबी: डिपॉजिट और क्रेडिट शेयर (निजी क्षेत्र के बैंकों के सापेक्ष)




स्रोत: आरबीआई

<sup>5</sup> 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 73 प्रतिशत (अनुसूचित वाणिज्य बैंक के कुल बैंक क्रेडिट का) से कम होकर 31 मार्च 2018 को 65 प्रतिशत क्रेडिट आपूर्ति में सरकारी क्षेत्र के बैंक के हिस्से में गिरावट हुई है।

<sup>6</sup> 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार गैर बैंकिंग चैनलों का हिस्सा वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह वाणिज्य क्षेत्रों की ओर गया जो 10 प्रतिशत से बढ़कर 2018 के मध्य मार्च में 18 प्रतिशत हो गया। इसमें गृह निर्माण कंपनियों का निवल क्रेडिट, कुल नाबार्ड का समय अधिग्रहण, राष्ट्रीय गृह निर्माण बैंक, सिडबी और निर्यात आयात बैंक तथा एनबीएफसी द्वारा लिए जा रहे गैर जमा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हैं, का निवल क्रेडिट शामिल है।

चार्ट 1.27: अवधि वक्र का अभिनव उद विकास




स्रोत: ब्लूमबर्ग और वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल)

दर को दर्शाता है (चार्ट 1.26)। इसका प्रभाव बाज़ार की ब्याज दरों पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, तीन महीने तक माइबोर-ओआईएस स्प्रेड उच्च बना हुआ है फिर भी वर्तमान में यह अपनी ऊँचाई से दूर है, संभवतः ऐसा लगता है कि ऐसी वृद्धि ब्याज दर की दृष्टि से संबन्धित नहीं है (चार्ट 1.27)। एलसीआर क्षेत्र में गैर वित्तीय कारपोरेट से असुरक्षित अंधा-धुंध फंडिंग के लिए 40 प्रतिशत रन ऑफ की तुलना में 100 प्रतिशत अंतर बैंक उधार की आवश्यकता है। यह विश्वसनीय ढंग से अंतर बैंक उधार के रूप में आ रहा है जिसके जरिये ऐसे सरकारी क्षेत्र के बैंक जो तुलनात्मक रूप से चलनिधि में समृद्ध हैं, से निजी क्षेत्र के बैंकों में चलनिधि का प्रवाह हो रहा है।

1.20 तनावग्रस्त बाज़ार स्थितियों<sup>7</sup> में, कीमतों में तीव्र गिरावट के बावजूद कीमत को समर्थन देने वाली बोलियों की समाप्ति के बहुत सारे उदाहरण देखे गए, मोटे तौर पर उन दिनों वहीं यील्ड में तेज गतिविधियां

चार्ट 1.28: दबावग्रस्त बाजारों में कीमत समायोजन




स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल)

<sup>7</sup> दिनांक टी+1 को तनाव दिन के रूप में चुना गया है यदि टी +1 के बीच 10 वर्ष का ऑन द रन बेंचमार्क के क्लोज टु क्लोज यील्ड में परिवर्तन और टी +1 संबंधी उसी प्रतिभूति के ओपन टू क्लोज यील्ड में बदलाव होता है तो दोनों ही के सकारात्मक लक्षण हैं और दोनों संख्या "महत्वपूर्ण" हैं।

<sup>8</sup> बाज़ार की गहनता को समय व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है और जिसे किसी निर्दिष्ट समय के दौरान संचालित किया गया है (30 मिनट)।

चार्ट 1.29: सरकारी प्रतिभूति बाजार में म्यूचुअल फंडों का प्रो-साइकिलिक व्यवहार




स्रोत: सेबी और ब्लूमबर्ग।

हुई और सरकारी क्षेत्र के बैंक बड़े/प्रमुख चलनिधि प्रदाता बने वहीं विदेशी बैंक और प्राथमिक व्यापारी चलनिधि के उपभोक्ता बने।

1.21 इस संबंध में, चूंकि म्यूचुअल फंड चलनिधि का उपभोक्ता है और इसने प्रो साइकिलिक व्यवहार प्रदर्शित किया/दिखाया है विशेषतौर पर जब ब्याज दरों के आउटलुक में कमी/मंदी थी, क्योंकि उनके समग्र खजाना बिल और दिनांकित सरकारी बॉन्ड “प्रबंधन के तहत आस्ति” ऋण के एक भाग के रूप में यह दर्शाया है कि सितंबर 2017 से स्प्रेड उत्पादों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट हुई है (चार्ट 1.30)। उसी समय, म्यूचुअल फंड के लिए बैंक चलनिधि व्यवस्था<sup>9</sup> ने प्रो साइकिलिक मार्ग/ पद्धति को अपनाया और यह तब हुआ जब ब्याज दर के रुख में मंदी और एक समान रही। इसका अर्थ यह है कि व्यवहार में लगातार नैतिक खतरा है जिसमें वित्तीय मध्यस्थताओं द्वारा चलनिधि बीमा के लिए आस्ति प्रबन्धक को अनुमति दी गई कि वे अपर्याप्त निवेश को बढ़ाते हुए यील्ड पर लोड करे (चार्ट 1.31 और 1.32)।


1.22 साथ ही, सितंबर 2017 से म्यूचुअल फंड में आकस्मिक चलनिधि व्यवस्था उपलब्ध करने में सरकारी

चार्ट 1.30: मूल्यांतर उत्पादों में निवेश और जी-सेक/टी-बिल/सीबीएलओ




स्रोत: सेबी

चार्ट 1.31: परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए बैंक-लाइन बनाम जी-सेक और टी-बिलों में एएमसी आबंटन



स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.32: एएमसी के लिए बैंक लाइन और 10 वर्षीय जी-सेक अर्जन



स्रोत: आरबीआई और ब्लूमबर्ग ।

<sup>9</sup> शीर्ष ग्यारह आस्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए बैंक व्यवस्था जो समग्र एयूएम के अस्सी प्रतिशत को दर्शाता है।


क्षेत्र के बैंक /निजी क्षेत्र के बैंकों के संबन्धित हिस्से में तेज गिरावट हुई, एफबी ने संबन्धित शेयर में वृद्धि दर्ज की (चार्ट 1.33)। ऐसे व्यवहार के लिए दो कारण हो सकते हैं। चूंकि, ऐसी पुष्टि/ पक्की क्रेडिट व्यवस्था एलसीआर की गणना के लिए 100 प्रतिशत रन ऑफ की आवश्यकता होगी, निजी क्षेत्र के बैंकों के पास एसएलआर के लिए थोड़ा सा ही अधिशेष है और मज़बूत क्रेडिट विकास प्रोस्पेक्टस के लिए पाया गया कि चलनिधि प्रावधान लाभकारी नहीं है। दूसरी तरफ, विदेशी बैंकों के पास बड़ी मात्रा में एसएलआर अधिशेष है (बॉक्स 3.3 चार्ट 5 ए) और ऐसा लगता है कि कुछ मात्रा में क्रेडिट की चाह है। जबकि, अति-विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसे चलनिधिगत प्रावधान अनुकूल लग सकते हैं, परंतु दबावग्रस्त परिस्थितियों में बाज़ार के उथलेपन के कारण आस्ति बाज़ार से निधियन बाज़ार की तरफ और फिर विपरीत दिशा में चलनिधिगत मांगों का अंतरण होने से स्व-सुदृढीकरण फीडबैक लूप का सृजन होता है और इसलिए विवेकपूर्ण अन्वेषण ज़रूरी है।

1.23 अखिल भारतीय समग्र घर की कीमत के सूचकांक (एफपीआई) में पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही के 8.3 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 की पहली तिमाही में 7.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) तक संतुलित वृद्धि हुई (चार्ट 1.34)। गृह निर्माण की वित्त आस्तियों के लिए समग्र गैर निष्पादन अग्रिम अनुपात में मार्च 2017 के 1.28 से मार्च 2018 में 1.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खुदरा गृह निर्माण के खंडों में बढ़ते हुए क्रेडिट आबंटन 10 के बढ़ रहे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई वृद्धि के लिए क्रेडिट के मानकों में होने वाली संभावित कमी से परहेज करने की आवश्यकता है।

### सर्वांगी जोखिम सर्वेक्षण<sup>11</sup>


1.24 नवीनतम सर्वांगी जोखिम सर्वेक्षण में घरेलू समष्टि स्थितियाँ, संस्थागत और छह महीने से भी अधिक समय का बाज़ार जोखिम, सहभागियों को वैश्विक जोखिम को समझने के लिए संतुलित संभावनाएँ दी गई हैं। लगभग

चार्ट 1.33: एमसी के लिए बैंक लाइनों में बैंक समूहों का हिस्सा



स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.34: गृह कीमत सूचकांक



स्रोत: आरबीआई

40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया है कि घरेलू बैंकिंग क्षेत्र के प्रोस्पेक्टस में अगले एक वर्ष में कुछ सुधार होने वाला है, जबकि अन्य उत्तरदाता ने अभी भी एनपीए में निरंतर वृद्धि और बैंक में गवर्नेंस के मानकों में कमी की चिंता को व्यक्त किया।

<sup>10</sup> 31 मार्च 2017 के 12.1 प्रतिशत से मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल गैर खादयान्न बकाया क्रेडिट के खुदरा गृह खंडों में 12.7 की वृद्धि हुई।

<sup>11</sup> दस अंक स्केल पर वित्तीय प्रणाली के द्वारा वर्तमान में सामना किए गए बड़े जोखिमों के संबंध में सर्वांगी जोखिम सर्वेक्षण का आशय यह है कि वे विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को जानना है। विशेषज्ञों में वित्तीय मध्यस्थताओं में बाज़ार सहभागी, शिक्षाविदों और रेटिंग एजेंसी शामिल हैं। इसे अर्ध वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है और एफएसआर में रिपोर्ट किया गया है। सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत विश्लेषण के लिए कृपया अनुबंध 1 देखें।

## अध्याय II

### वित्तीय संस्थाएँ : सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति

वर्ष 2017-18 के दरम्यान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि ने जोर पकड़ा जबकि जमा वृद्धि धीमी रही। सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात में वृद्धि जारी रहने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में दबाव बना हुआ है। प्रावधानों में वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में आंशिक गिरावट आई। इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विनियमांतर्गत पूंजी अनुपात पर दबाव बढ़ा।

मैक्रो-स्ट्रेस परीक्षण यह इंगित करता है कि आधारभूत परिदृश्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 तक 12.2 प्रतिशत तक हो जाएगा। इसी अवधि में प्रणालीगत जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 13.5 प्रतिशत से गिर कर 12.8 प्रतिशत तक हो सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण यह इंगित करता है कि जीएनपीए अनुपात पर तीव्र आघात होने से लगभग 20 बैंकों का सीआरएआर घटकर कर 9 प्रतिशत से नीचे चला जाएगा, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की संख्या अधिक होगी।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीए पीएसबी) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर किए गए मैक्रो-स्ट्रेस परीक्षण यह इंगित करते हैं कि उनके जीएनपीए अनुपात का हास होगा और वह मार्च 2018 के 21.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 में 22.3 प्रतिशत हो जाएगा जिनमें से 6 पीसीए पीएसबी में, आधारभूत परिदृश्य में, पूंजीगत गिरावट आ सकती है। पीसीए ढांचा बैंकिंग क्षेत्र में हो रही गिरावट को रोक कर वित्तीय स्थिरता जोखिम को कम करने में मदद दे सकता है। इससे आगे होने वाली पूंजी कटौती पर रोक लगेगी और बैंकों को अपना सामान्य परिचालन पुनः शुरू करने में ताकत मिलेगी।

इंटर-बैंक नेटवर्क विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अंतर-बैंक बाज़ार का आकार घटा है जबकि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2018 में अंतरसंबंधों का स्तर कुछ बढ़ा है। बैंकिंग नेटवर्क के संसर्ग विश्लेषण से यह इंगित होता है कि यदि ऐसा बैंक, जिसमें संसर्गजन्य हानि की सर्वाधिक संभावना हो, विफल हो जाता है तो इससे बैंकिंग प्रणाली के टियर-1 पूंजी को 9.0 प्रतिशत सोल्वेंसी हानि होगी।

#### खंड I

##### अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक<sup>1</sup>

2.1 इस खंड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सुदृढ़ता एवं लचीलेपन पर मोटे तौर पर दो उप-शीर्षकों i) निष्पादन, और ii) लचीलापन के अंतर्गत चर्चा की गई है। इसके लिए परिदृश्यों और एकल-घटक संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से मैक्रो स्ट्रेस परीक्षणों<sup>2</sup> का उपयोग किया गया है।<sup>3</sup>

##### कार्यनिष्पादन

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण-वृद्धि ने, सभी बैंक समूहों में, सितंबर 2018 और मार्च 2018 के बीच वर्ष दर वर्ष आधार पर जोर पकड़ा। किंतु पीएसबी

की जमा-वृद्धि में गिरावट आई जिससे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा-वृद्धि में गिरावट आई। सितंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच उनके सीआरएआर और टियर-1 लिवरेज अनुपात<sup>3</sup> में मामूली गिरावट आई (चार्ट 2.1)।

2.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर पश्चात लाभ सितंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच मुख्यतः जोखिम के लिए उच्च प्रावधान के कारण तेजी से घट गया (चार्ट 2.1)। उनकी कुल परिचालनिक में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) का हिस्सा बढ़कर 2017-18 में 65.2 प्रतिशत हो गया जो 2016-17 में 63.7 प्रतिशत था जबकि अन्य परिचालनिक आय (ओओआई) में गिरावट आई। अन्य परिचालनिक आय घटकों में सिक्न्यूरिटीज़ की

<sup>1</sup> इस अध्याय में किया गया विश्लेषण 14 जून 2018 को उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जो अंतिम है।

<sup>2</sup> विश्लेषण रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरणों पर आधारित है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के आंकड़ों को छोड़कर केवल घरेलू परिचालनों को शामिल किया गया है। बड़े उधारकर्ताओं के आंकड़े बैंक के वैश्विक परिचालन पर आधारित हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं।

<sup>3</sup> टियर-1 लिवरेज अनुपात का अर्थ है टियर-1 पूंजी और कुल आस्तियों के बीच अनुपात। कुल आस्तियों में ऑफ-बैलेन्सशीट मदों का समतुल्य क्रेडिट शामिल है।


चार्ट 2.1: निष्पादन के चुनिंदा संकेतक



स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ



चार्ट 2.1: निष्पादन के चुनिंदा संकेतक (जारी)



खरीद-बिक्री के कारण हुए लाभ/हानि की मात्रा में 2016-17 की तुलना में 2017-18 में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसी तरह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामलों में ब्याजयुक्त देयता की लागत और ब्याज प्राप्ति आस्तियों पर प्रतिफल में 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कमी आई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लाभप्रदता अनुपात ऋणात्मक हो गया जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रहे।

### आस्ति गुणवत्ता

2.4 एससीबी का सकल गैर निष्पादनकारी अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात सितंबर 2017 के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 11.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि प्रावधानों में वृद्धि के कारण इसी अवधि के लिए उनके निवल गैर निष्पादनकारी अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात में मामूली सी बढ़त हुई। इसी अवधि में उद्योग क्षेत्र

का जीएनपीए अनुपात 19.4 प्रतिशत से बढ़कर 22.8 प्रतिशत हो गया जबकि दबावग्रस्त आस्ति अनुपात बढ़कर 23.9 प्रतिशत से 24.8 प्रतिशत हो गया। उद्योग क्षेत्र के भीतर, 'रत्न और आभूषण', 'संरचना', 'कागज़ और कागज़ उत्पाद', 'सीमेंट और सीमेंट उत्पाद' तथा 'इंजीनियरी' जैसे उप क्षेत्रों के दबावग्रस्त आस्ति अनुपात में सितंबर 2017 की तुलना में मार्च 2018 में वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि में 'खाद्य प्रसंस्करण', और 'कपड़ा' उप क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। सितंबर 2017 की तुलना में मार्च 2018 में सभी बैंक समूहों के बीच प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई। बैंक समूहों में एफबी का सर्वाधिक प्रावधान कवरेज अनुपात (88.7 प्रतिशत) रहा और उसके बाद निजी बैंकों (31.८ प्रतिशत) और पीएसबी (47.1 प्रतिशत) का क्रम रहा (चार्ट 2.2)।


<sup>4</sup> ब्याजयुक्त देयताओं की लागत ब्याज व्यय और औसत ब्याजयुक्त देयताओं के बीच अनुपात के रूप में परिकलित है।

<sup>5</sup> ब्याज अर्जक आस्तियों का प्रतिफल ब्याज आय और औसत ब्याज आय आस्तियों के बीच अनुपात के रूप में परिकलित है।

<sup>6</sup> स्प्रेड को ब्याज अर्जक आस्तियों पर प्रतिफल और ब्याजयुक्त देयताओं में अंतर के रूप में परिकलित किया गया है।

<sup>7</sup> आस्ति गुणवत्ता के विश्लेषण के प्रयोजन से दबावग्रस्त आस्तियों को जीएनपीए और पुनःसंचित मानक अग्रिमों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट 2.2: परिसंपत्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक



टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े और उनके लीजेंड उद्योग क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में संबंधित उप क्षेत्र की हिस्सेदारी दर्शाते हैं।


<sup>8</sup> प्रावधान कवरेज अनुपात = एनपीए हेतु किया गया प्रावधान\*100/जीएनपीए. बड़ा खाता के प्रावधानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

### बड़े उधारकर्ताओं के ऋणों की गुणवत्ता<sup>9</sup>

2.5 सितंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच एससीबी की कुल ऋण निवेश सूची और जीएनपीए में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी में मामूली कमी आई। मार्च 2018 में बड़े उधारकर्ताओं का सकल अग्रिम 54.8 प्रतिशत और

जीएनपीए 85.6 प्रतिशत रहा। विशेष उल्लेख खातों (एसएमए-2) के वर्ग 2 में सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में सभी बैंक समूहों में गिरावट देखी गई। सबसे बड़े 100 बड़े उधारकर्ताओं की सकल अग्रिमों में हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत और एससीबी के जीएनपीए में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रही (चार्ट 2.3)।

चार्ट 2.3: बड़े उधारकर्ताओं के बारे में परिसंपत्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक



स्रोत: रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

<sup>9</sup> बड़ा उधारकर्ता वह है जिससे 50 मिलियन रुपए और उससे ऊपर की राशि का निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम है। यह विश्लेषण एससीबी के वैश्विक परिचालनों के आधार पर किया गया है।

<sup>10</sup> रिजर्व बैंक की 12 फरवरी 2018 की अधिसूचना के अनुसार उधारदाताओं को चाहिए कि वे चूक होने पर दबावग्रस्त आस्तियों को निम्नलिखित वर्गों के अनुसार विशिष्ट उल्लेख खाता में वर्गीकृत कर ऋण खातों में निर्माण हो रहे दबाव को तत्काल वर्गीकृत करें:

एसएमए-0 : मूल राशि या ब्याज या अन्य कोई भुगतान जो आंशिक या पूर्ण रूप से 1-30 दिनों से लंबित है;  
 एसएमए-1 : मूल राशि या ब्याज या अन्य कोई भुगतान जो आंशिक या पूर्ण रूप से 31-60 दिनों से लंबित है;  
 एसएमए-2 : मूल राशि या ब्याज या अन्य कोई भुगतान जो आंशिक या पूर्ण रूप से 61-90 दिनों से लंबित है।

**जोखिम**


**बैंकिंग स्थिरता संकेतक**

2.6 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) यह दर्शाते हैं कि लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ सकता है(चार्ट 2.4 और 2.5)।

2.7 एससीबी की कमज़ोर लाभप्रदता चिंता का विषय है क्योंकि लाभ कम होने से बैंक अनपेक्षित हानियों से बचने के लिए प्रावधान नहीं कर पाएंगे और उनके समक्ष प्रतिकूल आघातों का जोखिम बना रहेगा। एससीबी की आस्तियों पर मार्च 2018 में भी मीडियान रिटर्न में कमी आई (चार्ट 2.6)। ऐसे कई संरचनागत कारण हैं जिनकी वजह से एससीबी की लाभप्रदता कम हो रही है, जैसे कि ऋण से नुकसान के लिए उच्च प्रावधान, उधार का बना रहना, लागत में वृद्धि और राजस्व में गिरावट।

2.8 कमज़ोर बैंकों (14 बैंक ऐसे हैं जिनका आस्ति प्रतिलाभ निम्नतर है) की लाभप्रदता सितंबर 2016 से औसत रूप से घट रही है। उनकी आघात सहनीयता को सुधारने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है (चार्ट 2.7)। हालांकि ऐसे कमज़ोर बैंकों का पूर्व प्रावधान परिचालनिक लाभ (ईबीपीटी) था, तुलन-पत्र पर एनपीए के लिए उच्च जोखिम प्रावधान के कारण उनकी लाभप्रदता में कमी आई।


चार्ट 2.4: बैंकिंग स्थिरता संकेतक



टिप्पणी: संकेतक मूल्य में वृद्धि कम स्थिरता को दर्शाती है। प्रत्येक डायमैन्शन की चौड़ाई जोखिम में उसकी हिस्सेदारी को दर्शाती है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ गणना


चार्ट 2.5: बैंकिंग स्थिरता खाका



टिप्पणी: केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ गणना


चार्ट 2.6: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार लाभप्रदता<sup>12</sup>



<sup>11</sup> विभिन्न बीएसआई डायमैन्शन के तहत बताई गई पद्धति और मूल संकेतक संलग्नक में दिए गए हैं।

<sup>12</sup> 55 एससीबी के नमूने।

चार्ट 2.7: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निम्नतर चतुर्थक की लाभप्रदता (आरओए प्रतिशत में)



स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां


### समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण

#### मैक्रो-दबाव परीक्षण-ऋण जोखिम<sup>13</sup>

2.9 ऋण जोखिम के संबंध में मैक्रो-दबाव परीक्षणों के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मैक्रो-इकॉनॉमिक आघातों के प्रति आघात सहनीयता का परीक्षण किया गया। इन दबाव परीक्षणों में प्रतिकूल किंतु संभाव्य मैक्रो इकॉनॉमिक आघातों के प्रति आघात सहनीयता का अंदाज लगाया जाता है (ब्योरे के लिए कृपया बॉक्स 2.1 देखें)। इन परीक्षणों में एक आधारभूत और दो (मध्यम और

उच्च) प्रतिकूल मैक्रो इकॉनॉमिक जोखिम परिदृश्यों को शामिल किया गया है (चार्ट 2.8)। आधारभूत परिदृश्य में यह माना गया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति भविष्य<sup>14</sup> में भी बनी रहेगी। प्रत्येक मैक्रो इकॉनॉमिक चरों के ऐतिहासिक आंकड़ों में मानक विचलन के आधार पर प्रतिकूल परिदृश्य को प्राप्त किया गया: अर्थात् मध्यम दबाव के लिए 1 मानक विचलन (एसडी) तक और तीव्र दबाव (10 वर्ष का ऐतिहासिक डाटा) के लिए 1.25 से 2 एसडी<sup>15</sup>। दबाव परीक्षण का दायरा एक वर्ष का है।

चार्ट 2.8: समष्टि आर्थिक परिदृश्य की मान्यताएं<sup>16</sup>



<sup>13</sup> विस्तृत पद्धति अनुलग्नक 2 में दी गई है

<sup>14</sup> जीवीए में संवृद्धि, जीडीपी की तुलना सकल वित्तीय घाटा अनुपात, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रा स्फीति, भारत औसत उधार दर, जीडीपी की तुलना में निर्यात अनुपात, जीडीपी की तुलना में चालू खाता शेष अनुपात

<sup>15</sup> दोनों परिदृश्यों में प्रत्येक तिमाही में 0.25 एसडी से निरंतर वृद्धि

<sup>16</sup> ये दबाव परिदृश्य बहुत कड़े तथा अनुदार मूल्यांकन के हैं जो कल्पित और अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। तथापि इन परिदृश्यों को पूर्वानुमान या अपेक्षित परिणाम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

### बॉक्स 2.1: बैंकों पर दबाव के परीक्षण का उद्देश्य

बैंक दबाव परीक्षण ऐसी अभ्यास प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों में बैंक या कोई बैंक समूह पर्याप्त रूप से पूंजी संपन्न रहते हैं या नहीं (गोल्डस्टीन 2017)। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा इस तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसे महत्व प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, 2009 में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा किए गए पर्यवेक्षी पूंजी आकलन कार्यक्रम (एससीएपी), जो बाद में व्यापक पूंजी विश्लेषण और समीक्षा (सीसीएआर) के रूप में उभरा, ने व्यक्तिगत बैंकों की पूंजी नियोजन प्रक्रिया में ऐसे तनाव परीक्षणों के परिणाम को प्रभावी ढंग से जोड़ा।

मुख्य रूप से, दबाव परीक्षण का उद्देश्य "यदि ऐसा होगा तो क्या होगा" अभ्यास के लिए है। इसलिए परिदृश्यों और अंतर्निहित धारणाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। परिदृश्यों के निर्माण के बारे में सामान्य दिशानिर्देश यह है कि उन्हें "तीव्र लेकिन व्यावहारिक" होना चाहिए। परिदृश्यों का निर्माण क्षेत्राधिकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के नए दबाव परीक्षण काल में, परिदृश्यों को समय के विपरीत बनाने का प्रयास किया जा रहा है: " जोखिम बड़े होने पर दबाव परीक्षण अधिक तीव्र हो जाएगा और इन जोखिमों के उत्पन्न होने पर या कम होने इन परीक्षणों की तीव्रता कम हो जाएगी" (ब्राजियर 2015)।

भारत के मामले में, मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र की आघात सहनीयता का पता लगाने के लिए, तीन कल्पित परिदृश्यों के तहत, जोखिम के लिए मैक्रो तनाव परीक्षण यथा, आधारभूत, मध्यम तनाव और तीव्र तनाव, आयोजित किए जाते हैं जिसकी रिपोर्ट जून 2011 से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में प्रस्तुत की जा रही है। वर्तमान में, तीनों परिदृश्य कल्पित प्रतिकूल आघातों पर आधारित हैं, जिसमें समष्टि आर्थिक चरों, जैसे कि सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) संवृद्धि, जीडीपी अनुपात में सकल राजकोषीय घाटा, सीपीआई मुद्रास्फीति, भारत औसत उधार दर, जीडीपी तथा निर्यात अनुपात तथा चालू खाता शेष और जीडीपी अनुपात, की तीव्रता बढ़ाई जाती है। भारतीय बैंकों के लिए दबाव प्रभाव मूल्यांकन बैंकिंग क्षेत्र की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) पर तीन पूरक इकोनॉमेट्रिक मॉडल जैसे, मल्टी वेरिएट रिग्रेशन, वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) और क्वांटाइल रिग्रेशन (विवरण - अनुलग्नक 2 में) के तहत प्रतिकूल मैक्रो परिदृश्यों के ऊपर से नीचे तक प्रणालीगत प्रभाव से जुड़ता है। इन तीन मॉडलों से प्राप्त जीएनपीए के औसत अनुमानों को बैंक समूह के स्तर पर प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में, किसी व्यक्तिगत बैंक की पूंजी पर्याप्तता पर मैक्रो इकोनॉमिक आघात का सर्वांगीण मूल्यांकन में पहले जोखिम भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का अनुमान उसके बाद उसके बाद कर पश्चात लाभ (पीएटी) अनुमान का क्रम आता है। आरडब्ल्यूए अनुमान में चूक की असंगत क्षेत्रीय संभावना के अनुमान प्राप्त करने के बाद ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित फॉर्मूला (आईआरबी) के माध्यम से बैंक-वार आरडब्ल्यूए का अनुमान शामिल है। आरडब्ल्यूए (क्रेडिट जोखिम के अलावा) का अनुमान भूतकाल में औसत वृद्धि दर के आधार पर लगाया जाता है। बैंक स्तर पर पीएटी का अनुमान भविष्य में संभाव्य शुद्ध ब्याज आय, अन्य परिचालन आय, अन्य व्यय और प्रावधानों के आधार पर लगाया जाता है।


ऋण जोखिम के लिए सर्वांगीण मैक्रो-स्ट्रेस परीक्षण के अलावा, बैंक-विशिष्ट या अन्य किसी विशिष्ट कमजोरी का पता लगाने के लिए कई एकल-घटक संवेदनशीलता परीक्षण किए जाते हैं। ऊपर उल्लिखित पद्धति में मैक्रो-इकोनॉमिक आघात का 'प्रथम स्तरीय असर' उत्पन्न होता है। इसमें 'फीडबैक' या 'द्वितीय स्तरीय' प्रभाव शामिल नहीं हैं (हॉल्डेन, 2009)। मैक्रो-इकोनॉमिक आघातों के प्रभाव को ध्यान में रखकर संक्रमण प्रभाव के कारण हुए ऋण शोधन क्षमता में हुए हास को देखते हुए इस रिपोर्ट में इस तरह के फीडबैक को सीमित तरीके शामिल किया गया है।

तथापि, उल्लेखनीय है कि व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कल्पित दबाव परिदृश्यों के तहत जो परिणाम प्राप्त हुए वे न तो पूर्वानुमान हैं और न ही अपेक्षित परिणाम। तनाव परीक्षण और उसके परिणामों के प्रकटीकरण से यह प्रयास रहता है कि सूचना विषमता, जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियां वास्तव में उभरने पर बाजार लड़खड़ा सकते हैं, को दूर किया जा सके। दूसरे शब्दों में, आर्थिक परीक्षण आर्थिक एजेंटों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कि वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ हो सके और आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर बैंक बैलेंस-शीट में आघात सहनीयता निर्माण हो सके।

#### संदर्भ:

1. ब्रेजियर, एलेक्स (2015), 'दी बैंक ऑफ इंग्लैंड्स एपरोच टू स्ट्रेस टेस्टिंग दी यूके बैंकिंग सिस्टम'. अक्टूबर 29-30 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एलएसई सिस्टमिक रिस्क सेंटर कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेस टेस्टिंग और मैक्रोप्रूडेंशियल रेग्यूलेशन पर दिया गया प्रस्तुतीकरण।
2. गोल्डस्टीन, मॉरिस (2017), 'बैंकिंग्स फाइनेल एक्जाम स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बैंक कैपिटल रीफॉर्म', पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स।
3. हॉल्डेन, एंड्र्यू (2009), 'रीथिंकिंग फिनान्शियल नेटवर्क', फिनान्शियल स्टूडेंट एसोसिएशन, एम्सटरडम में 28 अप्रैल को दिया गया भाषण।

चार्ट 2.9: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जीएनपीए अनुपात का परिकलन (विभिन्न परिदृश्यों के तहत)




**टिप्पणी:** प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए का पूर्वानुमान तीन अलग-अलग किंतु एक-दूसरे के पूरक इकोनोमेट्रिक मॉडल का प्रयोग करके किया गया : मल्टी वेरिएट रिग्रेशन, वेक्टर ऑटो रिग्रेशन और क्वांटाइल रिग्रेशन (जिसमें टेल रिस्क के समाधान के साथ-साथ समष्टि आर्थिक आघातों के नॉन-लीनियर परिणामों को विचार में लिया गया है।) इन तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए अनुपात चार्ट में दिया गया है। तथापि बैंक समूहों के मामले में मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और वीएआर, इन दो मॉडलों का ही उपयोग किया गया है।  
**स्रोत:** रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

2.10 दबाव परीक्षण यह संकेत देता है कि आधारभूत परिदृश्य के तहत सभी एससीबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 तक 12.2 प्रतिशत हो सकता है। तथापि, समष्टि आर्थिक परिस्थितियां यदि खराब होती हैं तो इससे पड़ने वाले दबाव की स्थिति में उनका जीएनपीए और भी बढ़ सकता है (चार्ट 2.9)। बैंक समूहों में देखें तो अत्यंत प्रतिकूल परिदृश्यों में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 तक 17.3 प्रतिशत हो सकता है, जबकि निजी बैंकों का जीएनपीए अनुपात 4.00 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशत और विदेशी बैंकों का जीएनपीए अनुपात 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो सकता है।

2.11 कल्पित आधारभूत समष्टि परिदृश्यों में त्वरित सुधार कार्रवाई फ्रेमवर्क (पीसीए पीएसबी) वाले छः पीएसबी का सीआरएआर मार्च 2019 तक विनियामिकीय स्तर के न्यूनतम 9 प्रतिशत से घट सकता है। इसमें सरकार 17 की दोबारा किसी पुनःपूँजीकरण योजना को विचार में नहीं लिया गया है। तथापि, यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं तो अत्यंत प्रतिकूल समष्टि दबाव परिदृश्य में दस बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे जा सकता है। इस प्रकार के अत्यंत प्रतिकूल दबाव परिदृश्य


चार्ट 2.10: सीआरएआर - परिकलन



\* 55 चुनिंदा बैंकों की प्रणाली के लिए  
**टिप्पणी:** पूँजीगत पूर्वानुमान अनुदार कल्पना के तहत किया गया है जिसमें लाभ कमाने वाले एससीबी के पूँजीगत रिज़र्व में न्यूनतम 25 प्रतिशत लाभ अंतरण को विचार में लिया गया है। हिताधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी पूँजी को इसमें विचार में नहीं लिया गया है।  
**स्रोत:** रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणना

17 तथापि, 31 मार्च 2018 तक वास्तविक रूप में उपलब्ध कराई गई पूँजी ने सरकार की पूँजी उपलब्धता योजना को प्रभावित किया है।

चार्ट 2.11: सीईटी 1 पूंजी अनुपात के परिकलन



\* 55 चयनित बैंक प्रणाली के लिए

नोट: लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आरक्षित पूंजी में 25% के न्यूनतम लाभ अंतरण की संतुलित परिकल्पना के तहत पूंजी पूर्वानुमान किया गया है। किसी भी हितधारक द्वारा लगाई गई पूंजी की गणना इसमें नहीं की गई है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

में प्रणाली स्तर का सीआरएआर मार्च 2019 तक 15.5 से घट कर 11.5 प्रतिशत हो सकता है और आधारभूत परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर 12.8 प्रतिशत तक घट सकता है (चार्ट 2.10)। इस तरह के तीव्र दबाव परिदृश्य में छः बैंकों का समान इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) सीआरएआर मार्च 2019 तक विनियम के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम 5.5 प्रतिशत से नीचे जा सकता है। कठोर दबाव परिदृश्य के तहत प्रणाली स्तर सीईटी 1

पूंजी अनुपात, मार्च 2018 में 10.4 प्रतिशत की तुलना में कम होकर मार्च 2019 तक 8.6 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.11)। सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत वृद्धि योजना संभावित पूंजी की कमी की समस्या हल करने में सहायक होगी और क्रेडिट वृद्धि में उत्प्रेरक भूमिका निभाएगी।

2.12 पीसीए पीएसबी की तुलना में गैर-पीसीए पीएसबी का तुलनात्मक विश्लेषण बॉक्स 2.2 में दिया गया है।

### बॉक्स 2.2: पीसीए पीएसबी की तुलना में गैर-पीसीए पीएसबी: तुलनात्मक विश्लेषण

वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रभावी वित्तीय संकट प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क की कमियों और कई मामलों में प्रणालीगत वित्तीय संस्थानों को संभालने की प्रभावी समाधान तंत्र की अनुपस्थिति को प्रदर्शित किया। जब एक वित्तीय संस्थान काफी कमजोर हो जाता है तो एक समाधात तंत्र की स्थापना की जाती है, परंतु निवारक फ्रेमवर्क के साथ-साथ पूर्व हस्तक्षेप उपाय पहले ही वित्तीय संस्थानों में हो रहे हास को रोक सकते हैं। वित्तीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है कि विनियामकों द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई करने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे स्थापित करने चाहिए जिनमें पूर्वस्थापित स्तरों के वर्गीकृत उत्प्रेरक शामिल हों (वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान पद्धति पर कार्य दल की रिपोर्ट, आरबीआई, 2014)।

साहित्य में पीसीए की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन, मुख्यतः अमेरिका में व्यापक रूप से किया गया है। इससे सभी सहमत हैं कि इसके परिणाम अच्छे रहे हैं, विशेष रूप

से बैंकों के लिए जोखिम कम करने में और पूंजी अनुपात बढ़ाने में (उदाहरण के लिए बेन्सटन और कॉफमेन 1997: अग्रवाल और जॉक 2001: एलिजाव्दे और रेफूयो 2004)। पीसीए ढांचे का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हुए फ्रेशियस और पॅरीजी (2007) यह दर्शाते हैं कि समुचित पूंजीगत विनियम में एक नियम समाहित है जो i) पर्याप्त पूंजीकृत बैंकों को कितनी भी राशि किसी भी जोखिमभारित आस्तियों में स्वतंत्र रूप से निवेश करने की अनुमति देता है ii) मध्यम स्तर की पूंजी वाले बैंकों को अत्यधिक जोखिमवाली आस्तियों में निवेश करने से प्रतिबंधित करता है iii) अल्पपूंजीकृत बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों में निवेश करने से प्रतिबंधित करता है। फ्रेशियस और पॅरीजी (2007) का तर्क है कि पीसीए अधिदेश का औचित्य अल्पपूंजीकृत बैंकों के विनियामकीय सहनशीलता को रोकना है। उक्त अधिदेश के अभाव में बैंकों को अपने पूंजी अनुपात को मजबूत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को कम प्रोत्साहन मिलता है।





(जारी...)



भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2002 में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की योजना उन बैंकों के लिए आरंभ की थी जिनका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) विनियामकीय उत्प्रेरक बिंदुओं तक पहुंच जाता है। इस योजना में अप्रैल 2017 में संशोधन किया गया था। संशोधित पीसीए ढांचे के अंतर्गत पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के अलावा लीवरेज की भी निगरानी की जाती है। पीसीए के अंतर्गत बैंकों को लाभान्श का वितरण, लाभ विप्रेषण और यहां तक कि कुछ प्रकार की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, शाखाओं के नेटवर्क के विस्तार पर भी प्रतिबंध होता है और ऋणदाताओं को प्रबंधन प्रतिकर व निदेशकों की शुल्क पर ऊपरी सीमा बनाने के साथ-साथ उच्च प्रावधान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान पीसीए ढांचे का पूरा जोर इस बात पर है कि पूंजी का और क्षरण न हो और सबसे महत्वपूर्ण कि लचीलेपन के बिंदु तक उन्हें सशक्त बनाया जाए ताकि अतिशीघ्र वे अपने सामान्य परिचालन प्रारंभ कर सकें।

11 पीएसबी वर्तमान में पीसीए ढांचे के अंतर्गत हैं। इन बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में हानि उच्च रही जिससे अधिक प्रावधान करने और डिलीवरेजिंग की आवश्यकता हुई इससे न केवल उनकी ऋण देने की क्षमता बल्कि उनकी जनता की जमाराशियां लेने व ऋण देने की इच्छा भी बाधित हुई। इन बैंकों की लाभप्रदता और पूंजीगत स्थिति में क्षरण देखा गया।

गैर पीसीए पीएसबी<sup>18</sup> की तुलना में पीसीए पीएसबी के एनएनपीए अनुपात के विश्लेषण से पता चलता है कि पीसीए के अंतर्गत बैंकों का एनएनपीए अनुपात मार्च 2018/19 में लगभग 12 प्रतिशत था (चार्ट 1)। पीसीए पीएसबी और गैर पीसीए पीएसबी के सीआरएआर के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है (चार्ट 2)। हालांकि, गैर पीसीए पीएसबी को वर्तमान में हानि हो रही है और पीसीए पीएसबी में कुछ वर्षों के दौरान होने वाली हानि का दायरा और बढ़ा है (चार्ट 3)। पीसीए पीएसबी का लीवरेज अनुपात सितंबर 2016 के बाद से लगातार खराब हो रहा है (चार्ट 4)।




\* तिमाही जिसमें पीसीए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पीएसबी को रखा गया अर्थात् जून 2017 को समाप्त तिमाही में 5 बैंक, दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही में 5 बैंक और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में 1 बैंक।

(जारी...)

<sup>18</sup> 10 पीएसबी जो पीसीए के अंतर्गत नहीं हैं, को गैर पीसीए पीएसबी में शामिल किया गया है।

<sup>19</sup> बैंकों के लिए आरबीआई के संशोधित पीसीए ढांचे के अनुसार एनएनपीए अनुपात के लिए जोखिम सीमा 6 प्रतिशत है।



पहले बहुचिचर रिग्रेशन मॉडल के माध्यम से गिरावट अनुपात (एसआर) का अनुमान लगाने के बाद प्रत्येक समूह के लिए समान कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए पीसीए पीएसबी व गैर पीसीए पीएसबी के जीएनपीए अनुपात का अनुमान पता किया जा सकता है:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहां  $\Delta GVA$  मूल कीमत पर जीवीए वृद्धि है, भारित औसत उधार दर,  $\left(\frac{CAB}{GDP}\right)$  जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष और  $\left(\frac{GFD}{GDP}\right)$  जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा है।


निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके जीएनपीए अनुपात का अनुमान लगाया गया है:

$$GNPA_{t+1} = GNPA_t + Slippage_{(t,t+1)} - Recovery_{(t,t+1)} - Write\ off_{(t,t+1)} - Upgradation_{(t,t+1)}$$

जून 2002 से मार्च 2018 के आंकड़ों का उपयोग करके निकाले गए अनुमान से पता चलता है कि पीसीए पीएसबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 में 22.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 में 22.3 प्रतिशत हो सकता है, जबकि गैर पीसीए पीएसबी का जीएनपीए अनुपात अपेक्षाकृत मार्च 2018 में 13.5 प्रतिशत से मामूली सा बढ़कर मार्च 2019 में 14.1 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 5)।

पीसीए पीएसबी और गैर पीसीए पीएसबी के सीआरएआर का अनुमान लगाने के लिए इस सूत्र<sup>20</sup> का उपयोग किया गया है:

$$CRAR_{t+1} = \frac{Capital_t + 0.25 * PAT_{t+1}^{21}}{RWA(Credit\ risk)_{t+1} + RWA(others)_{t+1}}$$



आगे और पूंजी प्रवाह के अभाव में (अर्थात 31 मार्च 2018 तक के अतिरिक्त) पीसीए पीएसबी का सीआरएआर बेसलाइन परिदृश्य में मार्च 2018 के 10.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 6.5 प्रतिशत हो सकता है, जबकि गैर पीसीए पीएसबी का सीआरएआर मार्च 2018 के 12.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 10.6 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 6)।

#### संदर्भ:

1. अग्रवाल, आर. और के.टी.जॉक (2001), 'दि इंपैक्ट ऑफ एफडीआईसीआईए एंड प्राम्प्ट करेक्टिव एक्शन आन बैंक कैपिटल एंड रिस्क: एस्टिमेट्स यूजिंग अ साइमेट्रिकल एक्वेशन्स मॉडल', जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 25, 1139-1160
2. बेन्सटन, जे.जी. और जी जे कॉफमेन (1997)। 'एफडीआईसीआईए आफ्टर फाइव ईयर्स', जर्नल ऑफ इकानामिक पर्सपेक्टिव्स 11, 139-158
3. एलिजाल्दे ए., और आर. रेफूयो, (2004)। इकानामिक एंड रेगुलेटरी केपिटल। व्हॉट इज द डिफरेंस?' सीईपीआर डिसकसन पेपर्स।
4. फ्रेशियस, एक्स. और बी.एम.पॅरीजी (2007)। बैंकिंग रेगुलेशन एंड प्राम्प्ट करेक्टिव एक्शन', वर्किंग पेपर न. 2136, सीईएसआईएफओ।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (2014) वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान रेजिम पर कार्य दल की रिपोर्ट, मई।

<sup>20</sup> मैक्रो दबाव परीक्षण की कार्यप्रणाली का उपयोग करके पीएटी और आरडब्ल्यूए (क्रेडिट जोखिम) व आरडब्ल्यूए (अन्य) का अनुमान पता किया जा सकता है।

<sup>21</sup> चूंकि आईआरएसी मानकों के अनुसार बैंक प्रावधानों में वसूली धारणाएं अंतर्निहित हैं, अतः अनुमानित प्रावधानों में वसूली धारणाएं अंतर्निहित हैं।


**संवेदनशीलता विश्लेषण: बैंक स्तरीय<sup>22</sup>**

2.13 विभिन्न परिदृश्यों के तहत बैंकों की दुर्बलता और लचीलेपन के निर्धारण हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर मार्च 2018 के आंकड़ों के आधार पर केवल एक घटक पर आधारित संवेदनशीलता दबाव परीक्षण<sup>23</sup> किए गए। ऊपर से नीचे<sup>24</sup> संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से ऋण, ब्याज दर, इक्विटी कीमतों और चलनिधि जोखिम के संबंध में उनके लचीलेपन का अध्ययन किया गया। नीचे से ऊपर दबाव परीक्षण के लिए उसी प्रकार के निर्धारित आघातों का प्रयोग चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर किया गया।

**क्रेडिट जोखिम**

2.14 एसडी<sup>25</sup> (अर्थात यदि 54 चयनित एससीबी का औसत जीएनपीए अनुपात 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो जाए) के कठोर आघात से प्रणाली स्तर सीआरएआर 13.5 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत हो जाएगा और टियर-1 सीआरएआर 11.4 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 2.12 क)। इसलिए प्रणाली स्तर पर पूंजी में हास का प्रतिशत लगभग 25 हो सकता है। प्रति दबाव परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्रणाली स्तर सीआरएआर को कम करके 9 प्रतिशत तक लाने के लिए 4.28 एसडी के आघात की आवश्यकता है। बैंक स्तर पर दबाव परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि 20 बैंक, जिनका एससीबी की कुल आस्तियों में 59.7 प्रतिशत हिस्सा है, जीएनपीए अनुपात में 3एसडी वृद्धि के आघात से अपेक्षित सीआरएआर बनाए रखने में असफल हो सकते हैं (चार्ट 2.12 ख)। उक्त आघात की स्थिति में पीएसबी पर इसका तीव्र प्रभाव दिखाई दे सकता है, 21 पीएसबी में से 18 पीएसबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे जा सकता है।

चार्ट 2.12: क्रेडिट जोखिम - आघात और प्रभाव



नोट: चयनित 54 एससीबी प्रणाली के लिए  
 आघात 1: जीएनपीए अनुपात पर 1 एसडी आघात  
 आघात 2: जीएनपीए अनुपात पर 2 एसडी आघात  
 आघात 3: जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी आघात  
 स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

<sup>22</sup> क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षणों के अतिरिक्त संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया। पूर्व स्थिति में आस्ति गुणवत्ता(जीएनपीए) को प्रत्यक्ष आघात दिए गए थे, बाद में प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक स्थितियों के संबंध में आघात थे। हालांकि, समष्टि दबाव परीक्षणों का केंद्र क्रेडिट जोखिम है लेकिन संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण, ब्याज दर, इक्विटी कीमत और चलनिधि जोखिम को शामिल किया जाता है।

<sup>23</sup> दबाव परीक्षणों के विवरण के लिए, कृपया अनुबंध 2 देखें।

<sup>24</sup> ऊपर से नीचे के दबाव परीक्षण आरबीआई द्वारा किए जाते हैं जो बैंकों पर किए गए दबाव परीक्षणों के प्रभाव के तुलनात्मक मूल्यांकन के समेकित बैंकवार आंकड़ों और विशिष्ट परिदृश्यों पर आधारित होते हैं। जबकि, दूसरी ओर, नीचे से ऊपर दबाव परीक्षण बैंकों द्वारा स्वयं किए जाते हैं जो उनके अपने आंकड़ों का उपयोग करते हुए आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट धारणाओं अथवा परिदृश्यों पर आधारित होते हैं।


<sup>25</sup> जीएनपीए अनुपात के एसडी का अनुमान सन 2003 से त्रैमासिक आंकड़ों का प्रयोग करके किया गया है।

2.15 चयनित एससीबी के सीआरएआर का वितरण दर्शाता है कि जीएनपीए अनुपात पर 3डी आघात के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के सीआरएआर में 4 प्रतिशत से भी कम का बदलाव हुआ जबकि वितरण के दाएं आधे हिस्से पर पीएसबी का वर्चस्व रहा (चार्ट 2. 13)। पीएसबी में से गैर-पीसीए की तुलना में पीसीए पीएसबी ने आघात से सीआरएआर में काफी बदलाव महसूस किया, जो उनकी बहियों में अंतर्निहित दबाव को इंगित करता है और जो उन्हें आघातों के प्रति अतिसंवेदनशील बना रहा है (चाट 2.14)।

**क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम**


2.16 दवाबग्रस्त अग्रिमों के अनुसार शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर विचार करते हुए बैंक के क्रेडिट संकेंद्रण पर दवाब परीक्षण दर्शाता है कि शीर्ष तीन उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक<sup>26</sup> करने के चरम परिदृश्य में आठ बैंकों पर इसका प्रभाव उल्लेखनीय था। एससीबी की कुल आस्तियों में 17.4 प्रतिशत हिस्सा इन बैंकों का है। शीर्ष 1, 2 और 3 दवाबग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य में प्रणाली स्तर के सीआरएआर पर प्रभाव क्रमशः 63, 99 और 124 आधार अंक होगा (चार्ट 2.15).

**चार्ट 2.13: बैंकों के सीआरएआर का वितरण**  
(जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी आघात के तहत)




नोट: चयनित 54 एससीबी प्रणाली के लिए।  
स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

**चार्ट 2.14: सीआरएआर में बदलाव का दायरा**  
(जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी आघात के अंतर्गत)



<sup>26</sup> चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता हानि वर्ग में आ गया। ब्याँरे के लिए कृपया अनुबंध 2 देखें।

चार्ट 2.15: क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता - दवाबग्रस्त अग्रिम




**नोट:** चयनित 54 एससीबी प्रणाली के लिए।  
 आघात 1: शीर्ष दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करता है।  
 आघात 2: शीर्ष दो दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।  
 आघात 3: शीर्ष तीन दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।  
**स्रोत:** रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

2.17 एकसपोजर के अनुसार शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर विचार करते हुए बैंक के ऋण संकेंद्रीकरण पर दवाब परीक्षण दर्शाता है कि शीर्ष तीन उधारकर्ताओं द्वारा चुकोती में चूक<sup>27</sup> करने के चरम परिदृश्य में पांच बैंकों पर इसका प्रभाव<sup>26</sup> उल्लेखनीय था। एससीबी की कुल आस्तियों में 9.8 प्रतिशत हिस्सा इन 5 बैंकों का

है (चार्ट 2.16)। सभी शीर्ष तीन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य के तहत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर 99 आधार अंक से प्रभावित होगा।

2.18 शीर्ष उधारकर्ताओं समूह की जानकारी पर आधारित बैंक के ऋण एकसपोजर संकेंद्रण पर विभिन्न परिदृश्यों का

चार्ट 2.16: क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता - एकसपोजर



**नोट:** चयनित 51 एससीबी प्रणाली के लिए।  
 आघात 1: शीर्ष दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करता है।  
 आघात 2: शीर्ष दो दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।  
 आघात 3: शीर्ष तीन दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।  
**स्रोत:** रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

<sup>27</sup> चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता अवमानक वर्ग में आ गया है। ब्योरे के लिए कृपया अनुबंध-2 देखें।

सारणी 2.1: ऋण संकेंद्रण जोखिम- समूह उधारकर्ता - एक्सपोजर

आघात	प्रणाली स्तर*				बैंक स्तर	
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर	एनपीए अनुपात	पूंजी की तुलना में हानि का %	प्रभावित बैंक (सीआरएआर < 9%)	
बेसलाइन (आघात पूर्व )	13.5	11.4	11.5	---	बैंकों की संख्या	एससीबी की कुल आस्तियों में हिस्सा (% में)
आघात 1: शीर्ष 1 उधारकर्ता समूह चूक करता है।	12.7	10.5	15.5	7.0	3	5.9
आघात 2: शीर्ष 2 उधारकर्ता समूह चूक करते हैं।	12.1	9.9	18.3	11.8	5	9.8
आघात 3: शीर्ष 3 उधारकर्ता समूह चूक करते हैं।	11.6	9.3	20.7	16.0	7	15.7

\*चयनित 51 एससीबी की प्रणाली के लिए।


स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

उपयोग करते हुए किए गए दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि शीर्ष उधारकर्ता समूह और दो शीर्ष उधारकर्ता समूह द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर पूंजी की हानि क्रमशः 28 7.0 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत के लगभग हो सकती है। यदि शीर्ष 3 उधारकर्ता समूह चूक करते हैं तो सात बैंक अपने सीआरएआर स्तर को 9 प्रतिशत बनाए रखने में असफल रहेंगे (तालिका 2.1)।

### क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.19 आधारभूत संरचना क्षेत्र (विशेषकर ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार) के साथ-साथ वस्त्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र पर एक्सपोजर से उत्पन्न ऋण जोखिम का परीक्षण, क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षण के माध्यम से किया गया, यह एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र था जहाँ जीएनपीए अनुपात नियत प्रतिशत अंकों में बढ़ने का अनुमान था। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के जीएनपीए अनुपात पर पड़े प्रभाव का परीक्षण किया गया। पीएसबी का इन क्षेत्रों पर सर्वाधिक एक्सपोजर और उच्चतम जीएनपीए था विशेषतः ऊर्जा व दूरसंचार क्षेत्र। दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि जिन क्षेत्रों पर विचार किया गया उनमें से ऊर्जा क्षेत्र पर हुए सबसे गंभीर आघात के कारण बैंकिंग प्रणाली जीएनपीए में लगभग 68 आधार अंकों की वृद्धि हुई। वस्त्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र ने भी बैंकिंग क्षेत्र को काफी दबाव पहुंचाया हालांकि इन क्षेत्रों में कुल अग्रिमों का हिस्सा आधारभूत संरचना क्षेत्र के मुकाबले काफी कम था (चार्ट 2.17)।

चार्ट 2.17: क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम - प्रणाली के जीएनपीए अनुपात पर प्रभाव



#: आघात से क्षेत्रगत एनपीए अनुपात में प्रतिशत वृद्धि और मानक अग्रिम का कुछ भाग एनपीए में बदलना कल्पित है। आघात परिदृश्य में मानक अग्रिमों में से उत्पन्न हुए नए एनपीए को विभिन्न आस्तियों (विद्यमान पैटर्न के अनुसार) में वितरण कल्पित किया गया है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

<sup>28</sup> चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता अवमानक वर्ग में आ गया है। ब्योरे के लिए कृपया अनुबंध-2 देखें।

### ब्याज दर जोखिम


2.20 बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएएस) और व्यापार हेतु रखे गए (एचएफटी) वर्ग (प्रत्यक्ष प्रभाव) के निवेशों के संबंध में, प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों का समान्तर ऊर्ध्व बदलाव होने से प्रणाली स्तर सीआरएआर लगभग 126 आधार अंक नीचे आएगा (तालिका 2.2)। यदि अलग-अलग स्तर पर देखें तो कुल आस्ति का लगभग 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले छह बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम हो जाएगा। प्रणाली स्तर पर पूंजी में लगभग 10.4 प्रतिशत हानि होने का अनुमान है। बैंकों की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) निवेश सूचियों के संबंध में, यदि वे बाजार मूल्यों के अनुसार अंकित हों (एमटीएम), प्रतिफल वक्र के समांतर ऊर्ध्व बदलाव में 2.5 प्रतिशत अंकों के आघात की यदि कल्पना की जाए तो सीआरएआर में लगभग 260 आधार अंकों की कमी आएगी, परिणामतः 16 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के नीचे जाएगा।

2.21 10-वर्ष बेंचमार्क सोवरेन कर्ज पर प्रतिफल 01 जनवरी 2018 को 7.3 प्रतिशत था जो 14 मई 2018 को 7.8 प्रतिशत हो गया। इसके कारण प्रणालीगत सीआरएआर लगभग 25 आधार अंक कम हो गया (मार्च 2018 के अंत में दी गई उनकी आस्ति स्थिति और अवधि)। 2 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के विनियामकीय आवश्यकताओं के नीचे जा सकता है (यह मानते हुए कि चारों तिमाहीयों में उनकी हानि में विस्तार नहीं होगा)। मार्च 2018 के अंत में PV01 का मान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए ₹3.7 बिलियन, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए ₹0.6 बिलियन, विदेशी बैंकों के लिए ₹0.3 बिलियन थे। प्रतिफल में और उर्ध्व दबाव बैंकिंग क्षेत्र की पहले से दबावग्रस्त लाभप्रदता को बाधित कर सकता है।

### इक्विटी कीमत जोखिम

2.22 इक्विटी कीमत जोखिम के अंतर्गत, बैंक की पूंजी पर इक्विटी कीमत में गिरावट के आघात के प्रभाव और लाभ का परीक्षण किया गया। दबावग्रस्त इक्विटी कीमतों में 55 प्रतिशत गिरावट के अंतर्गत प्रणालीगत सीआरएआर में बेसलाइन से केवल 40 आधार अंकों की कमी आएगी, जबकि तीन बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के विनियामकीय आवश्यकताओं के नीचे जाएगा (चार्ट 2.18)। इक्विटी कीमत में गिरावट का प्रभाव संपूर्ण प्रणाली के लिए सीमित है क्योंकि पूंजी बाजार में बैंकों के एक्सपोजर पर निर्दिष्ट विनियामकीय सीमाएं अत्यंत कम हैं।

चार्ट 2.18: इक्विटी कीमत जोखिम



नोट: चयनित 48 एससीबी प्रणाली के लिए।  
 आघात 1: इक्विटी कीमत में 25 प्रतिशत की गिरावट  
 आघात 2: इक्विटी कीमत में 35 प्रतिशत की गिरावट  
 आघात 3: इक्विटी कीमत में 55 प्रतिशत की गिरावट  
 स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

सारणी 2.2: ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह- आघात और प्रभाव  
 (250 आधार अंकों के आघात के तहत आईएनआर प्रतिफल वक्र में ऊपर की ओर अंतराल)

(प्रतिशत)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी एससीबी	
	एफएएस	एचएफटी	एफएएस	एचएफटी	एफएएस	एचएफटी	एफएएस	एचएफटी
संशोधित अवधि	3.6	2.5	1.7	1.7	1.4	2.2	2.9	1.9
कुल निवेश में शेयर	43.7	0.0	34.0	5.4	79.4	20.6	43.7	3.0
सीआरएआर में घटौती (बीपीएस)	172		49		143		126	

नोट: चयनित 48 एससीबी प्रणाली के लिए।  
 स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ आकलन।

### चलनिधि जोखिम: चलनिधि-स्टॉक पर जमाराशियों में कमी का प्रभाव


2.23 चलनिधि जोखिम विश्लेषणों का उद्देश्य यह रहता है कि जमाराशियों की कमी होने और स्वीकृत / वचनबद्ध/गारंटीकृत क्रेडिट लाइनों के अप्रयुक्त हिस्सों हेतु बढ़ी हुई मांग से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को समझा जा सके। बैंक सामान्यतः अपनी उच्च कोटि की चल आस्तियों(एचक्यूएलए)<sup>29</sup> की सहायता से चलनिधि आघातों को सहन करने की स्थिति में हो सकते हैं। कल्पित परिदृश्यों में गैर-बीमाकृत जमाराशियों<sup>30</sup> का आहरण बढ़ जाएगा और साथ ही साथ क्रेडिट की मांग भी बढ़ेगी जिससे बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से का आहरण और क्रेडिट वचनबद्धताओं तथा गारंटियों का उपयोग भी बढ़ेगा।

2.24 अपनी दैनिक चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए का प्रयोग करते हुए 42 बैंक लगभग 12 प्रतिशत जमाराशियों का आकस्मिक आहरण और वचनबद्ध क्रेडिट लाइनों के 75 प्रतिशत उपभोग के कल्पित परिदृश्य के प्रति आघात-सहनीय बने रहेंगे (चार्ट-2.19)।

### ऊर्ध्वमुखी (बाटम-अप) दबाव परीक्षण

2.25 चुनिंदा नमूनागत बैंकों<sup>31</sup> के संबंध में 31 मार्च 2018 की संदर्भ तारीख के अनुसार दबावग्रस्त संतुलन परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की शृंखला को अंजाम दिया गया। चुनिंदा बैंकों द्वारा किए गए दबावग्रस्त संतुलन परीक्षणों के परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विभिन्न प्रकार के अधिक आघातों से उबरने के लिए चयनित बैंकों में क्षमता उपलब्ध है। हालांकि बाटम-अप दबाव परीक्षण यह इंगित करता है कि इनका (आघातों का) प्रभाव कतिपय बैंकों खासकर 5 पीएसबी पर कहीं ज्यादा था विशेष रूप से जिनकी अनर्जक आस्तियों पर दबाव (आघात) का परीक्षण किया गया था क्योंकि उनका

चार्ट 2.19: चलनिधि जोखिम-एचक्यूएलए के प्रयोग से आघात और प्रभाव (चलनिधि सहायता के लिए एचक्यूएलए के प्रयोग)



नोट :

1. एक बैंक को परीक्षण में 'असफल' माना जाता था जब वह अपनी चलनिधि-आस्तियों की सहायता से तनाव परिस्थितियों( आघात देने पर) में आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।
2. आघात: चलनिधि-आघात में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों(मंजूर कार्यशील पूंजी की सीमाओं के साथ-साथ उनके ग्राहकों के लिए क्रेडिट प्रतिबद्धताओं के अप्रयुक्त भाग शामिल हैं) के 75 प्रतिशत की मांग शामिल है और नीचे दी गई गैर बीमा राशि के एक हिस्से की वापसी भी शामिल है -

आघात	आघात 1	आघात 2	आघात 3
गैर बीमाकृत जमाराशियों का आहरण प्रतिशत	10	12	15

स्रोत: आरबीआई की बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन


<sup>29</sup> इस दबाव परीक्षण संक्रिया के लिए अंत-मार्च 2018 के आंकड़ों पर आधारित अपेक्षित सीआरआर से अतिरिक्त नकदी प्रारक्षित, अतिरिक्त एसएलआर निवेशों, एसएलआर निवेशों और एनडीटीएल के 2 प्रतिशत का एसएलआर में निवेश (एमएसएफ के तहत) और एनडीटीएल के 9 प्रतिशत का एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए का आकलन किया गया

<sup>30</sup> वर्तमान में कुल जमाराशियों का लगभग 70 प्रतिशत गैर-बीमाकृत जमाराशियों के रूप में है (स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय पुस्तिका)।

<sup>31</sup> 19 नमूना बैंकों (9 पीएसबी, 7 निजी बैंक, 3 विदेशी बैंक) पर दबाव परीक्षण किए गए। उसी प्रकार के आघात टॉप-डाउन और बॉटम-अप दबाव परीक्षण के लिए उपयोग में लाए गए। ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।



चार्ट 2.20: बाटम-अप दबाव परीक्षण - ऋण एवं बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव



ऋण जोखिम : समग्र ऋण	आघात1 आघात2 आघात3	जीएनपीए 50 प्रतिशत बढ़ा जीएनपीए 100 प्रतिशत बढ़ा जोखिम आधारित प्रत्येक टॉप 5 उद्योग / क्षेत्र का जीएनपीए 5 प्रतिशत बढ़ गया
ऋण जोखिम: संकेन्द्रन	आघात1 आघात2 आघात3	टॉप 3 एकल उधारकर्ता की चूक सबसे बड़े समूह उधारकर्ता की चूक प्रत्येक टॉप 5 उद्योग / क्षेत्र के सबसे बड़े उधारकर्ता की चूक
ब्याज दर जोखिम- बैंकिंग बुक	आघात	भारतीय रुपये के प्रतिफल के वक्र में 2.5 प्रतिशत बिन्दु की समानांतर वृद्धि
ब्याज दर जोखिम ट्रेडिंग बुक	आघात	भारतीय रुपये के प्रतिफल के वक्र में 2.5 प्रतिशत बिन्दु की समानांतर वृद्धि

स्रोत: चुनिंदा बैंक (दबाव परीक्षण)।


दबावग्रस्त सीआरएआर विनियामकीय न्यूनतम 9% की पूंजी पर्याप्तता से कम था (चार्ट 2.20)।

2.26 चलनिधि जोखिम के लिए बाटम-अप दबाव परीक्षण के परिणाम चुनिंदा बैंकों पर चलनिधि संबंधी आघातों का प्रभाव अधिक दर्शाते हैं। विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए चलनिधि आस्ति अनुपात 32 विभिन्न परिस्थितियों में चुनिंदा बैंकों की चलनिधि स्थिति को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं। परिणाम यह दर्शाते हैं कि नमूने में एचक्यूएलए बैंकों को जमाकर्ताओं द्वारा अचानक और अप्रत्याशित आहरण करने के दबाव की दशा में चलनिधि / नकदी उपलब्ध करने में सक्षम करते हैं। (चार्ट 2.21) बैंकों के पास चलनिधि आस्ति अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रहा।

### बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

2.27 31 मार्च 2018 के अंत को संदर्भ तारीख मानते हुए चुनिंदा बैंकों<sup>32</sup> हेतु डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में बाटम-अप दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की श्रृंखलाएं प्रतिपादित की गईं। नमूने में शामिल बैंकों ने ब्याज और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के संबंध में 4 अलग-अलग आघातों के परिणाम रिपोर्ट किए। ब्याज दरों से संबंधित आघातों 100 से 250 आधार अंकों के बीच

चार्ट 2.21: बाटम-अप दबाव परीक्षण - चलनिधि जोखिम



#### चलनिधि आस्ति परिभाषा

1 एचक्यूएलए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशानिर्देशों के अनुसार

#### चलनिधि आघात

आघात 1 लघु अवधि के दौरान 10 प्रतिशत जमाओं का आहरण किया गया (जैसे 1 या 2 दिन)

आघात 2 5 दिनों के भीतर 3 प्रतिशत जमाओं का आहरण (प्रतिदिन)

स्रोत: चुनिंदा बैंक (समग्र दबाव अनुपात)

<sup>32</sup> चलनिधि आस्ति अनुपात =  $\frac{\text{चलनिधि आस्ति}}{\text{कुल आस्ति}} \times 100$ । आघात परिदृश्य के अंतर्गत, नकारात्मक चलनिधि आस्तियां अनुपात आवश्यक जमा आहरण में कमी के प्रतिशत को दर्शाता है।


<sup>33</sup> डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में नमूने के 22 बैंकों हेतु दबाव परीक्षण किया गया। विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

थे जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए 20 प्रतिशत मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के आघात दिए गए। दबाव परीक्षण एकल आघातों के लिए किए गए।

2.28 नमूने में बैंकों के बाजार मूल्य पर आधारित डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो की वैल्यू पीएसबी और निजी बैंक के लिए, जिसने छोटे रूप में एमटीएम वैल्यू दर्ज किया, को छोड़कर भिन्न-भिन्न रही जबकि अधिकतर विदेशी बैंकों के संदर्भ में बड़े आकार के सकारात्मक और नकारात्मक एमटीएम वैल्यू दर्ज किए गए। अधिकतर पीएसबी और निजी बैंक का सकारात्मक निवल एमटीएम था जबकि अधिकतर विदेशी बैंकों ने निवल नकारात्मक एमटीएम वैल्यू दर्ज किया (चार्ट 2.22)।


2.29 दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने हेतु चुने गए बैंकों पर ब्याज दर आघातों का औसत निवल प्रभाव नगण्य रहा। विदेशी मुद्रा विनिमय आघातों के परिदृश्य परिणाम यह दर्शाते हैं कि पिछले मार्च 2017 की तेजी के बाद मार्च 2018 में आघातों का प्रभाव सामान्य होना जारी रहा है। (चार्ट 2.23)।

चार्ट 2.22: कुल डेरिवेटिव का एमटीएम मूल्य - चुनिंदा बैंक - मार्च 2018



टिप्पणी: पीएसबी - सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी - निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी - विदेशी बैंक  
 स्रोत: नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.23: चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव संविभाग पर आघात का प्रभाव-दबाव परीक्षण (आघात देने पर निवल एमटीएम में बदलाव)



टिप्पणी: आघात देने के कारण बेसलाइन के सापेक्ष निवल एमटीएम में बदलाव  
 स्रोत: नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

## खंड II

### अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

#### कार्यनिष्पादन

2.30 प्रणालीगत स्तर पर<sup>34</sup> अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर सितंबर 2017 एवं मार्च 2018 के बीच बिना बदलाव के 13.6 प्रतिशत रहा। हालांकि भिन्न-भिन्न देखा जाए तो 4 बैंक सीआरएआर<sup>35</sup> के न्यूनतम अपेक्षित 9 प्रतिशत के स्तर के नीचे रहे। एसयूसीबी के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए में काफी कमी हुई और ये 8.5 प्रतिशत से घटकर 6.0 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान उनका प्रावधान कवरेज अनुपात<sup>36</sup> 47.1 प्रतिशत से बढ़कर 61.8 प्रतिशत हो गया। साथ ही एसयूसीबी के आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में गिरावट से वह 0.9 से 0.6 प्रतिशत तथा उसी अवधि के दौरान चलनिधि अनुपात<sup>37</sup> 35.7 प्रतिशत से 34.9 प्रतिशत घट गया।

### समुत्थानशक्ति- दबाव-परीक्षण

#### ऋण जोखिम

2.31 एसयूसीबी के सीआरएआर के संबंध में ऋण जोखिम आघातों का प्रभाव चार अलग-अलग परिदृश्यों<sup>38</sup> के अंतर्गत देखा गया। परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि सबसे खराब परिदृश्य जीएनपीए में दो एसडी/विचलन की वृद्धि, एसयूसीबी का प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा के स्तर के ऊपर रहा। हालांकि, अलग-अलग एसयूसीबी के संबंध में देखा जाए तो सबसे खराब परिदृश्य के अंतर्गत काफी संख्या (54 में से 26) में एसयूसीबी सीआरएआर के अपेक्षित स्तरों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

## चलनिधि जोखिम

2.32 चलनिधि जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण दो अलग-अलग परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए - 1 से 28 दिवसीय समयावधि (टाइम बकेट) में नकदी बहिर्वाह (outflow) में i) 50 प्रतिशत; एवं ii) 100 की वृद्धि संभावित थी। इसके आगे, यह माना गया कि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत नकदी अंतर्वाह (inflow) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दबाव परीक्षण के परिणामों से संकेत मिलता है कि पहले परिदृश्य में 25 बैंक और दूसरे परिदृश्य में 40 बैंक पर भारी असर पड़ेगा।<sup>39</sup>

## खंड III

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

2.33 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 11,402 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पंजीकृत थीं, जिनमें से 156 जमा स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) थीं। 249 जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)<sup>40</sup> थीं। सभी एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई, रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के साथ ही पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं तथा प्रावधानीकरण मानदंडों जैसे विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन हैं।

#### कार्यनिष्पादन

2.34 31 मार्च 2018 को एनबीएफसी सेक्टर<sup>41</sup> के समग्र तुलन पत्र का आकार 22.1 बिलियन था। वर्ष 2017-18 में एनबीएससी में शेयर पूंजीगत विकास में मंदी थी जबकि उधार में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई फलस्वरूप एनबीएफसी सेक्टर में लीवरेज बढ़ा। ऋण तथा अग्रिमों

<sup>34</sup> 54 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की प्रणाली के लिए।

<sup>35</sup> सभी 25 अनुसूचित यूसीबी कि सकल आस्तियों में 4 अनुसूचित यूसीबी की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत है।

<sup>36</sup> प्रावधान कवरेज अनुपात = (एनपीए हेतु धारित प्रावधान\*100/जीएनपीए)

<sup>37</sup> चलनिधि अनुपात = (नकदी + बैंकों से प्राप्त + एसएलआर निवेश)\*100/ कुल आस्तियाँ)

<sup>38</sup> चारों परिदृश्य इस प्रकार हैं: i) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), ii) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), iii) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत), और iv) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत)। एसडी का अनुमान 10 वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लगाया गया। दबाव परीक्षणों के विवरण हेतु अनुबंध-2 देखिए।

<sup>39</sup> आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 से 28 दिवसीय समयावधि में असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी अंतर्वाह नकदी बहिर्वाह से कम)] बहिर्वाह के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आघात के पश्चात कई एसयूसीबी का 20 प्रतिशत असंतुलन के ऊपर रहने का कारण यह है कि यह एसयूसीबी बहुत कम चलनिधि मार्जिन पर काम कर रहे हैं।

<sup>40</sup> 15 मार्च 2018 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरबीआई को सभी सरकारी एनबीएफ द्वारा ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत किया जाना है।

<sup>41</sup> सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी सहित।

में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और निवेशों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी- 2.3)।

2.35 वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान निवल लाभ में 30.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 में आरओए 1.6 की तुलना में 2017-18 में यह 1.9 प्रतिशत थी। (सारणी 2.3 और 2.4)

### आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.36 कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी क्षेत्र का जीएनपीए 2017-18<sup>42</sup> में घटकर 5.8 प्रतिशत हो गया जो 2016-17 में 6.1 प्रतिशत था।

2.37 मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी से यह अपेक्षा है कि वे निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपने पास रखें, जो टियर-143 तथा टियर-II पूंजी को समाहित करते हुए उनकी समग्र जोखिम-भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी का सीआरएआर 2017-18 में बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो गया जो 2016-17 में 22.0 प्रतिशत था (चार्ट - 2.5)।

### समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण

#### प्रणालीगत स्तर

2.38 पूर्णरूपेण एनबीएफसी क्षेत्र के लिए ऋण जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए तीन परिदृश्यों/परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए : जीएनपीए में (i) 0.5 मानक विचलन (एसडी) (ii) 1 एसडी (iii) 3 एसडी की वृद्धि। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि सीआरएआर पहले परिदृश्य में 22.9 प्रतिशत से घटकर 21.6 प्रतिशत, दूसरे परिदृश्य में यह गिरकर 21.3 प्रतिशत तथा तीसरे परिदृश्य में यह घटकर 20.4 प्रतिशत रह गया।

### सारणी 2.3: एनबीएफसी क्षेत्र का सकल तुलन पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

(प्रतिशत)

	2016-17	2017-18
1. शेयर पूंजी	19.9	8.3
2. आरक्षित(प्रारक्षित) निधि एवं बेशी	16.9	19.9
3. कुल उधार	13.5	19.1
4. वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	26.7	15.4
<b>कुल देयताएं/ आस्तियां</b>	<b>15.2</b>	<b>18.6</b>
1. ऋण एवं अग्रिम	14.6	21.2
2. निवेश	14.8	13.4
3. अन्य आस्तियां	20.8	5.5
<b>आय/ व्यय</b>		
1. कुल आय	9.7	11.9
2. कुल व्यय	14.3	9.7
3. निवल लाभ	-14.4	30.8

स्रोत: भारिबं पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

### सारणी 2.4 : एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिंदा अनुपात

(प्रतिशत)

	2016-17	2017-18
1. कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी बाजार में एक्सपोजर	8.5	7.5
2. कुल आस्तियों का रियल इस्टेट एक्सपोजर (आरईई)	6.3	7.5
3. लीवरेज अनुपात	3.4	3.5
4. कुल आय की तुलना में निवल लाभ	13.4	15.6
5. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.6	1.9
6. इक्विटी पर प्रतिलाभ	6.9	8.4

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

### सारणी 2.5 : एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिंदा अनुपात

(प्रतिशत)

मद	जीएनपीए अनुपात	एनएनपीए अनुपात	सीआरएआर
2013-14	2.7	1.2	27.5
2014-15	2.9	1.6	26.2
2015-16	4.3	2.4	23.9
2016-17	6.1	4.1	22.0
2017-18	5.8	3.5	22.9

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

<sup>42</sup> एनबीएफसी के एनपीए की पहचान करने संबंधी मानदंडों को एक ग्लाइड पथ पर बैंकों के अनुरूप बनाया गया है। 2017-18 के अनुसार, यह उम्मीद की गई थी कि मानदंडों में इस संपरिवर्तन से इस क्षेत्र के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि दिखेगी। यद्यपि, 2016-17 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के उन्नयन के कारण और आस्तियों में वृद्धि के कारण भी, अनुपात में मामूली गिरावट रही।

<sup>43</sup> 01 अप्रैल 2017 से एनबीएफसी-एनडी-एसआई और जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी को न्यूनतम 10 प्रतिशत टीयर-1 पूंजी रखने की आवश्यकता है।

**एकल एनबीएफसी**

2.39 एकल एनबीएफसी के दबाव-परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि पहले दो परिदृश्यों में 8 प्रतिशत कंपनियाँ सीआरएआर की विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम पूंजी के 15 प्रतिशत के स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी। तीसरे परिदृश्य के अंतर्गत लगभग 10 प्रतिशत कंपनियाँ विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी।

**खंड IV**


**अंतरसंबद्धता<sup>44</sup>**

**अंतर-बैंक<sup>45</sup> बाज़ार**

2.40 अंतर-बैंक बाजार का आकार मार्च 2017 में ₹8.1 ट्रिलियन से घटकर मार्च 2018 में ₹6.5 ट्रिलियन हो गया। मार्च 2018 में अंतर-बैंक एक्सपोज़र बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 4.6 प्रतिशत था जो पांच साल पहले 9.5 प्रतिशत के मुकाबले काफी गिरावट दर्शाता है। अंतर-बैंक बाजार में वर्चस्व रखने वाले निधि-आधारित खंड की हिस्सेदारी मार्च 2018 में 88 प्रतिशत रही जो कि मार्च 2017 में 84 प्रतिशत थी। (चार्ट 2.24)।


2.41 मार्च 2018 के अनुसार अंतर-बैंक बाजार में पीएसबी 58 प्रतिशत (कुल बैंक आस्तियों में 65 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में) की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में रहे हैं और इनके बाद निजी बैंक रहे हैं जिनका प्रतिशत 30.1 (कुल बैंक आस्तियों में 29 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में) तथा विदेशी बैंक का प्रतिशत 11.9 (कुल बैंक आस्तियों में 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में) हैं (चार्ट 2.25)।

**चार्ट 2.24: अंतर बैंक बाजार**



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।

**चार्ट 2.25: अंतर बैंक बाजार में विभिन्न बैंक-समूहों की हिस्सेदारी**




स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।

<sup>44</sup> इस विश्लेषण में प्रयोग किया गया नेटवर्क मॉडल वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शरी मारकोस (एसेक्स विश्वविद्यालय) और डॉ. सिमोन गियानसंते (बाथ विश्वविद्यालय) द्वारा विकसित किया गया है।

<sup>45</sup> यह विश्लेषण 80 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत मार्च 2018 तक के आंकड़ों तक सीमित है। अंतर-बैंक बाजार एक्सपोज़र जैसा कि वर्तमान विश्लेषण में कोनोट किया गया है, बैंकों के बीच, अल्पावधि (365 दिनों तक) और दीर्घावधि (365 दिनों से अधिक) समय बकाया एक्सपोज़र का कुल जोड़ है।

चार्ट 2.26: निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार की संरचना




स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन

2.42 अल्पकालिक फंड आधारित एक्सपोज़र की संरचना से पता चलता है कि अल्पकालिक ऋण के बाद सबसे अधिक शेयर अल्पावधि जमा का था। उसी तरह, दीर्घकालिक फंड आधारित एक्सपोज़र की संरचना से पता चलता है कि दीर्घकालिक ऋण लिखतों के बाद उच्चतम हिस्सा ऋण और अग्रिमों का था। (चार्ट 2.26)।

### नेटवर्क संरचना और संयोजकता

2.43 बैंकिंग प्रणाली<sup>46</sup> की नेटवर्क संरचना<sup>47</sup> यह दर्शाती है कि मार्च 2012 से मार्च 2018 के बीच वर्चस्व वाले बैंकों (सबसे भीतरी कोर में स्थित बैंक) की संख्या 9 से घटकर 4 हो गई है (चार्ट 2.27)।

चार्ट 2.27: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (एससीबी+एसयूसीबी) - मार्च 2018



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।

<sup>46</sup> इस विश्लेषण में 80 एससीबी और 20 एसयूसीबी पर विचार किया गया है।

<sup>47</sup> बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का आरेखीय निरूपण टीयर संरचना का है जहां विभिन्न बैंकों के पास नेटवर्क में अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग मात्रा और स्तर की संयोजकता है। प्रस्तुत विश्लेषण में सर्वाधिक संयोजित बैंक सबसे भीतरी कोर (नेटवर्क आरेख के केन्द्र) में हैं। इसके बाद सापेक्षित संयोजकता के आधार पर बैंकों को मध्य कोर, बाहरी कोर और परिधि (आरेख के केन्द्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित वृत्त) में बैंकों को रखा गया है। टीयर नेटवर्क आरेख में लिंक की रंग कोडिंग नेटवर्क में विभिन्न टीयर्स से उधारी को निरूपित करती है (उदाहरण के लिए, हरे लिंक भीतरी कोर के बैंकों से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं)। प्रत्येक गैद एक बैंक को निरूपित करती है और प्रणाली में अन्य बैंकों की तुलना में उनकी निवल स्थिति को तदनुसार भारित किया गया है। प्रत्येक बैंक को लिंक करने वाली रेखाएँ बकाया एक्सपोजर के आधार पर भारित की गयी हैं।


2.44 बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) में परस्पर-संबद्धता की मात्रा में मार्च 2017 से मार्च 2018 के बीच हल्की वृद्धि हुई है जैसा कि *संयोजकता अनुपात*<sup>48</sup> द्वारा मापा गया है। *क्लस्टर गुणांक*<sup>49</sup>, जो स्थानीय परस्पर-संबद्धता दर्शाता है, मार्च 2013 और मार्च 2018 की अवधि के दौरान लगभग स्थिर बना रहा है जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली नेटवर्क के भीतर क्लस्टरिंग/समूहन में समय के साथ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है (चार्ट 2.28)।

### वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क<sup>50</sup>

2.45 वित्तीय प्रणाली<sup>51</sup> के दृष्टिकोण से, एससीबी प्रभावशाली संस्थाएं हैं जिनके पास मार्च 2018 के अनुसार कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर का लगभग 46 प्रतिशत (मार्च 2017 में 51 प्रतिशत) हिस्सा है, इनके बाद म्यूचुअल फंड का प्रबंध देखने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी-एमएफ) का हिस्सा 15 प्रतिशत (मार्च 2017 में 13 प्रतिशत), गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एन बी एफ सी) 12 प्रतिशत, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का लगभग 9 प्रतिशत तथा बीमा कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) का हिस्सा 8 प्रतिशत रहा है। वित्तीय प्रणाली में कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर पेन्शन फंड 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं और एसयूसीबी की 0.5 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी रही है।


2.46 अंतर-क्षेत्रीय एक्सपोजर<sup>52</sup> के संदर्भ में, एएमसी-एमएफ और इनके बाद बीमा कंपनियाँ प्रणाली में सर्वाधिक निधि प्रदाता हैं, जबकि एनबीएफसी और इनके बाद एचएफसी और एससीबी सर्वाधिक निधि प्राप्तकर्ता हैं। हालांकि एससीबी में से निजी बैंक और विदेशी बैंक दोनों की स्थिति सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की तुलना में निवल देय की स्थिति है, जबकि पीएसबी की स्थिति निवल प्राप्य की स्थिति है (चार्ट 2.29 तथा सारणी 2.6) ।

चार्ट 2.28: बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) की संबद्धता सांख्यिकी



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.29: वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट - मार्च 2018



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।

<sup>48</sup> संयोजकता अनुपात : यह उन आंकड़ों से संबन्धित है जो सम्पूर्ण नेटवर्क में सभी संभावित लिंकों के सापेक्ष नोडों के बीच लिंकों के विस्तार का मापन करता है।

<sup>49</sup> क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में प्रत्येक नोड किस तरह से अंतर-सम्बद्ध है, इसका मापन क्लस्टरिंग द्वारा किया जाता है। विशिष्ट रूप से बढ़ी हुई संभावना इस बात की होनी चाहिए कि किसी नोड के पड़ोसियों (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंकों के प्रतिपक्षी) को आपस में भी पड़ोसी होना चाहिए। प्रणाली में उच्च स्थानीय अंतर-संबद्धता मौजूद होने पर नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टर गुणांक भी वैसा ही होता है।

<sup>50</sup> यहाँ और आगामी भाग में प्रस्तुत विश्लेषण एक नमूने पर आधारित है जिसमें 80 एससीबी; 20 एसयूसीबी; 22 एएमसी-एमएफ (जो म्यूचुअल फंड क्षेत्र के एयएम का 90 प्रतिशत से अधिक कवर करता है); 32 एनबीएफसी (जमा स्वीकार करने और नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण दोनों तरह की कंपनियाँ); 21 बीमा कंपनी (जो बीमा कंपनियों की कुल आस्तियों का 90 प्रतिशत से अधिक कवर करता है); 15 एचएफसी; 7 पीएफ और 4 एआईएफआई (नाबाडे, एक्सिस, एनएचबी और सिडबी)।

<sup>51</sup> एक ही समूह के इकाइयों के एक्सपोजर शामिल हैं।

<sup>52</sup> अंतर-क्षेत्रीय एक्सपोजर में एक ही समूह के इकाइयों के बीच संव्यवहार शामिल नहीं हैं।

2.47 एसयूसीबी के अलावा सभी ऋणदाताओं की (अर्थात् जिनके पास शेष वित्तीय प्रणाली की तुलना में निवल प्राप्य स्थिति है) निवल प्राप्य स्थिति में मार्च 2017 की बनिस्बत वनिस्पत मार्च 2018 में बढ़ोतरी हुई है। पीएसबी की निवल प्राप्य में बढ़ोतरी उसकी धीमी ऋण वृद्धि तथा वित्तीय प्रणाली की अन्य इकाइयों में तदनु रूप जमा प्रवाह को दर्शाता है। ऋणकर्ताओं में से, एनबीएफसी, निजी बैंक और एचएफसी द्वारा लिए गए उधार में मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके विपरीत, एआईएफआई और विदेशी बैंक द्वारा लिए गए उधार में कमी हुई; विदेशी बैंक के मामले में तो यह गिरावट इस तरह रही कि वे वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत निवल ऋणदाता हो गए (चार्ट 2.30)।

#### एससीबी, एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों के बीच अन्योन्यक्रिया


2.48 बैंकिंग क्षेत्र के पास बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र दोनों का मिलाकर (मार्च 2017 में ₹154 बिलियन की तुलना में) मार्च 2018 में कुल सकल एक्सपोजर लगभग ₹323 बिलियन था। जबकि, एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का बैंकिंग क्षेत्र के पास संयुक्त एक्सपोजर (सकल प्राप्य) काफी अधिक (मार्च 2017 में ₹4.8 ट्रिलियन की तुलना में मार्च 2018 में ₹6.2 ट्रिलियन) था।

सारणी 2.6: अंतर क्षेत्र आस्तियां और देयताएं - मार्च 2018

(₹ बिलियन)

वित्तीय संस्था	प्राप्तियाँ	देनदारियाँ
पीएसबी	6841.1	3236.2
निजी बैंक	3036.6	8512.3
विदेशी बैंक	981.9	916.9
एसयूसीबी	126.2	31.6
एआईएफआई	2410.4	2665.8
एएमसी एमएफ	8851.8	560.4
बीमा कंपनी	5022.1	207.4
एनबीएफसी	419.5	7169.9
पीएफ	583.6	1.3
एचएफसी	312.4	5283.8

चार्ट 2.30: संस्थाओं द्वारा दिए गए निवल ऋण (धनात्मक) / लिए गए उधार (ऋणात्मक)



स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ आकलन।




**एएमसी-एमएफ का एक्सपोजर**

2.49 आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड (एएमसी-एमएफ) से वित्तीय प्रणाली को सर्वाधिक निवल निधि प्राप्त हुई। मार्च 2018 में उनकी सकल प्राप्य राशियां लगभग ₹8,852 बिलियन (उनकी औसत एयूएम का लगभग 41 प्रतिशत) थीं, जबकि उनकी सकल देयताएं लगभग ₹560 बिलियन थीं। उनकी लगभग सभी प्राप्य राशियों (99.7 प्रतिशत) का स्वरूप फंड आधारित था। उनकी निधियों के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता क्रमशः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (44 प्रतिशत), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (26 प्रतिशत) एवं आवास वित्त कंपनियों (19 प्रतिशत) रहीं। आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड (एएमसी-एमएफ) मुद्रा बाजार (मुख्यतः वाणिज्यिक पत्र एवं जमा प्रमाणपत्र बाजारों में) में अपनी लगभग 45 प्रतिशत अल्पावधिक स्वरूप वाली प्राप्य राशियों के साथ काफी सक्रिय थे। उनकी शेष 55 प्रतिशत देयताएं दीर्घकालिक स्वरूप की थीं जिनमें दीर्घकालिक कर्ज के बाद पूंजी का सर्वाधिक हिस्सा था (चार्ट 2.31)।

**बीमा कंपनियों का एक्सपोजर**


2.50 बीमा कंपनियों की सकल प्राप्य राशियां ₹5,022 बिलियन एवं सकल देयताएं लगभग ₹207 बिलियन रहीं जिसके कारण मार्च 2018 में वित्तीय प्रणाली को सर्वाधिक निवल निधि उपलब्ध कराने में इन कंपनियों का दूसरा स्थान रहा। आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड के समान, बीमा कंपनियों की सकल प्राप्य राशियों का व्यौरा यह संकेत देता है कि उनकी निधियों के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता क्रमशः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (46 प्रतिशत), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (28 प्रतिशत) एवं आवास वित्त कंपनियों (20 प्रतिशत) रहीं। परंतु आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड के विपरीत, अल्पकालिक लिखतों के प्रति बीमा कंपनियों का एक्सपोजर सीमित रहा। उनकी प्राप्य राशियों का लगभग 91 प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालिक स्वरूप का था, जिनमें दीर्घकालिक कर्ज के बाद पूंजी सबसे महत्वपूर्ण थे (चार्ट 2.32)।

चार्ट 2.31: एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्य राशियां - मार्च 2018



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.32: बीमा कंपनियों की सकल प्राप्य राशियां - मार्च 2018



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।


### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर

2.51 मार्च 2018 में लगभग ₹7,170 बिलियन की सकल देयताओं एवं ₹419 बिलियन की सकल प्राप्त राशियों के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों वित्तीय प्रणाली से निधियों की सबसे बड़ी निवल उधारकर्ता रहीं। सकल देयताओं का व्यौरा यह संकेत देता है कि सर्वाधिक निधियां क्रमशः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एनबीएफसी को प्राप्त कुल निधियों का 44 प्रतिशत), आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंडों (33 प्रतिशत) एवं बीमा कंपनियों (19 प्रतिशत) से प्राप्त हुई थीं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निधियों के तीन सबसे बड़े स्रोत क्रमशः दीर्घकालिक कर्ज, दीर्घकालिक उधार एवं वाणिज्यिक पत्र रहे (चार्ट 2.33)।

### आवास वित्त कंपनियों के प्रति एक्सपोजर


2.52 मार्च 2018 में अपनी लगभग ₹5,284 बिलियन की देयताओं एवं मात्र ₹312 बिलियन की सकल प्राप्त राशियों के साथ आवास वित्त कंपनियों वित्तीय प्रणाली से निधियों की दूसरी सबसे बड़ी उधारकर्ता रहीं। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, एआईएफआई द्वारा आवास वित्त कंपनियों को निधि उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने को छोड़कर, आवास वित्त कंपनियों द्वारा उधार लेने का स्वरूप काफी हद तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान, आवास वित्त कंपनियों के लिए दीर्घकालिक कर्ज, दीर्घकालिक उधार एवं वाणिज्यिक पत्र तीन शीर्ष लिखत रहे जिनके माध्यम से उन्होंने वित्तीय बाजार से निधि जुटाया (चार्ट 2.34)।

चार्ट 2.33: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल देयताएं - मार्च 2018



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।

चार्ट 2.34: आवास वित्त कंपनियों की सकल देयताएं - मार्च 2018



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।


**संक्रामकता विश्लेषण<sup>53</sup>**

**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए संयुक्त ऋण-शोधन क्षमता-चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण**

2.53 विभिन्न बैंकों के प्रणालीगत महत्व के आकलन के लिए नेटवर्क टूल्स का प्रयोग करते हुए संक्रामकता विश्लेषण किया गया। प्रणालीगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण किसी बैंक की असफलता से वित्तीय प्रणाली को अधिक शोधन-क्षमता एवं चलनिधि हानि होगी। बदले में, ऋण शोधन-क्षमता एवं चलनिधि हानियां बैंकों की आरंभिक पूंजी एवं चलनिधि की स्थिति के साथ-साथ असफल बैंक का बैंकिंग प्रणाली में अन्य के साथ अंतःसंबंध की मात्रा, संख्या एवं प्रकृति (चाहे यह एक उधारदाता हो या उधारकर्ता) पर निर्भर करता है।

2.54 इस विश्लेषण में, बैंकों को एक समय में परिकल्पित रूप में ट्रिगर किया गया एवं बैंकिंग प्रणाली पर उनका प्रभाव आगे बैंकों के असफल होने की संख्या एवं वहन किए गए ऋण-शोधन क्षमता एवं चलनिधि हानियों की मात्रा के परिप्रेक्ष्य में देखा गया (चार्ट 2.35)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए संयुक्त ऋण-शोधन क्षमता<sup>54</sup>-चलनिधि<sup>55</sup> संक्रामकता के प्रभाव का आकलन एक साथ<sup>56</sup> किया गया।

**चार्ट 2.35: प्रतिनिधिक संचरणशील रूपरेखा - बैंक की विफलता का प्रभाव**



**टिप्पणी:** एक 'ट्रिगर संस्था' (केंद्र के नजदीक नीले रंग में दर्शाया गया बी013 नोड) की विफलता से संक्रामक फैलाव दर्शाया गया है। काले रंग में दर्शाये गए नोड ऋण-शोधन क्षमता समस्याओं के कारण विफल हो गए हैं, जबकि लाल रंग में दर्शाया गया नोड परिसमापन संबंधी मामलों के कारण विफल हो गया है।

**स्रोत:** रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।

2.55 बैंकिंग नेटवर्क<sup>57</sup> का संक्रामकता विश्लेषण यह संकेत देता है कि संक्रामक हानियों को पैदा करने की अधिकतम क्षमता रखने वाला बैंक यदि विफल हो जाता है (सारणी 2.7 में बैंक 1 के रूप में दर्शाया गया) तो यह बैंकिंग प्रणाली में कुल टियर 1 पूंजी का लगभग 9 प्रतिशत ऋण-शोधन क्षमता हानि, कुल चलनिधि आस्तियों का 4.2 प्रतिशत चलनिधि हानि एवं 15 बैंकों की असफलता का कारण बनेगा।

**सारणी 2.7 : सर्वाधिक संक्रामक प्रभाव वाले शीर्ष 5 बैंक - मार्च 2018**  
(संयुक्त शोधन क्षमता-चलनिधि संक्रामकता)

ट्रिगर बैंक (एससीबी)	चूक करने वाले बैंकों की संख्या		शोधन क्षमता हानियाँ (एससीबी एवं एसयूसीबी की कुल टियर 1 पूंजी का प्रतिशत)	परिसमापन हानियां (एससीबी एवं एसयूसीबी की कुल चलनिधि आस्तियों का प्रतिशत)
	एससीबी + एसयूसीबी	एसयूसीबी		
बैंक 1	15	7	9.0	4.2
बैंक 2	13	7	6.2	5.5
बैंक 3	8	2	2.7	5.4
बैंक 4	7	4	2.8	3.3
बैंक 5	7	5	2.4	3.4

**टिप्पणी :** शीर्ष 5 'ट्रिगर बैंकों' का चयन आगे उनके द्वारा ट्रिगर किए गए चूक की संख्या के आधार पर किया गया है।

**स्रोत:** रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ आकलन।

<sup>53</sup> कार्यप्रणाली के लिए, कृपया संलग्नक 2 देखें।

<sup>54</sup> शोधन क्षमता विश्लेषण में, किसी डॉमिनो प्रभाव के कारण एक अथवा अधिक उधारकर्ता बैंकों की विफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली को हुई सकल हानि सुनिश्चित की जाती है। संक्रामकता विश्लेषण के लिए विफलता मानदंडों को टियर 1 सीआरएआर के रूप में लिया गया है जो 7 प्रतिशत से नीचे गया।

<sup>55</sup> चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण में, किसी बैंक को विफल माना जाता है जब उसकी चल आस्तियां बड़े निवल देनदार की विफलता के कारण उत्पन्न चलनिधि दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं हों। चल आस्तियों का आकलन इस प्रकार किया जाता है : आधिक्य एसएलआर + आधिक्य सीआरएआर + 11 प्रतिशत एनडीटीएल

<sup>56</sup> आगे बढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए समान विनियम को लागू करने के क्रम में विफलता के लिए समान परिभाषा और मानदंडों को एसयूसीबी के लिए लिया गया है जो एससीबी पर भी लागू हैं।

<sup>57</sup> संक्रामकता को प्रारंभ करने के पहले शुरुआत में ही एक पीएसबी एवं एक एसयूसीबी ऋण-शोधन क्षमता मानदंडों पर विफल हो जाते हैं। इन दो बैंकों को संक्रामकता विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।


2.56 आशा के अनुरूप, विश्लेषण से यह भी पता चला कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की असफलता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी आगे मुश्किल पैदा करेगा, जबकि किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की विफलता का प्रभाव केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तक ही सीमित रहेगा।

### अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता का प्रभाव

2.57 किसी बैंक की विफलता के संक्रामक प्रभाव को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने की संभावना होती है यदि अर्थव्यवस्था में सामान्यीकृत गिरावट की स्थिति में समष्टि-आर्थिक आघात बैंकिंग प्रणाली में मुश्किल पैदा करते हैं। इस विश्लेषण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समष्टि-आर्थिक आघात दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण-शोधन क्षमता मानक पर असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करते हैं जिससे आगे ऋण-शोधन क्षमता हानियाँ होती हैं। बैंक की व्यक्तिगत पूंजी पर समष्टि-आर्थिक आघातों का आरंभिक प्रभाव समष्टि-आघात परीक्षणों से लिया गया जहाँ मार्च 2019 के लिए एक बेसलाइन एवं दो (मध्यम एवं गंभीर) प्रतिकूल परिदृश्यों पर विचार किया गया (चार्ट 2.8)<sup>58</sup>।

2.58 समष्टि-दबाव परीक्षण के परिणाम पर संक्रामकता प्रभाव दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली पर संक्रामकता (समष्टि आघातों के कारण आरंभिक पूंजी की हानि के शीर्ष पर) के कारण अतिरिक्त ऋण-शोधन क्षमता टियर 1 के मामले में बेसलाइन के लिए 2.7 प्रतिशत, मध्यम दबाव के लिए 4.1 प्रतिशत एवं गंभीर दबाव परिदृश्यों के लिए 8.4 प्रतिशत तक सीमित है। संक्रामकता (समष्टि आघातों के कारण आरंभिक चूक वाले बैंकों के शीर्ष पर) के कारण चूक करने वाले बैंकों की अतिरिक्त संख्या बेसलाइन के लिए जीरो, मध्यम दबाव के लिए दो एवं गंभीर दबाव परिदृश्यों के लिए नौ है (चार्ट 2.36)।

चार्ट 2.36: समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद संक्रामक प्रभाव (ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता)



टिप्पणी: मार्च 2019 में प्रस्तावित पूंजी हितधारकों द्वारा किए गए किसी पूंजी प्रवाह को शामिल नहीं करता है। पूर्वानुमान के आकलन के दौरान पूंजीगत आरक्षित निधियों को न्यूनतम लाभ का 25 प्रतिशत अंतरित करने की परंपरागत अवधारणा है।

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ एवं स्टाफ आकलन।

<sup>58</sup> संक्रामकता विश्लेषण के लिए समष्टि-दबाव परीक्षणों के परिणामों को एक इनपुट के रूप में प्रयोग में लाया गया था। इस क्रम में निम्नलिखित अनुमान किए गए:

क) समष्टि परिदृश्य (मार्च 2018 में वास्तविक मूल्य के संदर्भ में मार्च 2019 में प्रस्तावित टियर 1 सीआरएआर में, प्रतिशत में, कमी के रूप में परिकलित) के अधीन प्रस्तावित हानियों को मार्च 2018 में पूंजी की स्थिति पर रखा गया, यह मानकर कि मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के लिए आनुपातिक रूप से समान तुलन पत्र ढांचा को लिया गया है।

ख) वित्तीय संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर का मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के लिए समान रहने का अनुमान किया गया है।

## अध्याय III

### वित्तीय क्षेत्र : विनियमन और गतिविधियां

वैश्विक विनियामकों ने संकटोत्तर सुधार पैकेज का अंगीकरण करते हुए विनियामकीय परितंत्र को अंतिम रूप दिया है। घरेलू मोर्चे पर विनियामक रुख बेहतर क्रेडिट पद्धति तैयार करने में जुटा है, भले ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कॉरपोरेट शोधन अक्षमता के बाजार-आधारित समयबद्ध समाधान का मार्ग प्रशस्त कर रही है। परिचालनगत जोखिम के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंतःस्थापित परिचालनगत जोखिम को दूर करने के लिए अत्यंत सक्रिय दृष्टिकोण रखने के साथ ही कमजोर बैंकों में जोखिम उठाने संबंधी सीमाओं की जांच किए जाने से प्रणालीगत जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। प्रवर्तन कार्रवाई वस्तुनिष्ठ, संगत और निष्पक्ष रूप में करने हेतु रिजर्व बैंक ने एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है तथा उल्लंघन के विभिन्न प्रकार के मामलों पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की गई है।

गैर-बैंकिंग मोर्चे पर म्यूचुअल फंडों में वित्तीय बचत करने के रुझान का बढ़ना बरकरार रहा। सेबी ने सुधार के उपायों पर और जोर देते हुए पण्यवस्तु डेरिवेटिव संविदाओं में चलनिधि संवर्धन योजनाओं (एलईएस) की अनुमति दी है। बीमा क्षेत्र में की गई पहलों का उद्देश्य बीमा कंपनियों में निवेशक बेस को व्यापक बनाना तथा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज़ सेंटर (आईएफएससी) में उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को सहज बनाना है। पेंशन क्षेत्र में की गई पहलकदमियों का लक्ष्य सेवानिवृत्ति परामर्शकों की नियुक्ति संबंधी अपेक्षाओं को युक्तिसंगत करने के साथ ही पेंशन निवेशकों से आंशिक धन-आहरण के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। फिनटेक और डेटा-विश्लेषण आधारित वित्तीय मध्यस्थता जैसी नवोन्मेष प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के कारण साइबर जोखिम के बढ़ते मामलों ने कई नई विनियामकीय व पर्यवेक्षी चुनौतियां पैदा की हैं।

#### खंड-क

#### अंतरराष्ट्रीय और घरेलू गतिविधियां

##### 1. बैंक

##### क. अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय गतिविधियां

##### संकटोत्तर सुधार

3.1 बासेल-III के लिए संकटोत्तर सुधार पैकेज के रूप में पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए नियामक इकोसिस्टम के अंतिम अंशों, जिनका उल्लेख बहुधा बासेल-IV के रूप में किया जाता है, का समर्थन बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने दिसंबर 2017 में किया था। इन सुधारों ने बैंकों द्वारा अपनी पूंजी अपेक्षाओं के आकलन के तरीकों को प्रभावी बनाया, जिससे परिणामों को विश्वव्यापी आधार पर तुलनीय बनाया जा सका।

3.2 बासेल कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट<sup>1</sup> में यह दर्शाया गया है कि मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी 27 सदस्य देशों के पास जोखिम-आधारित पूंजी नियमावली, चलनिधि कवरेज अनुपात

(एलसीआर) विनियमावली तथा पूंजी संरक्षण बफर थे। अधिकतर सदस्य देशों के आधिकारिक क्षेत्रों में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी)<sup>2</sup> और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) से संबंधित अंतिम नियमावली अमल में थी। नवंबर 2017 में प्रकाशित अद्यतन सूची के अनुसार तीस बैंकिंग समूहों की पहचान जी-एसआईबी के रूप में की गई है।

##### लेखांकन मानक

3.3 जनवरी 2018 में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस 39) के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 9 (आईएफआरएस 9) यूरोपीय बैंकों पर लागू हुआ। आईएफआरएस 9 से वित्तीय खातों में क्रेडिट हानियों की पहचान करने के भविष्योन्मुख दृष्टिकोण, अर्थात् 'प्रत्याशित क्रेडिट हानि' (ईसीएल) दृष्टिकोण, की

<sup>1</sup> <https://www.bis.org.bcbs/publications> पर उपलब्ध।

<sup>2</sup> भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के साथ लेनदेन से संबंधित फ्रेमवर्क 2014 में जारी किया। तीन बैंकों, नामतः भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी संस्था के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रति वर्ष डी-एसआईबी सूची की समीक्षा करता है तथा डी-एसआईबी संस्था के प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर संबंधित संस्था पर अतिरिक्त सीईटी। अपेक्षाएं लागू करता है।

शुरुआत हुई है। रिस्क क्वान्टम द्वारा 11 यूरोपीय देशों के 36 बड़े बैंकों के सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) में (दिसंबर 2017, जब पुरानी लेखांकन प्रणाली आईएस 39 लागू थी, से मार्च 2018, जो कि आईएफआरएस 9 अंगीकरण की पहली रिपोर्टिंग तारीख है) 34 आधार अंकों (बीपीएस) की औसत गिरावट हुई है। इस गिरावट की गणना ऐसे बैंकों को छोड़कर की गई है, जिन्होंने संक्रमणकालीन उपायों को अपनाया है।

### समय-पूर्व पर्यवेक्षी हस्तक्षेप फ्रेमवर्क<sup>3</sup>

3.4 बीसीबीएस की एक रिपोर्ट में कई प्रथामूलक अध्ययन में चर्चा की गई है कि पर्यवेक्षकों ने वैश्विक स्तर पर समय-पूर्व पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के समर्थन हेतु किस प्रकार के फ्रेमवर्क, प्रक्रियाओं और विभिन्न साधनों को अपनाया हुआ था। समय-पूर्व पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के अंतर्गत किसी नियम या बफर का प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण उल्लंघन होने से पहले पर्यवेक्षकों द्वारा कमज़ोरी का पता लगाकर

उस पर सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना शामिल है। उक्त रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पर्यवेक्षकों द्वारा समय-पूर्व पर्यवेक्षी कार्रवाई किया जाना न केवल पर्यवेक्षकों के विशेषज्ञतापरक निर्णय पर निर्भर करता है, बल्कि वह निम्नलिखित मदों के परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक बुनियादी फ्रेमवर्क पर भी बड़े पैमाने पर निर्भर करता है:

- जोखिमों के समय-पूर्व निदान को बढ़ावा देने हेतु ऊर्ध्वाधर और समस्तरीय जोखिम मूल्यांकन दोनों के माध्यम से पर्यवेक्षी सुदृढीकरण;
- इस आशय का एक स्पष्ट फ्रेमवर्क कि कब कार्रवाई की जाए; तथा
- पर्यवेक्षी गतिविधियों और क्षमता निर्माण के समर्थन हेतु आंतरिक गवर्नेन्स प्रक्रियाएं और कार्यक्रम।

### एनपीए को समझना

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और माप के संबंध में अनेक देशों पर किए गए सर्वेक्षण में कई रोचक बारीकियां उभरकर आई हैं (बॉक्स 3.1)।

### बॉक्स 3.1: एनपीए की शिनाख्त और आकलन : विभिन्न देशों की तुलना<sup>4</sup>

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की फाइनेंशियल स्टैबिलिटी इन्स्टिट्यूट (एफएसआई) ने एनपीए की पहचान और माप पर विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक स्थिति प्रकाशित की। उसके निष्कर्षों से यह पता चला कि विभिन्न देशों में लागू लेखांकन मानकों में काफी अंतर है और यह अंतर एनपीए की पहचान और माप के नियंत्रण से संबंधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में विविधता के कारण और बढ़ जाता है:

- रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि विभिन्न देशों की प्रथाओं में अंतर होने के कारण लेखांकन व विवेकपूर्ण अपेक्षाओं दोनों से एनपीए की पहचान व माप पर असर पड़ता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) सार्वभौमिक स्तर पर लागू होते हैं, फिर भी कई अधिकारक्षेत्रों में इनका पालन नहीं होता है, जिसके कारण हासित आस्तियों और उनसे संबद्ध प्रावधानों की मात्रा दोनों के निर्धारण में अंतर हो सकता है। जहां तक आईएफआरएस लागू करने वाले देशों का प्रश्न है, संपार्श्विक मूल्यांकन प्रक्रिया, विशेष रूप से निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण के अंतर्गत संपार्श्विक मूल्यों के आकलन के मामले में, के निर्णयात्मक स्वरूप के कारण आईएफआरएस रिपोर्टिंग

देशों के बीच प्रावधानीकरण के परिणामों में काफी अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए, आईएफआरएस-9 के अंतर्गत हासित आस्तियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम का अधिक सूक्ष्म तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) 39 के मामले में मूल्यांकन कम किया जाता है। आईएफआरएस-9 के अंतर्गत, लागू संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे वित्तीय लिखतों को तीन अलग चरणों में रखें - अर्जक, अल्प-अर्जक और अनर्जक - लेकिन आईएएस 39 के अंतर्गत गैर-हासित व हासित वर्गों में न रखें। जहां तक 'फॉर्बॉर्न' एक्सपोजरों के लेखांकन का मामला है आईएफआरएस के अंतर्गत पद्धति और मौजूदा अमरीकी सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (जीएपी) के अंतर्गत पद्धति में सूक्ष्म अंतर है। आईएफआरएस-9 के अंतर्गत ऐसी वित्तीय आस्ति, जिसका पुनः परक्रामण (फॉर्बॉर्न) किया गया है, को तब तक उच्च गुणवत्ता स्थिति के रूप में स्वतः अपग्रेड नहीं किया जा सकता, जब तक कालांतर में नई शर्तों के अंतर्गत उसमें भुगतान निष्पादन की दृष्टि से सुधार के संकेत दिखाई नहीं देते हों। आईएफआरएस-9 के

(जारी)

<sup>3</sup> <https://www.bis.org.bcbs/publications> पर उपलब्ध।

<sup>4</sup> <https://www.bis.org/fsi/fsiinsights> पर उपलब्ध।

अंतर्गत यह अपेक्षित है कि यदि संस्था द्वारा किसी वित्तीय आस्ति की पूर्णतः या अंशतः वसूली किए जाने की यथोचित संभावना नहीं दिखाई पड़े तो बड़े खाता डालना ज़रूरी हो जाता है। मौजूदा अमरीकी जीएएपी के अंतर्गत आस्ति का बड़े खाते डाला जाना उस स्थिति में ज़रूरी हो जाता है जब उसे वसूली योग्य नहीं समझा जाए।

- (ii) एनपीए की पहचान : जिन देशों का सर्वेक्षण किया गया उनमें पाए गए प्रमुख अंतरों के चार मुख्य कारण हैं। पहला, नमूने के तौर पर लिए गए देशों में एनपीए की परिभाषा में एकरूपता नहीं है, जिसके अंतर्गत प्रवेश (हास में) और निकासी (हास से) दोनों शामिल हैं। दूसरा, कई देशों में आस्ति की कतिपय श्रेणियों (जैसे पुरोबंधित संपार्श्विक प्रतिभूति) को एनपीए नाम से छूट दी गई है। तीसरा, अनेक प्रतिक्रियादाता एनपीए की पहचान में संपार्श्विक प्रतिभूति को स्पष्ट रूप से विचार में लेते हैं, वहीं अन्य देश बिना संपार्श्विक प्रतिभूति पर अवलंबित रहे, एक्सपोजर की क्रेडिट गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। अंततः सभी देशों ने मात्रात्मक (पूर्व बकाया) और गुणात्मक मानदंड दोनों निर्धारित किए हैं, जबकि किसी एक्सपोजर को एनपीए के अमुक स्तर पर रखने के लिए पूर्व बकाया संबंधी मानदंड पर पर्यवेक्षक किस हद तक निर्भर रहते हैं, उसमें विभिन्न देशों में अंतर पाया गया।
- (iii) एनपीए की पहचान में आस्ति वर्गीकरण फ्रेमवर्क की भूमिका : लातिनी अमरीका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्रों, यूएस और कुछ यूरोपीय संघ-एकल पर्यवेक्षी तंत्र (एसएसएम) देशों में आस्ति वर्गीकरण का विनियामकीय फ्रेमवर्क सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यूएस और सर्वेक्षित लगभग सभी एशियाई देशों (11 में से 10) में बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे विभिन्न जोखिम बकेटों (जिनमें सामान्यतः पाए जाने वाले हैं : सामान्य, विशेष उल्लिखित (या निगरानी) अव-मानक, संदिग्ध और हानि) में क्रेडिट एक्सपोजरों के वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा विकसित मानदंड पर आधारित आस्ति वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करें। जहां तक एलएसी देशों का मामला है, विभिन्न देशों में क्रेडिट एक्सपोजर से संबंधित जोखिम बकेटों में काफी अंतर, जो पांच से 16 तक के दायरे में था, रहा।

- (iv) एशिया के मामले में पांच-बकेट जोखिम फ्रेमवर्क के प्रयोग में समाभिरूपता है, जिसके अंतर्गत तीन गंभीर आस्ति वर्गीकरणों (अव-मानक, संदिग्ध और हानि) को एनपीए के रूप में माना जाता है। अतः अव-मानक वर्ग (या उसके समतुल्य) को एनपीए नामकरण के प्रवेश बिंदु के रूप में माना जाता है, जिसमें 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया की सीमा एक मात्रात्मक बैकस्टॉप के रूप में आम तौर पर काम आती है। यह मात्रात्मक मानदंड अत्यंत भविष्योन्मुख हैं, जिससे पर्यवेक्षक एक्सपोजरों को अव-मानक वर्ग में रखने में समर्थ हुए हैं, भले ही संबंधित ऋण 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया वाले मानदंड में आ नहीं रहे हों या लागू लेखांकन नियमों के अंतर्गत ह्रासित नहीं हों।
- (v) यूएस इसी प्रकार के पांच-बकेट जोखिम फ्रेमवर्क लागू करता है, लेकिन उसकी विनियामकीय वर्गीकरण प्रणाली और एनपीए के नाम-निर्धारण में कोई विशेष संबंध नहीं है।
- (vi) एलएसी क्षेत्र में कुछ देश पांच-बकेट जोखिम फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं, वहीं अन्य देश अर्जक और निम्नतम गुणवत्ता वाली आस्ति दोनों वर्गीकरणों के संदर्भ में अत्यंत विस्तृत ब्रेकडाउन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः जो देश पांच से अधिक बकेटों का उपयोग करते हैं उनके मामले में गंभीर आस्ति वर्गों के अंतर्गत जोखिम का विभेदीकरण बड़े पैमाने पर किया जाना ज़रूरी हो जाता है। पर्यवेक्षक ऐसे वाणिज्यिक ऋण, जिसे अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाना हो, के लिए निर्धारित 90 दिनों से अधिक अवधि के बकाया संबंधी मानदंड को, विभिन्न संकेतकों पर आधारित उधारकर्ता की चुकौती की क्षमता की निगरानी संबंधी मात्रात्मक सूचना के साथ जोड़ते हैं।
- (vii) जहां तक क्रॉस डिफॉल्ट खंडों के प्रयोग का सवाल है एशियाई देशों के साथ ही सर्वाधिक एलएसी देशों के प्रतिक्रियादाताओं ने एक ही उधारकर्ता को दिए गए एकाधिक ऋणों में से कोई एक ऋण एनपीए हो जाने पर सभी ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है। जहां तक ईयू-एसएसएम देशों का मामला है यदि किसी देनदार के 20 प्रतिशत के एक्सपोजर 90 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए बकाया रह जाए तो उस देनदार के सभी एक्सपोजरों को अनर्जक एक्सपोजर (एनपीई) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### शैडो बैंकिंग<sup>5</sup>

3.6 एफएसबी ने अपनी वार्षिक शैडो बैंकिंग रिपोर्ट<sup>6</sup> (2017) में यह पाया है कि 21 देशों और यूरो क्षेत्र में अन्य वित्तीय मध्यस्थ (ओएफआई)<sup>7</sup>, जो कि शैडो बैंकिंग की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत हैं, 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 99 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए; उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि दर बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों की वृद्धि दर की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी है। ओएफआई आस्तियां कुल वैश्विक वित्तीय आस्तियों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती हैं, जो कि 2002 के बाद उच्चतम स्तर है। 2016 में 29 देशों में शैडो बैंकिंग के सीमित माप पर आधारित गतिविधि 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 45.2 ट्रिलियन पर पहुंच गई। इस आंकड़े से यह भी पता चलता है कि बेलजियम, भारत, ब्राजील और नीदरलैंड्स में पेंशन और बीमा निधियां प्रतिफल की तलाश में शैडो बैंकों में निवेश कर रही हैं।

### ख. घरेलू गतिविधियां

#### बैंकों से संबंधित पर्यवेक्षी कार्रवाई और पोर्टफोलियो विकल्प

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के देशी बैंकों के हाल के पूंजीकरण और सामान्य रूप में बैंकिंग क्षेत्र और खास तौर पर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समुचित गवर्नेन्स और नियंत्रण परिवेश पर हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बैंकों में समग्र कारोबारी कार्यनीतियों और गवर्नेन्स फ्रेमवर्क के मूल्यांकन पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पष्ट है कि वार्षिक पर्यवेक्षी मूल्यांकनों की प्रभावशीलता और परिणामी जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं या अधिक दखलकारी पर्यवेक्षी मध्यक्षप, जैसे अंतवर्ती जोखिम मुद्दों को सुधारने संबंधी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) करना, इन संस्थाओं के अंतवर्ती नियंत्रण परिवेश पर दिखाई पड़ रहे हैं। पर्यवेक्षकों और विनियमाधीन संस्थाओं के बीच सूचनागत विषमता को दूर करने में नियंत्रण परिवेश अपनी महती भूमिका अदा करता है, साथ ही, उधारकर्ता/ग्राहक लेनदेनों में अंतर्निहित सूचना के अंगीकरण के माध्यम से बैंकों की निगरानी व सूचना प्रसंस्करण कार्यकलापों के प्रभावी निपटान में भी ऐसे तंत्र सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात् आर्थिक घाटे से इतर कारक बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता की गिरावट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं (बॉक्स 3.2)। इसके विपरीत, बैंकों के पोर्टफोलियो विकल्प उनके आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ता के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण करते हैं।

#### बॉक्स 3.2: ऋण देने के निर्णयों में समस्याएं

मोटे तौर पर 2008-09 के वित्तीय संकट के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए अत्यधिक जोखिमों को दोषी ठहराया जाता है। अतः यह जानना आवश्यक है कि जोखिमपूर्ण क्रेडिट आबंटन करने के लिए बैंकों को किन बातों ने उकसाया। सिद्धांतों के अनुसार जब क्रेडिट विस्तार होता है तो अशोध्य क्रेडिट जोखिमों के प्रति संस्थागत स्मृति के क्षीण होने के कारण ऋण अधिकारियों की छानबीन करने की क्षमता कम हो जाती है (बर्जर और यूडेल, 2004)। इसके अलावा, क्रेडिट तेजी के दौरान वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं यह पाती हैं कि उधारकर्ताओं की उचित तरीके से छानबीन करने या ऋण देने संबंधी मानकों को बनाए रखने से उनकी लाभकारिता प्रभावित होती है (डेल अरीचा और मार्क्वेज़, 2006)।

तीन सुभेद्यता मापों, यथा (i) कर्ज और कुल आस्तियों का अनुपात, (ii) कर्ज और मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) तथा (iii) ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर),

के आधार पर क्रेडिट<sup>9</sup> प्राप्त करने वाले फर्मों की जोखिमशीलता के तीन संकेतकों का निर्माण 1995-2017 की अवधि के लिए सूचीबद्ध भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड फर्मों<sup>10</sup> का नमूना लेकर किया जाता है।

फर्म स्तरीय सुभेद्यता माप संबंधी सूचना से लेकर संकेतकों का निर्माण निम्नानुसार किया जाता है - पहला, प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म हेतु माप के वितरण में उसके दशमक का मूल्य (1 से 10 तक) निर्धारित किया जाता है। उच्चतर दशमक का तात्पर्य है सुभेद्यता का बड़ा मूल्य। दूसरा, फर्मों का वर्गीकरण पांच समान आकार वाले बिनो में निवल कर्ज और पश्ची (लैग्ड) कुल आस्तियों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समान रूप से किया जाता है। इस आधान में देनदारी में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले फर्मों को "टॉप इशूअर" कहते हैं और जिन फर्मों के कर्ज की मात्रा में सर्वाधिक कमी आती है वे "बॉटम इशूअर" कहलाते हैं। अंततः संकेतकों का (जारी)

<sup>5</sup> <http://www.fsb.org/2018/03/global-shadow-banking-monitoring-report-2017/> पर उपलब्ध।

<sup>6</sup> नियमित बैंकिंग प्रणाली से इतर संस्थाओं से कराए जाने वाले क्रेडिट मध्यस्थीकरण को शैडो बैंकिंग माना जाता है।

<sup>7</sup> ओएफआई के अंतर्गत ऐसी सभी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, जो केंद्रीय बैंक, बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय सहायक संस्थाएं नहीं हैं।

<sup>8</sup> शैडो बैंकिंग के सीमित माप के अंतर्गत क्रेडिट मध्यस्थता करने वाली ऐसी गैर-बैंक वित्तीय संस्था शामिल हैं जो एफएसबी कार्यविधि और वर्गीकरण दिशानिर्देशों पर आधारित वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा कर सकती है।

<sup>9</sup> वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2018 में उल्लिखित कार्य-प्रणाली पर आधारित उपाय।

<sup>10</sup> नमूने में गैर-वित्तीय फर्म ही शामिल हैं। नमूने का आकार विभिन्न वर्षों के लिए 1500 से 2500 तक के दायरे में रहा।





परिकलन टॉप इशूअरों के औसत सुभेद्यता-दशमक तथा बॉटम इशूअरों के तत्संबंधी औसत के अंतर के रूप में किया जाता है (संदर्भ: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2018)।

इस संकेतक का मूल्य उच्च होने का तात्पर्य है अधिक जोखिमपूर्ण फर्म कम जोखिमपूर्ण फर्मों की तुलना में अधिक मात्रा में क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं। सभी तीनों संकेतक क्रेडिट आबंटनों की जोखिमशीलता में चक्रीय स्वरूप प्रदर्शित करते हैं (चार्ट 1)।

इन संकेतकों की क्रेडिट चक्रीयता के बारे में और अधिक पता लगाने के लिए चार्ट 2 में कर्ज और कुल आस्तियों पर आधारित संकेतक<sup>11</sup> की तुलना जीडीपी में क्रेडिट अंतराल<sup>12</sup> के साथ की गई है। इनका संबंध काफी गहरा प्रतीत होता

है। जीडीपी में धनात्मक (ऋणात्मक) क्रेडिट अंतरालों की अवधियां क्रेडिट आबंटनों की उच्चतर (निम्नतर) जोखिमशीलता से जुड़ी हैं।

सिद्धांतों के अनुसार, धनात्मक समष्टि-आर्थिक आघात या ब्याज दर में गिरावट के बाद क्रेडिट आबंटन की जोखिमशीलता में बढ़ोतरी होती है। धनात्मक समष्टि-आर्थिक आघात या ब्याज दरों में गिरावट होने की स्थिति में फर्म की अल्पावधिक संभावनाओं और निवल मालियत में सुधार होता है। इससे उच्च लीवरिज वाले फर्मों को क्रेडिट मार्केटों में प्रवेश करने में सहायता मिलती है (बेर्ननके और जेर्टलर, 1989; कियोताकी और मूर, 1997)। जोखिमशीलता संकेतक और वास्तविक ब्याज दरों<sup>13</sup> के संबंध से प्रत्याशित प्रतिलोम संबंध का पता चलता है (चार्ट 3)।





(जारी)

<sup>11</sup> इसी प्रकार का संबंध अन्य संकेतकों के मामले में भी देखा गया।

<sup>12</sup> जीडीपी में क्रेडिट अंतराल का तात्पर्य है जीडीपी में कुल बैंक क्रेडिट के अनुपात और उसके दीर्घावधिक सांख्यिकीय प्रवृत्ति के बीच का अंतर।

<sup>13</sup> सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति से रेपो दर के घटाव द्वारा प्रॉक्सीबद्ध।



तथापि, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अत्यधिक एनपीए से संघर्ष कर रहे हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जोखिमपूर्ण उधार दे रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं? चार्ट 4 में इन दो बैंक समूहों के क्रेडिट आबंटन की जोखिमशीलता और दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में दबावग्रस्त अग्रिमों के अनुपात और संकेतक का अच्छा सहसंबंध था, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों पर ऐसे आबंटनों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रेडिट आबंटन की जोखिमशीलता केवल समाप्ति-आर्थिक कारकों से नहीं, अपितु विशेष स्वभाव के कारकों से भी प्रभावित होती है। इसमें जोखिम वहन-क्षमता को सीमित रखने में गवर्नेन्स की भूमिका के साथ ही क्रेडिट पोर्टफोलियो, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, की निगरानी की भी भूमिका की संभावना को रेखांकित किया गया है। साहित्य के अनुसार, यह देखा गया है कि जिन बैंकों के बोर्ड काफी कारगर होते हैं, उनके द्वारा जोखिमपूर्ण वाणिज्यिक उधारकर्ताओं को ऋण देने की संभावना काफी कम है (फलआई और कृष्णन, 2010)।

#### संदर्भ :


1. बर्जर, ऐलन एन. और ग्रेगरी एफ. यूडेल (2004)। “द इन्स्टिट्यूशनल मेमरी हाइपाथिसिस एंड द प्रो-साइक्लिकैलिटी ऑफ बैंक लेंडिंग बिहेवियर,” *जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियेशन*, 13 (4); 458-95.
2. बेर्ननके, बेन एस. और मार्क जेट्लेर (1989)। “एजेंसी कॉस्ट्स, नेट वर्थ एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन्स,” *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 79(1) 14-31.
3. डेल'अरीचा, जिवान्नी और रॉबर्ट मार्क्वेज़ (2006)। “लेंडिंग बूम्स एंड लेंडिंग स्टैन्डर्ड्स,” *जर्नल ऑफ फाइनेंन्स*, 61(5): 2511-46.
4. फलआई, ओ. और के. कृष्णन (2010)। रिस्की लेंडिंग: इस बैंक कॉरपोरेट गवर्नेन्स मॉडल? <http://ssrn.com/abstract=1661837> पर उपलब्ध।
5. कियोताकी, नोबुहिरो और जॉन मूर (1997), “क्रेडिट साइकल्स,” *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी*, 105(2): 211-48.

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आस्ति गुणवत्ता और उनके आंतरिक नियंत्रण/ विनियामक व्यवस्था और साधित क्रेडिट जोखिमों के बीच अन्यान्यक्रिया से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन चयनित पीसीए और गैर-पीसीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (बैंचमार्क बैंक) के बीच पारस्परिक रूप में परंपरागत आस्ति आबंटन पर व्यापक रूप से विचार करते

हुए किया जाता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षी कार्रवाइयों/ आस्ति प्रतिफल पर जोखिम विमुखता के संयुक्त प्रभाव पर विचार करने की दृष्टि से थोक बैंकिंग/एसएलआर आस्तियों (बॉक्स 3.3) में वृद्धिशील आस्ति आबंटन की जांच की गई है।


**बॉक्स 3.3: सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विरासत में मिली आस्तियों का चयन और साधित क्रेडिट जोखिम - पीसीए के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बैंचमार्क पीएसबी की तुलना**

पीसीए के अंतर्गत रखे गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों<sup>14</sup> के नमूने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंचमार्क बैंकों<sup>15</sup> के बीच साधित क्रेडिट जोखिम में अंतर की जांच यहां की गई है। चार्ट 1 क और ख में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच दबावग्रस्त आस्तियों में से बहु बैंकिंग/ संघीय व्यवस्था (एम/सी) के अंतर्गत आस्तियों की प्रबलता दर्शाई गई है, जिससे ऐसी आस्तियों के संबंध में आम तौर पर पाए जाने वाले छानबीन से जुड़े मुद्दों का पता चलता है। छानबीन से जुड़े ऐसे मुद्दे पीसीए-पीसीबी के मामले में आम तौर पर पाए जाते हैं, अर्थात् कुल ऋण पोर्टफोलियो में जिन पीसीए-पीसीबी की हिस्सेदारी सापेक्षित रूप से कम होती है वे भी एम/सी आस्तियों से जुड़े नुकसान के मुद्दों से जुड़ा रहे हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंचमार्क बैंकों की आस्ति की छानबीन करने की उत्कृष्ट क्षमता चार्ट 2 में दबावग्रस्त आस्तियों की तुलना में 'स्वतः उत्पन्न आस्तियों' के सापेक्षित गिरावट अनुपातों से देखी जा सकती है। सामान्य रूप से पीसीए बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों की हिस्सेदारी सर्वाधिक होने के बारे में (चार्ट 3) यह अटकल लगाई जाती है कि स्वतः उत्पन्न आस्ति वर्ग के मामले में 'परिचालनगत जोखिम से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम' ने पीसीए-पीएसबी के इस चयनित समूह के समग्र दबावग्रस्त आस्ति भार को खास




तौर पर प्रभावित किया है (पैरा 3.9-3.13 देखें)। तथापि, यह जानना समुचित होगा कि अपनी संरचना के चलते एम/सी व्यवस्था को जोखिम साझेदारी का लाभ प्राप्त होता है और जिन बैंकों ने एम/सी व्यवस्था में शामिल होने की सहमति दी है उन्हें निष्क्रिय रहना ज़रूरी है। किंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य

चार्ट 1: पीसीए - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंचमार्क बैंकों की तुलना




स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक



(जारी)

<sup>14</sup> 30 जून 2017 को या उससे पहले त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत रखे गए पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चयन पीसीए समूह के रूप में किया गया है।

<sup>15</sup> पीसीए में न रखे गए दो सार्वजनिक क्षेत्र, जिनमें से एक दक्षिण क्षेत्र से है और दूसरा पश्चिम क्षेत्र से है, के बैंकों को बैंचमार्क बैंक के रूप में विचार में लिया गया है।



में सहभागी बैंकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की देखरेख हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र के अभाव के कारण अन्य संघीय भागीदारों के साथ वसूली या पुनरुद्धार के प्रयासों के लिए सार्थक समन्वय नहीं बन पाता।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी, 2016) के लागू हो जाने से पीसीए के अंतर्गत बैंकों के समूह को अपनी परंपरागत आस्तियों का बोझ उतारने का अच्छा अवसर मिला है। पीसीए समूह के लिए सकल जीएनपीए की तुलना में आईबीसी द्वारा मध्यस्थीकृत समाधान की राशि के सापेक्षित आकार की तुलना से यह पता चलता है कि समग्रतः पूर्व में चर्चित पीसीए बैंकों के समूह द्वारा समाधान प्रक्रिया के लिए भेजी गई राशि बकाया सकल एनपीए (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार) के 64 प्रतिशत के बराबर थी। इस प्रकार भेजी गई राशि के लिए किए गए प्रावधान की राशि कुल भेजी गई राशि के लगभग 52 प्रतिशत के बराबर रही। आस्ति परिमार्जन कार्यनीति के तीन विशिष्ट लाभ पाए गए : पहला, उससे आस्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में पारदर्शिता आती है, जिससे संभावित निवेशकों को जुटाने में मदद मिलती है; दूसरा, भविष्य में बिना लीगेसी आस्तियों के प्रावधानों के सीमांत कीमत-निर्धारण किया जाना अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सकता है; तथा तीसरा, इस बात पर विराम लगाना होगा कि जब आस्तियों के अधिकांश हिस्से की मौजूदा स्थिति ऐसी हो कि वे परिचालनगत जोखिमों की शिकार हो गई हों और जो क्रेडिट जोखिमों में योगदान देने लगे या बढ़ाने लगे तब इस बात की पक्की उम्मीद रखना कि अवसरगत लागतों को न गंवाकर दबावग्रस्त आस्तियों की गुणवत्ता में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाया जा सकता था। इस संबंध में मौजूदा पूंजी पर्याप्तता व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप है, किंतु पूर्व में आस्ति प्रावधानीकरण के प्रति रहे सहनशील रुख का तात्पर्य यह है कि बहियों में न पहचानी गई क्रेडिट हानियां हैं।

कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी समाधान फ्रेमवर्क न होने के कारण सहनशील विनियामक दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराया गया। तथापि, अंतर्दृष्टि से यह पता चला है कि “जो विनियमन व्यवस्था सहनशीलता प्रवृत्ति से प्रभावित होती है उसमें स्टेकहोल्डरों के व्यवहारजन्य सहगामी जोखिम पैदा हो सकता है”।<sup>16</sup> पीसीए-पीएसबी समूह से संबद्ध लगभग 50 प्रतिशत की बहु बैंकिंग आस्तियों का दबावग्रस्त होना ऐसी व्यवहारमूलक प्रवृत्तियों की ओर इंगित कर रहा है जिनमें विनियमाधीन संस्थाएं विनियमन व्यवस्था पर आश्रित रहती हैं और समूची व्यवस्था के स्तर पर सहनशीलता के रुख का अंधानुकरण होता है - जिसके कारण अनुकूल व प्रतिकूल सहनशीलता के बीच का अंतर खत्म हो जाता है।<sup>17</sup> इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संशोधित फ्रेमवर्क की घोषणा की।

पूर्ववर्ती पैरा में आस्ति के हास संबंधी परंपरागत विकल्पों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए यह विवेचन किया गया है कि क्या विगत समय में पीसीए-पीएसबी में आस्ति की छानबीन पद्धति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, खास तौर पर पीसीए के लागू किए जाने के बाद का प्रभाव महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस हेतु मार्च 2016 से सर्वोच्च 210 ‘थोक बैंकिंग’<sup>18</sup> अर्जक खातों (2017-18 की स्थिति के अनुसार जिनका थोक बैंकिंग के 30 प्रतिशत का हिस्सा है) में पीसीए-पीसीबी और गैर-पीसीए बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित) की सापेक्षित सहभागिता के आधार पर आस्ति के संबंध में पीसीए-पीसीबी और गैर-पीसीए बैंकों के विकल्पों की व्यापक समीक्षा की गई है। चार्ट 4 से 6 में अद्यतन स्थिति के अनुसार पीसीए के अंतर्गत रखे गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूचे समूह तथा विचाराधीन सर्वोच्च 210 थोक बैंकिंग खातों से संबद्ध एक्सपोजर का विश्लेषण प्रस्तुत किया

(जारी)

<sup>16</sup> उर्जित आर. पटेल - अगले संकट से बचने के लिए वित्तीय विनियमन और आर्थिक नीतियां - 15 अक्टूबर 2017 - 32वीं वार्षिक जी30 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संगोष्ठी, इंटर-अमेरिकन डिवेलपमेंट बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.



<sup>17</sup> वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जून 2017 - पैरा 3.2

<sup>18</sup> ऐसा कोई भी खाता जहां 50 मिलियन रुपये से अधिक के कुल एक्सपोजर को थोक बैंकिंग के रूप में माना जाता है।


गया है। जहां तक पिछले विश्लेषण का संबंध है पीसीए लागू किए जाने के बाद 3 स्पष्ट तिमाहियों का अतिरिक्त मानदंड अतिरिक्त प्रतिबंध के रूप में लगाया गया ताकि पीसीए-पीसीबी के कार्य-निष्पादन का पता लगाया जा सके कि पीसीए प्रतिबंध के बाद किस प्रकार उन्होंने उसे अपने परिचालन में अपनाया है। उनमें पीसीए-पीसीबी और निजी क्षेत्र के बैंक दोनों की हिस्सेदारी अपरिवर्तित/ बढ़ी हुई दिखाई पड़ी, जिसके लिए मोटे तौर पर क्रेडिट स्पेक्ट्रम के निम्नतर पायदानों को अग्रिम देने के रूप में गैर पीसीए-पीएसबी को कीमत चुकानी पड़ी (चार्ट 4)। जहां तक सरकारी आस्तियों को प्रदत्त एक्सपोजर का संबंध है, आम तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रखे गए एसएलआर की मात्रा अधिक होती है (चार्ट 5) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एसएलआर होल्डिंग के मामले में पीसीए और गैर पीसीए बैंकों के बीच कोई प्रणालीगत अंतर नहीं रहा। प्रसंगवश, क्रेडिट देने के प्रति नरम रुख रखने वाले विदेशी बैंकों के मामले में एसएलआर आस्तियों का उच्चतम अनुपात पाया गया।

बैंकों के विभिन्न वर्गों के पोर्टफोलियो की पसंदों को ध्यान में रखते हुए आस्ति अर्जन पर ऐसी पसंदों का कुल प्रभाव चार्ट 6 में रेखांकित किया गया है। स्पष्ट है कि क्रेडिट के निम्नतर तबकों में विविधीकरण के माध्यम से प्रतिफल की वृद्धि के सर्वाधिक अनुपात की भरपाई अत्यधिक बेशी निवेशों द्वारा की गई। चूंकि पीसीए बैंकों पर परंपरागत आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रावधान का अत्यधिक बोझ होता है, अतः प्रतिफल अर्जन के लिए प्रत्यक्ष पूंजी मजबूरियों से समझौता करने पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है।

सापेक्षित रूप से खराब रेटिंग वाली आस्तियों में किए जाने वाले निवेशों, जैसा कि पीसीए-पीएसबी के मामले में ऊपर बताया गया है, के संबंध में विवेकपूर्ण निगरानी हेतु सुदृढ़ नियंत्रण/ गवर्नेन्स तंत्र होना ज़रूरी है। इस



परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बैंक समूहों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की सापेक्षित कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना आवश्यक है (कृपया पैरा 3.9 से 3.13 देखें)।



### बैंकों में परिचालनगत जोखिम


3.9 बैंकों में परिचालनगत जोखिमों का प्रभाव समस्त जोखिमों पर पड़ता है और इसलिए परिचालनगत जोखिम का पैदा होना जोखिम प्रबंधन ढांचे, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं, आंतरिक लेखापरीक्षाओं और गवर्नेन्स तंत्र में अंतर्निहित कमज़ोरियों का संकेत है। हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों (राशि  $\geq$  ₹1 लाख रुपये) में संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखाई दे रही है (चार्ट 3.1क)। जहां तक धोखाधड़ी के मामलों में सापेक्षित हिस्से का संबंध है, अपने सापेक्षित कारोबार के हिस्से (क्रेडिट और जमा राशि  $\approx$  65-75 प्रतिशत) की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा काफी असंगत है ( $>85$  प्रतिशत) (चार्ट 3.1ख)। 2017-18 में कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ने से धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या में अत्यंत बढ़ोतरी हुई (चार्ट 3.1क)। बैंकों द्वारा रिटेल सेवाएं सुपुर्द कराने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किए जाने और ग्राहकों द्वारा खरीद-फरोख्त के लिए बड़े पैमाने पर इन साधनों का उपयोग किए जाने के प्रमाण उपाख्यानानात्मक रूप से सिद्ध हुए हैं। कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित मुद्दों में हो रही अत्यधिक बढ़ोतरी इन सुपुर्दगी चैनलों में अंतर्निहित सुभेद्यता दर्शा रही है।

3.10 रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि की संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ी का सर्वाधिक हिस्सा है (चार्ट 3.2क और ख), तथापि, जहां तक आय से संबंधित धोखाधड़ियों की

सापेक्षित प्रभावशीलता का संबंध है, बैंकों के दो वर्गों में काफी अंतर है (चार्ट 3.2ग)। पीसीए-पीएसबी के मामले में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि क्रेडिट में उनकी सापेक्षित हिस्सेदारी से काफी अधिक है। संभव है कि इन बैंक समूहों की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कुछ हद तक ढीली है, जिसके कारण गैर-पीसीए-पीएसबी की सापेक्षित स्थिति के संदर्भ में उनकी दबावग्रस्त आस्तियां बढ़ जाती हैं।

3.11 ऋणों की प्रबलता, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (चार्ट 3.2घ) में कार्यशील पूंजी ऋणों से 'तीन स्तरीय बचावी संरचना' के लागू करने में समन्वय संबंधी मुद्दों का पता चलता है।<sup>19</sup> संरचनागत रूप से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की परिचालनगत जोखिम निगरानी में कोई अंतर नहीं है। तथापि, परिचालनगत जोखिम में अत्यधिक अंतर पाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 'उत्पाद' को विचार में न लेते हुए उनकी 'प्रक्रियाओं' की निगरानी की प्रभावशीलता की गहराई से जांच करना ज़रूरी हो गया है। संभवतः क्रेडिट की खराब छानबीन, अग्रणी बैंक द्वारा खाते की निगरानी का अभाव तथा एम/सी व्यवस्थाओं के सहभागी बैंकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में असंगतता आदि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसी आस्तियों के स्तर में गिरावट आई हो। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण अच्छी तरह से चिंतन-मनन करके किया गया है, जिसके कारण वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में मानव संसाधन का कारगर उपयोग कर पाते हैं।


चार्ट 3.1: बैंकिंग क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

<sup>19</sup> सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम गवर्नेन्स से संबंधित सामान्य औद्योगिक प्रथा प्रायः तीन बचावकारी मद्दों पर निर्भर करती है : (i) कोरोबार लाइन प्रबंधन, (ii) स्वतंत्र कॉरपोरेट परिचालनगत जोखिम प्रबंध कार्यकलाप तथा (iii) स्वतंत्र समीक्षा।

चार्ट 3.2: रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का सापेक्षिक हिस्सा



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

3.12 जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली के परिणामों की आलोचनात्मक जांच भी समझ एवं सुधारों के लिए सार्थक अवसर बढ़ाने की तरफ संकेत देती है। परिचालन स्टाफ के लिए प्रोत्साहन का मामला मुख्य रूप से संगत है क्योंकि परिचालन स्टाफ के निष्पादन मूल्यांकन एवं पुरस्कार ढांचा को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के बैंकों में वैसे प्रोत्साहन को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सुरक्षा के तीन स्तंभों के बीच समन्वय का अर्थ है सामान्य तौर पर अंतर्निहित अन्वेक्षा प्रक्रियाओं एवं विशेष रूप से लेखा-परीक्षा ढांचा का सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रभावी तरीके से नहीं किया गया है।

3.13 अंत में, बाहरी लेखा-परीक्षकों एवं आंतरिक हितधारकों के बीच सूचना असमानता अधिक है एवं इसके परिणाम आंतरिक अन्वेक्षा की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल के वैश्विक सुधारों का उद्देश्य संस्थागत ढांचों को

स्थापित करना है जो संस्थानों की कार्यप्रणाली के बारे में लेखा-परीक्षकों को अधिक सीखने एवं आंतरिक हितधारकों को अधिक बातें सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का पिछला अंक (दिसंबर 2017) यूएस (यूरोपीय संघ में मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के समतुल्य) में आंतरिक हितधारकों एवं बाहरी लेखा-परीक्षकों के बीच सूचना असमानता को कम करने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'संकटपूर्ण लेखापरीक्षा वाले मामलों' में प्रकटीकरण की भूमिका को दर्शाता है। ऐसे प्रकटीकरण का एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि महसूस किए गए जोखिमों से उनका प्रमाणीकरण बाद में भी किया जा सकता है। तथापि, कुछ अधिकार क्षेत्रों से अलग, बाहरी लेखापरीक्षकों के मामले में कोई भूल-चूक के कारणों का हवाला दिया जा सके जिससे कि लेखापरीक्षक के निष्पादन की पुनःपरीक्षा की जा सके। उसी प्रकार, वैश्विक स्तर पर

आंतरिक लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण विकास हुआ है क्योंकि वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने के मामले में बैंक अपने आप को शाखा-आधारित के स्थान पर वेब-आधारित कर रहे हैं। आईएफआरएस को वैश्विक स्तर पर लागू किए जाने से भी गवर्नेंस का आंतरिक मॉडल चर्चा में आ गया है। इसने आंतरिक लेखापरीक्षकों को समग्र मॉडल गवर्नेंस ढांचा वाले क्षेत्रों में जाने को मजबूर किया है जिसमें रेटिंग मॉडल का प्रमाणीकरण, डेटासेट की प्रासंगिकता एवं विचलन का विश्लेषण शामिल है। मुख्यतः जवाबदेही एवं क्रेडिट स्क्रीनिंग/ओवरसाइट के लिए लेखापरीक्षा ढांचा के प्रभाव एवं आंतरिक गवर्नेंस ढांचा के रिगसाइड आकलन (आंतरिक एवं बाहरी दोनों) की जरूरत है जिससे कि क्रेडिट जोखिम में निहित 'परिचालन जोखिम' से पैदा होने वाले मामलों का समाधान किया जा सके। इस संदर्भ में, 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, 2018' इरादतन चूककर्ताओं के लिए एक बड़े निवारक का कार्य करेगा।

## II. प्रतिभूति बाज़ार

अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आईओएससीओ) ने प्रतिभूति बाज़ार में उभरते हुए मामलों के संबंध में कई कदम उठाए हैं।

### (1) सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी (सीसीपी)<sup>20</sup> के पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण के लिए ढांचा

3.14 संकट के बाद के सुधार ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए सभी मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का निपटान सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी के माध्यम से किया गया हो। केंद्रीय निपटान में लगातार वृद्धि एवं उससे उत्पन्न नेटवर्क संकेंद्रण ने आगे सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी द्वारा बेहतर जोखिम नियंत्रण की जरूरत को बढ़ा दिया है।

3.15 भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति (सीपीएमआई) एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आईओएससीओ) ने सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी के पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण के लिए ढांचा जारी किया है। यह स्पष्ट करता है कि पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण ढांचा 'का उद्देश्य एक पथ-प्रदर्शक के रूप में एक या अधिक प्राधिकारियों द्वारा समष्टि विवेकपूर्ण अभिमुखीकरण के साथ मल्टी-सीसीपी

पर्यवेक्षी दबाव परीक्षणों (एसएसटी) को डिज़ाइन करना एवं उन्हें चलाना है।' यह ढांचा अंतर्निहित तत्वों को विस्तारित करते हुए छह घटकों को प्रदर्शित करता है जो एक मल्टी-सीसीपी एसएसटी को डिज़ाइन करने एवं उन्हें चलाने के दौरान प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरणों का वर्णन करता है। यह ढांचा इतना लचीला है कि पर्यवेक्षी दबाव परीक्षणों को शामिल कर सके, जो समान क्षेत्राधिकार अथवा विभिन्न क्षेत्राधिकारों से आने वाले एक प्राधिकारी अथवा अनेक प्राधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है।

### (2) अति अस्थिरता के प्रबंधन के लिए ट्रेडिंग वेन्यूज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा तंत्र एवं सुव्यवस्थित ट्रेडिंग बनाए रखना

3.16 हाल की अत्यंत अस्थिर घटनाओं के बाद, विनियामक प्राधिकारियों एवं ट्रेडिंग क्षेत्र अति अस्थिरता के प्रबंधन के लिए अपने दृष्टिकोण की पुनःसमीक्षा कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप यूरोपीय संघ में, वित्तीय लिखतों के बाजारों संबंधी निदेश-II<sup>21</sup> (एमआईएफआईडी) के व्यवस्था में विस्तृत प्रावधान एवं दिशा-निर्देश शामिल हैं, जबकि अन्य क्षेत्राधिकार उचित अस्थिरता नियंत्रण प्रणाली को निर्धारित करने में ट्रेडिंग वेन्यूज को अधिक छूट देते हैं।

3.17 ट्रेडिंग क्षेत्र एवं विनियामकों को अति अस्थिरता को रोकने एवं बाजार को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए आईओएससीओ द्वारा हाल के एक परामर्श पेपर में कुछ सिफारिशों की गई हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि जब कीमत निर्धारण प्रक्रिया के संरक्षण एवं सुव्यवस्थित ट्रेडिंग में अत्यधिक अवरोध को टालने वाली प्रणालियों की डिजाइन एवं उनकी कार्यात्मकता की बात आती है, तब चलनिधि अथवा उत्पाद के प्रकार में अंतर एक कड़े दृष्टिकोण को अपनाया जाना अनिवार्य बना देते हैं।

### (3) घरेलू पहल

3.18 घरेलू स्तर पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान उत्पादों को पुनःडिजाइन करके नए उत्पाद लाकर, निवेशक जागरूकता पहलों को अपनाकर, मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा को पुनःनिर्धारित करके, शेयर दलालों से निधि प्राप्त करने के

<sup>20</sup> <https://www.iosco.org/publications> पर उपलब्ध

<sup>21</sup> वित्तीय लिखतों के बाजारों संबंधी निदेश (एमआईएफआईडी) II यूरोपीय संघ का एक कानून है जो वैसे फर्मों को विनियमित करता है जो 'वित्तीय लिखतों' (शेयर, बॉण्ड, सामूहिक निवेश स्कीम एवं डेरिवेटिव में यूनिट) से जुड़े ग्राहकों को एवं वैसे लिखतों की ट्रेडिंग करने वाले वेन्यूज को सेवा प्रदान करते हैं। जनवरी 2018 से लागू वित्तीय लिखतों के बाजारों संबंधी निदेश II का लक्ष्य वित्तीय संकट की ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाजार की कार्य पद्धति में सुधार लाना एवं निवेशक सुरक्षा को पुष्टा करना है।



लिए शेयरों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देकर और प्रतिभूतियों को उधार देने एवं लेने (एसएलबी) वाली प्रणाली को संशोधित करके प्रतिभूति बाज़ार को विकसित करने की दिशा में कदम उठाया है।

3.19 नकद एवं डेरिवेटिव क्षेत्रों के बीच बेहतर तारतम्य एवं बाज़ार की अखंडता में सुधार के उद्देश्य से योग्यता मानदंड, निकास संबंधी मानदंड एवं स्टॉक डेरिवेटिव के निपटान के संबंध में अनेक उपाय भी किए गए हैं। इनमें स्टॉक डेरिवेटिव का नपा-तुला अनिवार्य प्रत्यक्ष निपटान शामिल है। संवर्धित योग्यता मानदंड को पूरा करने वाले सभी वर्तमान एवं नए स्टॉक पर डेरिवेटिव का निपटान अगली अधिसूचना तक नकद में किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, यदि वैसे स्टॉक संवर्धित योग्यता मानदंड को पूरा करने में लगातार तीन महीने तक विफल होते हैं तो उन्हें नकद निपटान के स्थान पर प्रत्यक्ष निपटान को अपनाना होगा। प्रत्यक्ष निपटान अपनाने के बाद, वैसे स्टॉक द्वारा लगातार तीन महीने की अवधि तक पात्रता मानदंडों में से किसी को भी पूरा नहीं करने की स्थिति में उन्हें डेरिवेटिव क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। डेरिवेटिव क्षेत्र में वैसे वर्तमान स्टॉक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, परंतु संवर्धित मानदंडों को पूरा नहीं करते, वैसे स्टॉक का प्रत्यक्ष निपटान किया जाएगा।

### III. बीमा


3.20 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा बीमा क्षेत्र (आईएमएफ-एफएसएपी) का हाल किए गए आकलन में पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का बाज़ार के एक बड़े भाग पर प्रभुत्व कायम है एवं कुल प्रीमियम में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जीवन बीमा का वर्चस्व बरकरार है। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में मोटर बीमा का प्रभुत्व है। जीवन बीमा में जोखिम तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विस्तारित हैं, जबकि गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में ये मुख्यतः अल्पकालिक प्रवृत्ति के हैं। यह क्षेत्र लाभप्रद है एवं इसमें ऋण-शोधन क्षमता न्यूनतम आवश्यकता से अधिक होता है, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं। रिपोर्ट में शोधन-क्षमता ढांचा के आधुनिकीकरण, जोखिम-आधारित पूंजी के प्रति मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने, बीमा कंपनियों द्वारा अपना जोखिम एवं शोधन-क्षमता प्रणाली (ओआरएसए) विकसित करने और पर्यवेक्षण के लिए एक अधिक जोखिम-आधारित ढांचा को अपनाने के लिए सलाह दी गई है।

### IV. पेंशन निधि

3.21 वरिष्ठों के लिए सुरक्षा पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एवं क्रिसिल की संयुक्त रिपोर्ट (भारत में एक विस्तृत एवं दीर्घकालिक पेंशन प्रणाली के निर्माण में शामिल अवसर एवं चुनौतियां) फरवरी 2018 में जारी की गई थी। यह विभिन्न प्रदेशों के जनांकिक संक्रमण, राजकोषीय विस्तार, पेंशन व्यापन, पेंशन प्रावधान के विभिन्न स्तंभ, पेंशन आयोजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, सूचना रिपोज़िटरी एवं आगे चर्चा के लिए एक भुगतान अदायगी डिजाइन जैसे क्षेत्रों से संबंधित मुख्य मुद्दों एवं चिंताओं को प्रदर्शित करता है।

3.22 राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अभिदाताओं की संख्या एवं प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के मामले में बढ़ोतरी जारी है। एनपीएस के कुल अभिदाताओं की संख्या मार्च 2017 के 15.44 मिलियन की तुलना में मार्च 2018 में बढ़कर 21.18 मिलियन हो गई। एयूएम 1,746 बिलियन से बढ़कर 2,346 बिलियन हो गया (चार्ट 3.3क एवं ख)।

चार्ट 3.3: राष्ट्रीय पेंशन योजना - विवरण



स्रोत: पीएफआरडीए

### V. दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता व्यवस्था

3.23 दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड 2016 अन्य लोगों के साथ-साथ कॉरपोरेट व्यक्तियों का समयबद्ध तरीके से पुनःसंगठन एवं शोधन-अक्षमता समाधान का प्रावधान करता है जिससे कि उद्यमिता, क्रेडिट उपलब्धता एवं सभी हितधारकों के हितों में संतुलन के लिए वैसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को बढ़ाया जा सके। यह शोधन-अक्षमता समाधान के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से पृथक करता है एवं कॉरपोरेट देनदारों (सीडी) एवं निर्णायक प्राधिकारी (एए) के हितधारकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर मामले में तेजी से निर्णय ले सकें। यह कॉरपोरेट देनदार (सीडी) के लिए एक प्रोत्साहन समर्थित, बाज़ार चालित एवं समयबद्ध शोधन-अक्षमता समाधान उपलब्ध करती है। यह कोड अपनी सफलता के लिए वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दिये गए विकल्पों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। मार्च 2018 में 525 कॉरपोरेट समाधान की प्रक्रिया से गुजर रहे थे (चार्ट 3.4)।


3.24 परिचालन ऋणदाताओं (ओसी) द्वारा ट्रिगर की गई प्रक्रियाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, यद्यपि वित्तीय ऋणदाताओं (एफसी) द्वारा प्रारंभ की गई समाधान प्रक्रियाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है जिसका कारण प्राथमिक रूप से बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2017 है (चार्ट 3.5)। दर्ज की गई याचिकाओं में से 38 प्रतिशत वित्तीय ऋणदाताओं (एफसी) द्वारा फाइल की गई थीं, जिनमें से बड़ी संख्या बैंकों की थी जो तुलन पत्रों को साफ-सुथरा बनाने के लिए उनके द्वारा कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रयोग का संकेत देता है।

3.25 जनवरी 2017 से मार्च 2018 की अवधि में समाधान प्रक्रिया में शामिल किए गए 701 कॉरपोरेट में 67 को अपील या समीक्षा के बाद बंद कर दिया गया, 22 का समाधान किया गया एवं 87 का परिसमापन किया गया; यह कोड के लागू किए जाने के आरंभिक दिनों के लिए की गई अपेक्षा के अनुरूप था। परिसमापन वाले 87 कॉरपोरेट ऋणदाताओं से संबंधित विवरण चार्ट 3.6 में दिया गया है।

### VI. हाल के विनियामक पहल एवं उनका औचित्य


3.26 हाल के विनियामक पहलों में से कुछ, जिसमें विवेकपूर्ण एवं उपभोक्ता संरक्षण उपाय उनके औचित्य के साथ शामिल हैं, को सारणी 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान लेनदेन




स्रोत: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

चार्ट 3.5: कॉरपोरेट शोधन-अक्षमता समाधान प्रक्रिया की शुरुआत



स्रोत: आईबीबीआई

चार्ट 3.6: परिसमापन वाले कॉरपोरेट देनदारों का विवरण



स्रोत: आईबीबीआई

सारणी 3.1: महत्वपूर्ण विनियामकीय पहल (नवंबर 2017 - मई 2018)

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
<b>1. भारतीय रिज़र्व बैंक</b>		
30 नवंबर, 2017	सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में क्लीयरिंग कापरिशन ऑफ इंडिया की निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) में बैंकों के अंशदान को एसएलआर निवेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए	बैंकों द्वारा निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) में दी गई प्रतिभूतियां भारग्रस्त होती हैं। अतः एसजीएफ में निविष्ट प्रतिभूतियों को एसएलआर निवेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
06 दिसंबर, 2017	डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया। मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का योजितकीकरण व्यापारी के टर्नओवर तथा लेनदेन के माध्यम, इन दो मानदंडों पर निर्भर था।	अधिकाधिक व्यापारियों के मध्य डेबिट कार्ड की ग्राह्यता को बढ़ावा देने के लिए एमडीआर का योजितकीकरण किया गया।
19 दिसंबर, 2017	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी वित्तीय ऋणदाताओं को सूचित किया गया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(आईबीसी), 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) (आईयू) विनियमावली 2017 के संबद्ध प्रावधानों का पालन करें। अब से, वित्तीय ऋणदाता को वित्तीय सूचना ऐसे प्रारूप में और तरीके से इंफोरमेशन यूटिलिटी (आईयू) को प्रस्तुत करना होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो	निराकरण प्रक्रिया के लिए दस्तावेज़ों/रिकार्ड्स की प्रामाणिकता और विशुद्धता बनाने के लिए
04 जनवरी, 2018	भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं / सहयोगी कंपनियों (श्रेणी - I एडी बैंक) को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के उपक्रमों तथा उच्च दर्जा प्राप्त (AAA) कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) के ईसीबी का पुनर्वित्त पोषण करने की अनुमति दी गई, बशर्ते मूल उधार की बकाया परिपक्वता अवधि को घटाया न जाए और नई ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम हो। मौजूदा ईसीबी के आंशिक पुनर्वित्तपोषण के लिए भी समान शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई।	बाह्य वाणिज्यिक उधारों के पुनर्वित्तपोषक के रूप में भारतीय तथा विदेशी बैंकों के मध्य एकरूपता लाने हेतु
12 फरवरी, 2018	दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक नया सुसंगत एवं सरलीकृत फ्रेमवर्क जारी किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कड़ी समय-सीमा निर्धारित की है जिसके भीतर समाधान योजना का कार्यान्वयन किया जाए, ऐसा न किए जाने की स्थिति में दबावग्रस्त खातों को आईबीसी को भिजवा दिया जाए। चूक होते ही बैंक दबावग्रस्त खातों की पहचान करें, चूक की अवधि के आधार पर इन खातों को विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करें, भारतीय रिज़र्व बैंक के वृहद क्रेडिट डेटाबेस(सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट करें तथा समाधान की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। ऋणदाताओं को अब कम से कम 5 करोड़ रुपए के औसत एक्सपोजर वाले सभी एसएमए की जानकारी सीआरआईएलसी को मासिक आधार पर देनी होगी। इसके साथ ही, कम से कम 5 करोड़ रुपए के औसत एक्सपोजर वाले ऐसे उधारकर्ता, जो ऋण नहीं चुकाते हैं, की जानकारी साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी को अवश्य की जानी है। ऋणदाताओं से अपेक्षित है कि समाधान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करें।	दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अधिनियमन को देखते हुए यह महसूस किया गया कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विद्यमान दिशानिर्देशों को सुसंगत एवं सरलीकृत जेनरिक ढांचे में बदला जाए।
23 फरवरी, 2018	शिकायतों के निवारण हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया गया। प्रारम्भ में यह जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर लागू है, तदुपरान्त यह अन्य श्रेणी की एनबीएफसी पर भी लागू होगा। कुछ एनबीएफसी जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ, मूल निवेश कंपनियाँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि तथा ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो परिसमापन के अधीन हैं, लोकपाल योजना के दायरे से बाहर हैं।	योजना के तहत आने वाली एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु लागत- मुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
26 फरवरी, 2018	एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिवस (ईटीसीडी) बाज़ार में भारतीय निवासी एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की भागीदारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश। भारत में निवासी व्यक्ति और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अंतर्निहित जोखिम की विद्यमानता स्थापित किए बिना, भारतीय रुपया वाले सभी मुद्रा युग्मों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की एकल सीमा सभी विनियमों के लिए समान एवं समग्र रूप से लागू करते हुए लॉग (क्रय) या शॉर्ट (विक्री) पोजिशन ले सकते हैं।	यह दिशानिर्देश भारतीय बाज़ार के डेरीवेटिव सेगमेंट में विकास में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से जारी किए गए।
01 मार्च, 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी हुए। वित्त वर्ष 2018-19 से लघु और सीमांत किसानों को उधार देने हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर राशि के सममूल्य ऋण (सीईओबीई), इनमें से जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत का उप लक्ष्य 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लागू हैं। साथ ही, बैंकों द्वारा सूक्ष्म उद्यम को उधार देने हेतु एएनबीसी अथवा सीईओबीई, इनमें से जो भी अधिक हो, के 7.50 प्रतिशत का उप लक्ष्य, वित्त वर्ष 2018-19 से 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए भी लागू हो गया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित एवं सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण बिना किसी क्रेडिट सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं।	बैंकों के मध्य एक समस्तरीय कार्यक्षेत्र सृजित करने तथा एमएसएमई के विकास में सहयोग प्रदान करने हेतु
06 अप्रैल, 2018	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर वर्चुअल करेंसी में लेनदेन में भाग लेने या किसी व्यक्ति या संस्था जो वर्चुअल करेंसी में लेनदेन या निपटान कर रहा है उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं देने पर रिज़र्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन के जोखिम से बचाने के लिए
15 जून, 2018	31 दिसंबर 2017 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी में धारित सभी निवेशों पर बाजार में दैनिक कीमतों के कारण हानियों के लिए प्रावधान की परिव्याप्ति करने का विकल्प बैंकों को दिया गया। जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरंभ करते हुए चार तिमाहियों तक विभिन्न तिमाहियों के लिए प्रावधान राशि समान रूप से परिव्याप्ति की जा सकती है। उक्त विकल्प का उपयोग करने वाले बैंक अपने लेखे पर टिप्पणियां/ तिमाही परिणामों में उचित प्रकटीकरण करेंगे। बैंकों को निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) सृजित करने के लिए भी सूचित किया गया। रिज़र्व में एक ऐसी राशि समाविष्ट हो जो वर्ष के दौरान निवेशों के विक्रय से निवल लाभ से कम नहीं हो और उसी वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोग को घटाते हुए आईएफआर में तब तक अंतरित किया जाए जब तक आईएफआर की राशि सतत रूप से एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो के कम से कम 2 प्रतिशत पर पहुंच न जाए। आईएफआर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए योग्य होंगे।	सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में तेज़ वृद्धि के प्रणालीगत प्रभाव के मुद्दे को सुलझाने तथा पर्याप्त रिज़र्व बढ़ाने के लिए ताकि ऐसे प्रतिफलों की वृद्धि से बैंकों को बचाया जा सके। आईएफआर के सृजन से निवेश की बिक्री से हुए लाभ के वितरण को रोका जा सकता है। इससे प्रणालीगत प्रतिरोधक्षमता के रूप में बैंकों की आघात सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
<b>2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)</b>		
03 जनवरी, 2018	सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यवस्था योजनाएँ तथा (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम 1957 के नियम 19 के उप नियम (7) के अंतर्गत छूट : परिपत्र संख्या सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 दिनांक 10 मार्च 2017 में संशोधन	व्यवस्थाओं की मौजूदा विनियामकीय फ्रेमवर्क गवर्निंग योजना में सुधार हेतु
04 जनवरी, 2018	सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं को कुल परतलाभ सूचकांक के सापेक्ष बेंचमार्क कथित जाना है।	निवेशकों को किसी योजना के कार्यनिष्पादन की तुलना उपयुक्त बेंचमार्क से करने हेतु सुलभता प्रदान करने के लिए

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
05 जनवरी, 2018	नज्जी प्लेसमेंट आधार पर प्रतभूति जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक बुक मैकैनिज़िम : वद्वियमान फ्रेमवर्क का संशोधन	ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना, ऋण प्रतिभूतियों के स्वरूप की अन्य श्रेणी की प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट को अनुमति प्रदान करना तथा निर्गम में पारदर्शिता को बढ़ाना, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।  ऋण आधार पर निर्गमित सभी प्राइवेट प्लेसमेंट जिनकी प्रारम्भिक सीमा ₹200 करोड़ है, के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म अनिवार्य किया गया।
08 जनवरी, 2018	अंतःदिवसीय निश्चित हानियों के लिए मार्जिन का प्रावधान	अंतःदिवसीय व्यापार से उत्पन्न निश्चित दायित्व (व्यापार से लाभ/हानि) के जोखिम का आकलन मार्जिनिंग प्रणाली में नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्लीयरिंग कापरिशन के समाशोधन सदस्य को ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए बनाई गई जोखिम प्रबंधन प्रणाली में भी इसका आकलन नहीं हो पा रहा आता। ऐसे जोखिम को कम करने के लिए सेबी ने यह आदेशित किया कि क्लीयरिंग कापरिशन अंतः दिवसीय निश्चित हानि की निगरानी तत्काल आधार पर करेगा और उसे निर्बाध/मुक्त संपार्श्विक से ब्लॉक किया जाएगा। ऐसा केवल उन्हीं लेनदेनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए प्रारम्भिक मार्जिनिंग जरूरी है। निश्चित हानि, यदि कोई हो तो, उसे ग्राहक के स्तर से निश्चित लाभ से प्रतितुलन किया जा सकता है। यदि क्लीयरिंग कापरिशन के पास निश्चित हानि उपलब्ध निर्बाध संपार्श्विक से अधिक हो तो उस इकाई को 'रिस्क रिडक्शन मोड' में डाला जाए।
22 जनवरी, 2018	उत्पाद डिजाइन हेतु स्वतंत्र निगरानी समिति की भूमिका : चूंकि पण्य डेरी-वेटिव एक्सचेंज के लिए ऐसी निगरानी समितियों की संरचना और संचालन के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे थे अतः सेबी ने उत्पाद डिजाइन हेतु एक निगरानी समिति की भूमिका को पारिभाषित किया।	यह समिति उत्पाद डिजाइन जैसे नए उत्पादों/संविदा की शुरुआत, मौजूदा उत्पाद/संविदा इत्यादि की डिजाइन में परिवर्तन तथा पूर्व अनुमोदित तथा चालू संविदा की डिजाइन की समीक्षा से संबंधित मामलों के प्रेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।
02 फरवरी, 2018	बी 30 शहरों में म्यूचुअल फंड में निवेश को बढ़ाने के लिए (यथा; शीर्ष 30 शहरों से अधिक) योजना की दैनिक निवल आस्तियों पर 0.30% का अतिरिक्त व्यय लगाए जाने, जो कुछ शर्तों के तहत था, के मौजूदा प्रावधान की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि योजना के अंतर्गत दैनिक निवल आस्तियों पर 0.30% तक अतिरिक्त व्यय प्रभारित किया जा सकता है, बशर्ते निधियों का अंतर्वाह बी15 शहरों की बजाय बी 30 शहरों से हो।	बी 30 शहरों में म्यूचुअल फंड में निवेश को बढ़ाने के लिए (यथा; शीर्ष 30 शहरों से अधिक)
05 फरवरी, 2018	म्यूचुअल फंड योजनाओं पर प्रभारित वास्तविक कुल व्यय अनुपात के प्रकटीकरण में एकरूपता लाने तथा निवेशकों को सूचनाप्रद निर्णय लेने के लिए योग्य बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि एमसी दैनिक आधार पर सभी योजनाओं के टीईआर एक पृथक मद - 'म्यूचुअल फंड योजनाओं का कुल व्यय अनुपात' के अंतर्गत अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रकट करेंगे।  इसके अलावा, किसी योजना में पिछले आधार टीईआर (अर्थात् टीईआर जिसमें सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 52 (6ए) (बी) और 52 (6ए) (सी) में वर्णित अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं हैं) प्रभार की तुलना में आधार टीईआर में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को लागू करने के कम से कम तीन कार्यदिवस पहले इसके बारे में उस योजना के निवेशकों को ईमेल या एसएमएस नोटिस के जरिए सूचित किया जाएगा।	म्यूचुअल फंड योजनाओं पर प्रभारित वास्तविक कुल व्यय अनुपात के प्रकटीकरण में एकरूपता लाने तथा निवेशकों को सूचनाप्रद निर्णय लेने के लिए योग्य बनाने हेतु
15 फरवरी, 2018	किसी आईपीओ में खुदरा वैयक्तिक निवेशकों को मुआवजा।	सेबी ने ऐसे खुदरा निवेशकों, जो स्वतः प्रमाणित सिंडीकेट बैंकों के स्तर पर कुछ विफलताओं के कारण पात्र होने के बावजूद आईपीओ में प्रतिभूति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, को मुआवजा देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
15 फरवरी, 2018	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए एक्सेस मानदंडों को सरल बनाना : हितधारकों से परामर्श करने के उपरांत, सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए मौजूदा विनियामकीय प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तन किए।	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए एक्सेस मानदंडों को सरल बनाना
22 फरवरी, 2018	न्यूनतम पब्लिक शेयरधारिता प्राप्त करने का तरीका : कुछ शर्तों के साथ खुला बाजार बिक्री तथा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन जैसी अतिरिक्त पद्धतियों को अनुमति दी गई है	सूचीबद्ध इकाईयों को न्यूनतम पब्लिक शेयरधारिता संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु सुविधा प्रदान करना
13 मार्च, 2018	म्यूचुअल फंड में शेयरधारिता तथा गवर्नेंस हेतु मानदंड : यह प्रावधान, किसी भी एक म्यूचुअल फंड के प्रायोजक या पर्याप्त शेयर/बोर्ड प्रतिनिधित्व धारण करने वाले किसी भी शेयरधारक को, किसी अन्य म्यूचुअल फंड के एएमसी या ट्रस्टी कंपनी में प्रमुख हितधारण करने या बोर्ड प्रतिनिधित्व नहीं रखने देगा। इससे म्यूचुअल फंड जगत में बेहतर गवर्नेंस तथा शेयरधारिता सुनिश्चित की जा सकेगी।	शेयरधारकों के बीच हित संघर्ष को रोकने तथा म्यूचुअल फंड जगत में बेहतर गवर्नेंस तथा शेयरधारिता सुनिश्चित करना
21 मार्च, 2018	पण्य डेरिवेटिव के लिए जोखिम प्रबंधन मानदंड	इक्विटी और मुद्रा डेरिवेटिव्स सेगमेंट में क्लियरिंग सदस्यों के लिए लागू न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और अर्थसुलभ निवल मालियत से संबंधित मानदंडों के साथ पण्य डेरिवेटिव्स सेगमेंट में समाशोधन निगमों के सदस्यों के लिए लागू मानदंडों को संरेखित करना।
21 मार्च, 2018	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की अपेक्षा तथा समुचित सावधानी : सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की अपेक्षा तथा समुचित सावधानी से संबंधित परिपत्र जारी किया है।	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (पीसीटएफए) का अनुपालन सुनिश्चित करना
<b>3. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (ईआपीडरआईआ)</b>		
05 दिसंबर, 2017	आईआरडीएआई (निजी इक्विटी फंडों द्वारा भारतीय बीमा कंपनियों में निवेश) दिशानिर्देश 2017 : विगत में, प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों में निवेशकों के रूप में निवेश करने के लिए निजी इक्विटी फंड (पीई फंड) और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की अनुमति दी थी। हालांकि, हाल ही में, प्राधिकरण को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें निजी इक्विटी फंड / वैचर फंड / वैकल्पिक निवेश ने किसी निवेशक या प्रमोटर के रूप में बीमा कंपनी में हितधारक / कंपनी प्रमोट करने में रुचि दिखाई है।	ईआपीडरआईआ ने बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण विनियम, 2015 के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों को जारी किया है। ये दिशानिर्देश असूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियों और निजी इक्विटी फंडों पर लागू होंगे, जिन्होंने असूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियों में निवेशक या प्रमोटर के रूप में निवेश किया है
18 दिसंबर, 2017	धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) सातवाँ संशोधन नियम, 2017 : केन्द्र सरकार ने पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) (सातवाँ संशोधन) नियम, 2017 दिनांक 12.12.2017 को अधिसूचित किया है तथा राजपत्र अधिसूचना 13.12.2017 को जारी की है। तदनुसार, सूचना देनेवाली संस्था हेतु ग्राहकों द्वारा आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या अथवा फार्म 60 प्रस्तुत करने की तारीख 31 मार्च 2018 अथवा खाता-आधारित संबंध के प्रारंभ की तारीख से छह महीने निरधारित की है।	धन-शोधन निवारण पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संशोधन किए गए
21 दिसंबर, 2017	आईआरडीएआई - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के पंजीकरण तथा परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश	ये दिशानिर्देश आईआरडीएआई (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा व्यवसाय का विनियमन) के नियम 3 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए। ये दिशानिर्देश भारतीय/विदेशी बीमाकर्ताओं तथा पुनर्बीमाकर्ताओं को आईएफएससी-एसईजेड के उद्देश्यों के संरेखण में आईएफएससी विशेष आर्थिक क्षेत्र यथा, गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में पंजीकरण तथा परिचालन की प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से जारी किए गए।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
		इन दिशानिर्देशों को जारी करने का औचित्य, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि आईएफएससी-एसईजेड में विदेशी बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। इससे हमें आईएफएससी-एसईजेड, भारत में एक क्षेत्रीय पुनर्बीमा केंद्र तैयार करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप पुनर्बीमा क्षमता में सुधार होगा और विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा।
20 मार्च, 2018	धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरा और सातवाँ संशोधन नियम, 2017 : वर्तमान बीमा पॉलिसियों के लिए, आधार को संबद्ध करने की तारीख तब तक आगे बढ़ाई गई है जब तक इस मामले में अंतिम रूप से सुनवाई नहीं होती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की घोषणा नहीं की जाती।  नई बीमा पॉलिसियों के लिए, ग्राहक को प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने की अनुमति दी गई है। आधार के अभाव में "आधिकारिक तौर पर विधिमान्य दस्तावेज" प्रस्तुत किए जा सकते हैं।	सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 494/2017 में दिनांक 13.3.2018 के आदेश के अनुसार आधार को संबद्ध करने की अंतिम तारीख बढ़ाई है जब तक इस विषय में अंतिम रूप से सुनवाई नहीं होती और निर्णय की घोषणा नहीं की जाती।
<b>4.पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीडरआफपीए)</b>		
09 जनवरी, 2018	पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति परामर्शदाता) (चौथा संशोधन) विनियमवली 2017 की अधिसूचना के बाद सेवानिवृत्ति परामर्शदाताओं के लिए आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, ऑन बोर्डिंग शुल्क में परिवर्तन और जमानत राशि की आवश्यकता में संशोधन किया गया है।	सेवानिवृत्ति परामर्शदाताओं के जरिए एनपीएस की पहुंच बढ़ाने के प्रयोजन से चौथा संशोधन किया गया था।
10 जनवरी, 2018	आंशिक आहरण अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए अभिदाता एवं नोडल कार्यालय/ पीओपी/ एग्रीगेटर द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश।	एनपीएस में, अभिदाताओं द्वारा आंशिक आहरण किए जाने का प्रावधान है। इस उत्पाद को और अधिक लचीला और ग्राह्य बनाने के प्रयोजन से आंशिक आहरण के मानदंडों में परिवर्तन किया गया और उन्हें उदार बनाया गया।
25 जनवरी, 2018	31.12.2017 को समाप्त अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) की कार्यप्रणाली में कुछ नया जोड़ा जाना/अद्यतन करना।	केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) की विभिन्न कार्यप्रणालियों को अद्यतन किया गया और इसमें समय-समय पर कुछ नया जोड़ा गया जिसमें मोबाइल ऐप, अभिदाता पंजीकरण, एफएटीसीए/ सीआरएएस प्रमाणन, केवाईसी सत्यापन और अन्य परिचालनात्मक कार्यप्रणाली जैसे विकास एवं आहरण शामिल हैं।
<b>5.भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)</b>		
07 दिसंबर, 2017	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम 2017	ये विनियम आईबीबीआई द्वारा शिकायतों एवं परिवादों के निपटान के लिए एक विशिष्ट मूलक एवं पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं।
13 दिसंबर, 2017	सूचना उपयोज्यता द्वारा कोर सेवाओं के कार्यनिष्पादन के संबंध में तकनीकी मानकों पर दिशानिर्देश।	सूचना उपयोज्यता द्वारा कोर एवं अन्य सेवाओं के कार्यनिष्पादन के संबंध में तकनीकी मानकों पर दिशानिर्देश का निर्धारण।
31 दिसंबर, 2017	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमवली 2016 और आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमवली 2017।	आईबीबीआई ने "विसम्मत वित्तीय लेनदार" को परिभाषित करने के लिए विनियमवली में संशोधन किया और इसे एक ऐसे वित्तीय लेनदार के रूप में परिभाषित किया जिसने लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा अनुमोदित रेजल्यूशन प्लान के विरुद्ध मतदान किया हो या मतदान प्रक्रिया में भाग न लिया हो। इससे वित्तीय लेनदार विसम्मत होने में हतोत्साहित होंगे।  इसमें यह भी प्रावधान है कि रेजल्यूशन आवेदक इस प्रयोजन हेतु दिए गए निमंत्रण प्रस्ताव में वर्णित समय के भीतर रेजल्यूशन प्लान प्रस्तुत कर दे।
16 जनवरी, 2018	रेजल्यूशन प्रक्रिया संचालित करने वाले दिवाला पेशेवरों द्वारा नियुक्त दिवाला पेशेवर एवं अन्य पेशेवरों द्वारा प्रकटीकरण	आईपी को निदेश देना कि वे आईपीए को जिसके वे पेशेवर सदस्य हैं, फॉर्मेट के अनुसार अपने संबंधों के बारे में एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रकटीकरण प्रस्तुत करें। एक आईपी से यह भी अपेक्षित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा नियुक्त पेशेवरों ने संबंधों के बारे में आईपीए को प्रकटीकरण प्रस्तुत कर दिया है। आईपीए द्वारा ये सभी प्रकटीकरण प्राप्त हो जाने की तारीख से तीन कार्यदिवस के भीतर उनकी वेबसाइट पर प्रचारित किए जाने हैं।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
18 जनवरी, 2018	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018	यह संशोधन इरादतन चूककर्ताओं और ऐसे चूककर्ताओं जिनके बकाये को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें और ऐसे प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी व्यक्तियों को परिसमापन की स्थिति में रेजल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने और कॉर्पोरेट देनदारों से आस्तियां खरीदने से बाधित करता है। इसमें लेनदारों की समिति (सीओसी) को और समर्थ बनाने का प्रावधान है जो अपात्रता की शर्तों का समाधान करने और सीआईआरपी की समयसीमा को पूरा करने की अनुमति देता है। सीओसी की अनुमति से यह आईपी को शक्ति भी प्रदान करता है ताकि कॉर्पोरेट देनदारों के परिचालन की जटिलता तथा दायरे के अनुरूप रेजल्यूशन आवेदक के संबंध में अर्हता मानदंड निर्धारित किए जा सकें।
06 और 07 फरवरी, 2018	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 और आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2017	<p>निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आईबीबीआई ने विनियमावली में संशोधन किया:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>रेजल्यूशन पेशेवर द्वारा रेजल्यूशन आवेदक को एक संदेश प्रस्ताव जारी किया जाना जिसमें मूल्यांकन मैट्रिक्स शामिल हो। वह संदेश प्रस्ताव और मूल्यांकन मैट्रिक्स में बदलाव कर सकता है। तथापि, संभावित रेजल्यूशन आवेदक को संदेश प्रस्ताव जारी होने या बदलाव किए जाने के दिन से कम से कम 30 दिनों के भीतर, जो भी तदनंतर हो, रेजल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार उसे मूल्यांकन मैट्रिक्स या बदलाव किए जाने से कम से कम 15 दिनों के भीतर, जो भी तदनंतर हो, रेजल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। संक्षिप्त संदेश प्रस्ताव कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट, यदि कोई हो तो और इस प्रयोजन हेतु आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि कोई हो तो, पर उपलब्ध कराया जाएगा।</li> <li>यह रेजल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट देनदार के दिवालियेपन के समाधान के लिए उनकी आस्तियों की कीमत को उच्चतम सीमा तक ले जाने के लिए, जैसा भी अपेक्षित हो, उपाय प्रस्तुत करेगा और इसमें लेनदारों को देय राशि में कटौती, परिपक्वता तारीख में आगे विस्तार, या ब्याज दर में या कॉर्पोरेट देनदार की ओर से देय किसी कर्ज की शर्त में कोई परिवर्तन, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उत्पादित या दी जाने वाली माल एवं सेवा के संविभाग में कोई परिवर्तन और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रयुक्त टेक्नॉलॉजी में कोई परिवर्तन शामिल है।</li> <li>रेजल्यूशन पेशेवर परिसमापन मूल्य के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार का उचित मूल्य निर्धारित करेगा। रेजल्यूशन पेशेवर और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।</li> <li>रेजल्यूशन पेशेवर इस रूप में अपनी नियुक्ति होने के दो सप्ताह के भीतर लेनदारों की समिति के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक संभावित रेजल्यूशन आवेदक को उनसे से गोपनीयता शपथ-पत्र प्राप्त होने पर अधिक से अधिक रेजल्यूशन प्लान के संदेश प्रस्ताव की तारीख तक, सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।</li> <li>इसमें एक ऐसे रेजल्यूशन प्लान का भी प्रावधान है जो निधि के ऐसे विशिष्ट स्रोतों की पहचान करे जिसका प्रयोग क्रियाशील लेनदारों और विसम्मत वित्तीय लेनदारों के दिवालियेपन की समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन मूल्य का भुगतान करने में किया जा सके।</li> </ol>



दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
27 मार्च, 2018	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016	निम्नलिखित उपलब्ध कराने हेतु आईबीबीआई ने विनियमावली में संशोधन किया: i. दिवालियापन शुरू होने की तारीख से 105वें दिन या इससे पहले कोई रेजल्यूशन पेशेवर संभावित रेजल्यूशन आवेदक की पहचान करेगा। ii. अंतरिम रेजल्यूशन पेशेवर/ रेजल्यूशन पेशेवर इस प्रकार से मदवार दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रकट करेगा जैसाकि बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो। iii. एक ऐसा वित्तीय लेनदार जो अंतिम रेजल्यूशन पेशेवर के पास दावा प्रस्तुत कर रहा है, वह यह घोषणा करेगा कि वो कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में या इससे संबंधित पार्टी नहीं है।
27 मार्च, 2018	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 में संशोधन	यह संशोधन परिसमापक को यह अनुमति देता है की कॉर्पोरेट देनदार को सक्रिय संस्थान के रूप में बेच सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि परिसमापन शुरू होने की तारीख से परिसमापन लागत की चुकोती होने तक 12 महीने के लिए अंतरिम वित्त पर ब्याज शामिल किया जाए।
27 मार्च, 2018	आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर) विनियमावली 2016 में संशोधन	संशोधित विनियमों के अनुसार, आईपी के पंजीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है, जिसमें पिछले 12 महीनों के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा पास करने, किसी पेशेवर दिवाला एजेंसी के पास पंजीकरण-पूर्व कोर्स को पूरा करने और उनके लिए जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अनवरत पेशेवर शिक्षा (सीपीई) नहीं है, ग्रेजुएट दिवाला कार्यक्रम का प्रावधान कराना अनिवार्य किया गया है। किसी कंपनी, पंजीकृत साझेदारी प्रतिष्ठान या किसी सीमित देयता भागीदारी फार्म को पेशेवर दिवाला संस्था के रूप में मान्यता हेतु पात्रता शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है।
April 19, 2018	पेशेवर दिवाला एजेंसियों के लिए वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र	आईपीए की संस्थागत भूमिका के मद्देनजर, उनके कार्य निष्पादन तथा सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन दोनों की निगरानी सुनिश्चित करने, और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के आलोक में, आईपीए से अपेक्षित है कि वह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर आईबीबीआई के फॉर्मेट के अनुसार वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
June 06, 2018	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018	(i) घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता देकर यह उन्हें राहत पहुंचाता है, और उन्हें लेनदारों की समिति में उचित प्रतिनिधित्व का हकदार बनाता है। (ii) यह अध्यादेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को एक विशेष छूट यह प्रदान करता है कि ऐसे प्रवर्तक जिनका प्रतिष्ठान कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में जा रहा हो, उन्हें तब तक अपने प्रतिष्ठान के लिए बोली लगाने से अयोग्य नहीं ठहराता है, जब तक कि वे इरादतन चूककर्ता या अन्यथा अयोग्य न हो गए हों। यह अध्यादेश केंद्र सरकार को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि केंद्र सरकार को यह अनुमति है कि यदि जनहित में अपेक्षित हो तो वह एमएसएमई क्षेत्र में आगे और छूट दे सकती है या उसमें आशोधन कर सकती है। (iii) यह अध्यादेश किसी मामले के आईबीसी 2016 के अंतर्गत आने के बाद उसे इससे बाहर निकलने के संबंध में एक कड़ी प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह केवल तब अनुमत है जब लेनदारों की समिति का अनुमोदन 90 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ हो और साथ ही केवल अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के पहले ही इसकी अनुमति है।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
		<p>iv. समाधान योजना के अनुमोदन, सीआईआरपी अवधि को बढ़ाने आदि जैसे सभी प्रमुख निर्णयों के लिए मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत और दैनिक निर्णयों के लिए 51 प्रतिशत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीडी एक सतत संस्था है।</p> <p>v. समाधान आवेदक को बोली लगाने के लिए अपनी पात्रता को प्रमाणित करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>vi. बड़ी संख्या में देनदारों हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अभ्यावेदन, किसी एक कार्य को करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को छूट, एनपीए के कारण अयोग्य हो चुके एनपीए के अधिग्रहण करने वाले समाधान आवेदकों के लिए अनुग्रह अवधि। विभिन्न कानूनों के तहत अपेक्षित विविध सांविधिक दायित्वों को पूरा करने हेतु सफल समाधान आवेदक को अध्यादेश न्यूनतम एक वर्ष की अनुग्रह अवधि प्रदान करता है। समाधान योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में नए प्रबंधन को सक्रिय करने में काफी समय लगेगा।</p> <p>vii. यह अध्यादेश गारंटी को लागू करने के लिए अधिस्थगन अवधि की गैर प्रयोज्यता; संहिता के तहत कॉर्पोरेट कर्जदार के लिए उनके स्तर पर दिवालिया समाधान शुरू करने हेतु विशेष समाधान की आवश्यकता; सीआईपीआर अवधि के दौरान कॉर्पोरेट कर्जदार को वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु अंतरिम वित्त की निबंधन और शर्तों को आसान बनाने; और सेवाओं के संबंध में शुल्क लगाने की शक्ति के साथ-साथ आईबीबीआई को विशिष्ट विकासात्मक भूमिका का अधिकार भी प्रदान करता है।</p>

### खंड-ख

#### अन्य गतिविधियां, बाज़ार प्रथाएं और पर्यवेक्षी चिंताएं

##### I. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

3.27 दिसंबर 2017 में पिछली एफएसआर के प्रकाशन के बाद, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 18वीं बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2017 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से बजट-पूर्व परामर्श किया गया। विनियामकों ने यूनियन बजट 2018-19 के लिए अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। परिषद ने उन प्रस्तावों पर चर्चा की तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया गया कि वे आगे उचित निर्णय लेने हेतु संबंधित प्रस्तावों का विस्तृत रूप से जांच करें। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के राज्यमंत्री, राजस्व विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय





के सचिव को नए सदस्य के रूप में शामिल करते हुए सरकार द्वारा एफएसडीसी का पुनर्गठन किया गया।

##### II. निधि का प्रवाह: एफपीआई और म्यूच्युअल फंड्स

###### म्यूच्युअल फंड (एमएफ) निवेश की प्रवृत्ति

3.28 पिछले कुछ वर्षों में एमएफ के माध्यम संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई है। 2017-18 के दौरान, एमएफ की असेट अंडर मैनेजमेंट (एएमयू) आस्तियां मार्च 2017 में ₹17.55 ट्रिलियन से बढ़कर मार्च 2018 में ₹21.36 ट्रिलियन हो गई हैं (चार्ट 3.7 ए)। वर्ष 2013-14 से 5 वर्ष की अवधि के दौरान बी-15 शहरों का एयूएम 223 प्रतिशत बढ़ा है (चार्ट 3.7बी)। पिछले वित्तीय वर्ष के बाद 2017-18 के दौरान सुनियोजित निवेश योजना

चार्ट 3.7: म्यूच्युअल फंडों में प्रवृत्तियां



स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

(एसआईपी) की संख्या में 53.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि एसआईपी खातों की परिपक्वता पूर्व निकासी 9.48 प्रतिशत रहा (चार्ट 3.7सी)। म्यूच्युअल फंडों में एसआईपी के माध्यम से निवेश और म्यूच्युअल फंड की धारित व्यापक भौगोलिक विविधता, एमएफ उद्योग की संवृद्धि और स्थिरता दोनों के लिए अनुकूल है।

3.29 व्यक्तिगत धारण का हिस्सा, जिसमें खुदरा-धारण और उच्च मालियत वाले व्यक्ति(एचएनआई) शामिल हैं, मार्च 2017 में 50 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में

55 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.7 डी)। म्यूच्युअल फंडों में व्यक्तिगत धारण बढ़ने से धारण स्वरूप में अधिक विविधता और मोचन दबाव की दृष्टि से म्यूच्युअल फंडों को परिणामतः स्थिरता मिल सकेगी।

**क. नकद बनाम व्युत्पन्नी कारोबार**

3.30 सुसंचालित प्रतिभूति बाजार के लिए दोनों इक्विटी और व्युत्पन्नी बाजार महत्वपूर्ण हैं। पिछले काफी समय से इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार की तुलना में इक्विटी नकद


में कारोबार का अनुपात 2013-14 में 14.24 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 15.59 प्रतिशत और 2017-18 में 19.84 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.8)।

### ख. पूंजी बाजार में निधि जुटाने की गतिविधि

3.31 पिछले वर्षों में प्राथमिक बाजार द्वारा जुटाई गई समेकित निधियों में उछाल आया है। वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को छोड़कर, 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 के दौरान कुल जुटाई गई पूंजी में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि, कॉर्पोरेट बॉण्ड की स्थिर श्रेणीकरण के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान बॉण्ड जारी करने में गिरावट देखी गई (चार्ट 3.9)। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने में काफी वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में, आईपीओ में बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) का प्रभाव नए निर्गमों पर अधिक रहा है और यह प्रवृत्ति 2017-2018 में लगातार बनी रही।


3.32 सूचीबद्ध फर्मों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए सेबी ने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। कोटक समिति की संस्तुतियों और सार्वजनिक अभिमतों को ध्यान में रखते हुए, सेबी ने भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेहतरी के लिए कई उपायों पर निर्णय लिए हैं जिसमें सूचीबद्ध इकाई निदेशकता की अधिकतम संख्या 10 से 8 किया जाना, शीर्ष 500 सूचीबद्ध इकाइयों में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक, सीईओ/एमडी और अध्यक्ष को अलग करना, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका में वृद्धि, संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) के प्रकटीकरण में वृद्धि आदि शामिल हैं। इसने सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा अननुपालन को साधने हेतु मानक परिचालनगत प्रक्रिया तथा को-लोकेशन और एल्गोरिथ्मिक (एल्गो) ट्रेडिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाए हैं (बॉक्स 3.4)।

चार्ट 3.8: इक्विटी व्युत्पन्नी कारोबार में इक्विटी नकदी का अनुपात



स्रोत: सेबी

चार्ट 3.9: प्राथमिक बाजार से जुटाई गई पूंजी



नोट: क्यूआईपी: अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन  
आईपीपी: संस्थागत निजी स्थानन

स्रोत: सेबी

### बॉक्स 3.4: को-लोकेशन और एल्गो व्यापार के लिए दिशानिर्देश

सेबी की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की संस्तुतियों के आधार पर, 13 मई 2015 को सेबी ने को-लोकेशन/ प्रोक्सीमिडि होस्टिंग पर प्रारंभिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश, को-लोकेशन सुविधा में निष्पक्ष व समान रूप से पहुँच के साथ डाटा तथा ट्रेडिंग प्रणाली की सुरक्षा व विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे।

टीएसी की संस्तुतियों के आधार पर 01 दिसंबर 2016 को दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और शेयर बाजारों को यह सूचित किया गया कि एक मान्य शेयर बाजार की को-लोकेशन सुविधा और दूसरे मान्य शेयर बाजार की को-लोकेशन सुविधा के बीच सीधे संबंध स्थापित करने की अनुमति होगी। शेयर बाजारों को यह भी सूचित किया गया कि वे किसी मान्य शेयर बाजार की को-लोकेशन सुविधा में स्थापित शेयर दलाल के सर्वर और किसी अन्य मान्य शेयर बाजार की को-लोकेशन सुविधा में स्थापित उसी शेयर दलाल के सर्वर की बीच सीधे संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य पक्ष द्वारा प्रदत्त अथवा अन्य पक्ष से आउटसोर्स की गई को-लोकेशन सुविधा को शेयर बाजार द्वारा उपलब्ध सुविधा माना जाएगा और को-लोकेशन सुविधा के संबंध में ऐसी आउटसोर्स इकाई की गतिविधियों के लिए शेयर बाजार जिम्मेदार और उत्तरदायी रहेगा।

शेयर बाजार द्वारा प्रदत्त एल्गोरिथ्मिक (एल्गो) ट्रेडिंग और को-लोकेशन/ प्रोक्सीमिडि होस्टिंग सुविधा से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु और एल्गोरिथ्मिक / कॉलेटेड और मैन्युअल ट्रेडिंग के बीच समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान दिशानिर्देश की समीक्षा के लिए दिनांक 05 अगस्त 2016 को चर्चा-पत्र भी जारी किया गया। टीएसी और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति (एसएमएसी) के परामर्श से और सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, शेयर बाजार द्वारा प्रदत्त एल्गोरिथ्मिक (एल्गो) ट्रेडिंग और को-लोकेशन/ प्रोक्सीमिडि होस्टिंग सुविधा से संबंधित विविध कदम उठाए गए हैं। मध्यम और लघु आकार वाले सदस्यों के लिए प्रबंधित को-लोकेशन सेवा, जिसके तहत

सेवाप्रदाता ट्रेडिंग सदस्य को तकनीकी जानकारी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करेगा तथा प्रबंधित को-लोकेशन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बहु-सेवाप्रदाताओं को अनुमति और न्यूनतम, अधिकतम और मध्यम लेटेन्सी और 50वें और 99वें प्रतिशतक पर लेटेन्सी और संदर्भ लेटेन्सी प्रकाशित करने हेतु निर्देश आदि सुविधाएं इसमें शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार के बाजार सहभागियों के बीच अधिक समान अवसर वाले क्षेत्र पैदा करने हेतु, शेयर बाजारों को निर्देश दिया गया कि वे सभी ट्रेडिंग सदस्यों को बिना किसी लागत के सही का निशान भरने वाले फीड उपलब्ध करवाएं बशर्ते कि ऐसी सेवाएँ लेने के लिए और प्रसंस्करण करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य अनिवार्य मूलभूत संरचना बनाएं।

ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा किए गए एल्गो आदेशों के उच्च दैनिक आर्डर टू ट्रेड अनुपात (ओटीआर) के लिए प्रभावी आर्थिक हतोत्साही उपाय करने हेतु पूर्व में शेयर बाजारों को सूचित किया गया था। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य में, अंतिम कारोबारी कीमत (एलटीपी) के निकट अधिक आदेश देने हेतु एल्गो ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए यह तय किया गया कि एलटीपी (पहले जो  $\pm 1$  प्रतिशत था) के  $\pm 0.75$  प्रतिशत के भीतर किए गए आदेशों को उच्च ओटीआर हेतु दण्ड लगाने के फ्रेमवर्क से छूट दी जाएगी। यह निर्णय भी लिया गया कि नकद खंड में किए गए आदेशों और चलनिधि वर्धन/बढ़ाने की योजना के तहत किए गए आदेशों को भी ओटीआर फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा।

व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, शेयर बाजारों को निर्देश दिया गया कि वे अपने द्वारा अनुमोदित प्रत्येक एल्गोरिथ्म को एक विशिष्ट पहचान-चिह्न आबंटित करें। शेयर बाजारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विनिमय प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर एल्गोरिथ्म आर्डर को संबंधित एल्गोरिथ्म के द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान-चिह्न दिया गया है और ये विशिष्ट पहचान-चिह्न निगरानी के उद्देश्य से सेबी के पास भेजा गया/ साझा किये गए डाटासेट का हिस्सा है।


### III. पण्यों के लिए डेरिवेटिव बाजार

#### (क) बाजार की गतिविधियां

3.33 पण्य के डेरिवेटिव बाजार में अक्टूबर 2017-मार्च 2018 के दौरान काफी उत्साहवर्धक प्रवृत्तियां रही क्योंकि ऊर्जा, धातु और कृषि सूचकांकों<sup>22</sup> के सभी वर्गों में धनात्मक प्रतिलाभ रहे (चार्ट 3.10)। पण्यों के सभी डेरिवेटिव एक्सचेंजों (वायदा और ऑप्शन संयुक्त रूप से) में कुल टर्नओवर में 2017-18 की दूसरी छमाही में विगत छमाही की तुलना में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस टर्नओवर में गैर-कृषि डेरिवेटिव का कुल हिस्सा इस अवधि में 87.2 प्रतिशत था जबकि कृषि-डेरिवेटिव का योगदान शेष 12.8 प्रतिशत के लिए रहा (चार्ट 3.11)।


3.34 सेबी ने चलनिधि संवर्द्धन योजना (एलईएस) के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवेदनशील पण्यों को छोड़कर पण्य डेरिवेटिव संविदाओं में चलनिधि संवर्द्धन स्कीम हेतु अनुमति दी। पण्य डेरिवेटिव के क्लियरिंग कारपोरेशनों के सदस्यों हेतु आधारभूत न्यूनतम पूंजी (बीएमसी) और चलनिधि निवल मालियत से संबंधित मानदंडों को इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव के क्लियरिंग सदस्यों के लिए अनुमेय मापदंडों के साथ अनुरूपित करते हुए सेबी ने एक परिपत्र भी जारी किया। मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कारपोरेशनों के लिए इंटर-डे में हुई हानि हेतु मार्जिन प्रावधान पर जारी सेबी के परिपत्र को कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज पर भी लागू किया गया। एक्सचेंजों से प्राप्त प्रस्तावों और जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कमोडिटी डेरिवेटिव संविदाओं में लाभांतर स्थिति पर मार्जिन लाभ प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित किया गया।

चार्ट 3.10: भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पण्य सूचकांकों में उतार-चढ़ाव



स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 3.11: अखिल भारतीय कमोडिटी फ्यूचर टर्नओवर में उत्पादन क्षेत्र के अनुसार हिस्सेदारी (अक्टूबर 2017-मार्च 2018)



स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, एनएमसीई और आईसीईएक्स।

<sup>22</sup> एमसीएक्स इंडिया कमोडिटी इंडेक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर व्यापारगत वायदा कीमतों पर आधारित एक समग्र सूचकांक है जिसमें बुलियन, मूलधातु, ऊर्जा और कृषि वस्तुओं की संविदाओं का समूह शामिल है। एनसीडीईएक्स धान्या एक मूल्य भारित सूचकांक है जो एनसीडीईएक्स प्लेटफार्म पर किए जाने वाले कारोबार के 10 सबसे तरल कमोडिटी फ्यूचर्स की कीमतों पर आधारित है। एस एंड पी वर्ल्ड कमोडिटी इंडेक्स यू.एस. के बाहर एक्सचेंजों पर कारोबार किए गए वायदा संविदाओं का एक निवेश योग्य वस्तु सूचकांक है जिसमें ऊर्जा, कृषि उत्पाद, औद्योगिक और कीमती धातु शामिल हैं। थॉमसन रॉयटर्स/ कोर कमोडिटी सीआरबी इंडेक्स विनियम वायदा कारोबार पर आधारित है जिसमें 19 वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें तरलता के आधार पर 4 समूह यथा ऊर्जा, कृषि, पशुधन और धातुओं के समूह में रखा गया है।

**(ख) कृषि पण्यों में कीमत की खोज और हेजिंग - एमएसपी से डेरिवेटिव की ओर जाने का समय**

3.35 अमेरिका और मेक्सिको जैसे बहुत से देशों में किसानों को लाभ देने के लिए पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव को सहज बनाने के लिए अधिक्रय एजेंसियों / सरकारी एजेंसियों ने पण्य डेरिवेटिव बाजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। भारतीय कृषि डेरिवेटिव बाजार में कृषक उत्पादक संगठनों / उत्पादक कंपनियों की भूमिका का इस बात पर विचार करते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि टुकड़ों में बंटी हुई भूमिधारिता भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। अधिकाधिक कृषक उत्पादक संगठनों (ग्रामीण उत्पादक संगठनों और सहकारी सोसायटी सहित) का सृजन नई बाजार व्यवस्था के तहत कृषि विपणन को सहज बनाने वाली व्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है, जैसा कि सन 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु रणनीति के बारे में मसौदा समिति की रिपोर्ट में भी बताया गया है। शासन का इसमें सन्निहित रहना (अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से), संस्थागत सहभागिता और सुधरी हुई बाजार अवसंरचना, प्रभावी कीमत आधारों के रूप में वायदा कारोबार की सफलता में बढ़ोतरी करेगी। कृषकों द्वारा जोखिम से बचाव के लिए वायदा बाजार की सफलता का निर्धारण करने में एकीकृत स्पॉट बाजारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। भविष्य में इस प्रयोजन को प्रभावी रूप से हासिल करने में ई-नैम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) को भी देखा जा रहा है। विकसित वायदा बाजार में वर्तमान न्यूनतम समर्थन कीमत के युग को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करने की संभावना है। इससे राज्य अधिक्रय व्यवस्था पर कम दबाव के परिणामस्वरूप कृषि मूल्य श्रृंखला के अन्य हिस्सों में निवेश का रास्ता बनेगा।

**IV फिनटेक**

3.36 अभी हाल ही में प्रकाशित शोध-पत्र में बीसीबीएस ने निकट से मध्यम अवधि के बीच बैंकिंग उद्योग पर और पर्यवेक्षकों के क्रियाकलापों पर फिनटेक के प्रभाव का आकलन किया है। इस शोध पत्र में तर्क दिया गया है कि बदलते हुए तकनीकी परिदृश्य और ग्राहकों की अपेक्षाओं को देखते हुए वर्तमान परिचालन मॉडल को बरकरार रखने में बैंकों को कठिनाई होगी। इस रिपोर्ट में 'ग्राहक के साथ

संबंध' को मौजूदा सदस्यों और नवागंतुकों के बीच अहम रणभूमि बताया है और कहा है कि प्रत्येक परिदृश्य पर निर्भरता के अनुसार इसमें अंतर रहेगा।

स्वदेशी मोर्चे पर देखें तो वित्त मंत्रालय का एक दल 3.37 फिनटेक कंपनियों के विकास हेतु सही परिवेश के सृजन के लिए नीतिगत और संस्थागत विकास के उपायों का परीक्षण कर रहा है।

**V साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण**

3.38 हाल ही के समय में साइबर जोखिम एक प्रधान जोखिम के तौर पर सामने आया है। मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं के बीच बढ़ते हुए परिष्करण और जटिलता ने उन्हें विशेष रूप से साइबर जोखिम के प्रति कमजोर कर दिया है। प्रौद्योगिकी प्रयोग में जोखिमों को कम करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा सक्रिय रूप से पूर्व उपाय किए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (जिसे सीएसआईटीई सेल कहा गया है) में साइबर सुरक्षा गतिविधियों और खतरों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और बैंकों की साइबर प्रबलता को सुदृढ़ बनाने के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

3.39 सन 2017-18 के बजट में वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम (सीईआरटी-फिन) संबंधी घोषणा और इस बारे में कार्य दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में यह प्रस्तावित है कि सर्ट-फिन का यह कार्य होगा कि वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों/ एजेंसियों और भारतीय कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉस टीम (सर्ट-इन) के साथ निकट संपर्क रखते हुए वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा घटनाओं को रोके और उनकी मदद करे।

3.40 साइबर जोखिम का सामना करने हेतु विश्वव्यापी स्तर पर एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत को समझते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य अधिकार क्षेत्रों में भी इस संबंध में साइबर सुरक्षा का समन्वय किया जा रहा है। रिजर्व बैंक साइबर शब्द-संग्रह (लेक्सिकान) समूह का भी सदस्य है जिसका गठन वित्तीय स्थायित्व बोर्ड द्वारा किया गया, ताकि प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रयोग हेतु साइबर सुरक्षा शब्दों का एक संग्रह तैयार किया जाए ताकि शब्दावली के समरूपी प्रयोग की सुविधा रहे।

<sup>23</sup> <https://www.bis.org.bcbs/publications> पर उपलब्ध

3.41 सामान्य रूप से उपलब्ध सामग्री के आधार पर सन् 2017 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने चुनिंदा देशों में विद्यमान साइबर सुरक्षा विनियमों और पर्यवेक्षण प्रथा का मूल्यांकन किया जिसमें भारत भी शामिल था। सर्वेक्षण में

भारत में बैंकिंग क्षेत्र को अधिकांश मर्दों के अनुरूप पाया गया। यूरोपीय संघ में हाल में घोषित सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) में निर्दिष्ट उदीयमान डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क की मुख्य बातें बॉक्स 3.5 में दी गई हैं।

### बॉक्स 3.5: यूरोपियन संघ- डेटा संरक्षण<sup>24</sup>

ई यू (यूरोपीय संघ) के नए जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) ने डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव 95/46/ईसी को प्रतिस्थापित किया है और इसको डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि जिससे समूचे यूरोप में डेटा निजता कानूनों को समाहित किए जा सके ताकि ई यू के सभी नागरिकों की डाटा निजता को संरक्षण और सशक्तता दी जा सके और समूचे क्षेत्र में स्थित संगठन जिस प्रकार से डाटा निजता के लिए अप्रोच करते हैं उसको नया रूप दिया जा सके। जीडीपीआर व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर पूरी तरह या आंशिक तौर पर ऑटोमेटेड माध्यमों से लागू होता है, यह प्रोसेसिंग नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग पर भी लागू होती है, यदि वह संरचनाबद्ध फाइलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है भले ही प्रोसेसिंग ई यू में हुई है अथवा नहीं। मृत व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा अथवा विधिसम्मत प्रतिष्ठानों की प्रोसेसिंग पर यह लागू नहीं होता है। जीडीपीआर 25 मई 2018 से लागू किया गया है।

जीडीपीआर के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जुर्माना: जीडीपीआर का उल्लंघन करने वाले संगठनों पर उनके कुल वैश्विक वार्षिक टर्नओवर का अधिकतम 4 प्रतिशत अथवा 20 मिलियन यूरो (जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने के लिए संस्तरीय व्यवस्था है। यह नियम कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स दोनों पर लागू होते हैं अर्थात् 'क्लाउड' जीडीपीआर के प्रवर्तन से बाहर नहीं है।

(ii) सहमति: डेटा प्रयोग हेतु सहमति की शर्तों को प्रबल किया गया है, और अब कंपनियों को स्पष्ट और समुचित सहमति के बिना निजी प्रकार के डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) उल्लंघन अधिसूचना: सभी सदस्य राज्यों में जीडीपीआर के तहत उल्लंघन की अधिसूचना देना अनिवार्य है। इस प्रकार के उल्लंघन की प्रथम जानकारी के 72 घंटों के भीतर ही यह कार्य अवश्य करना होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को इससे निजता का अत्यधिक जोखिम होता है, तो इन व्यक्तियों को भी इस उल्लंघन की जानकारी दी जाए।

(iv) अभिगमन का अधिकार: जीडीपीआर द्वारा निरूपित व्यक्तिपरक डेटा संबंधी विस्तारित अधिकारों के एक भाग में यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई डाटा प्रोसेस किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह डाटा नियंत्रक से पुष्टि ले कि उससे संबद्ध व्यक्तिगत डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है अथवा नहीं, यदि प्रोसेस किया जा रहा है तो कहाँ और किस प्रयोजन से। इसके अलावा, नियंत्रक के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में निशुल्क उपलब्ध कराए।

(v) विस्मृत किए जाने का अधिकार: इसे डेटा इरेजर भी कहा जाता है, डाटा विस्मृत किए जाने के अधिकार से

डाटा धारक को यह हक मिलता है कि डाटा नियंत्रक उसके व्यक्तिगत डेटा को इरेज करे, डेटा के आगामी प्रचार को समाप्त करे और ऐसे डेटा की प्रोसेसिंग किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए जाने को रोके।

(vi) डाटा पोर्टिबिलिटी: जीडीपीआर में डेटा पोर्टिबिलिटी की शुरुआत की गई है जिससे डाटा के स्वामी को यह अधिकार है कि उसने स्वयं से संबंधित जो व्यक्तिगत डेटा सामान्य प्रयोग और मशीन द्वारा पठनीय रूप में पहले ही प्रदान कर दिया गया है- उस स्वयं के डाटा के बारे में उसे यह अधिकार होगा कि किसी अन्य नियंत्रक को अंतरित करे।

(vii) डिजाइनगत निजता: डिजाइनगत निजता को जीडीपीआर में कानूनी अपेक्षा बना दिया गया है। डिजाइनगत निजता का मूल्य उद्देश्य यह है कि नियंत्रक केवल उतना ही डाटा लेगा और प्रोसेस करेगा जो उसके अपने कार्यों (डाटा प्रचार) को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उसे चाहिए कि प्रोसेसिंग करने वालों को सीमित डाटा ही दिया जाए।

(viii) डेटा संरक्षण अधिकारी: जीडीपीआर में नियंत्रक और प्रोसेसर से अपेक्षित है कि वे डेटा सुरक्षा रणनीति और जीडीपीआर का अनुपालन करने हेतु डाटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) नामित करें। ई यू नागरिकों का बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेस करने अथवा विशेष व्यक्तिगत डेटा रखने, विशेष व्यक्तिगत डाटा प्रोसेस या स्टोर करने, डाटा से संबन्धित व्यक्ति की नियमित रूप से निगरानी करने या सार्वजनिक प्राधिकारी होने पर, कंपनियों से अपेक्षित है कि वे एक डीपीओ नियुक्त करें। विधि प्रवर्तकों जैसे कुछ लोक प्रतिष्ठानों को डीपीओ की अपेक्षा से रियायत दी जाए।

रोचक तथ्य यह है कि जीडीपीआर की शुरुआत होने से संवितरित लेजर आधारित एप्लीकेशनों पर प्रतिकूल असर हुआ है। जीडीपीआर का सृजन ऐसे जगत के लिए हुआ है जहाँ डेटा संग्रह या भंडारण और प्रोसेसिंग केंद्रीय रूप से की जाती है, जबकि संवितरित लेजरों में सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं को विकेंद्रित कर दिया जाता है। इस प्रकार देखें तो अभी पहले जिस विस्मृत किए जाने के अधिकार का वर्णन किया गया है वह अधिकार संवितरित लेजर आधारित एप्लीकेशन- पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ समर्थनीय नहीं है, क्योंकि उससे नोट्स के समस्त संवितरित नेटवर्क में डेटा का रखरखाव और संपुष्टि की जाती है जिसमें सभी संबद्ध नेटवर्क नोडों को प्रभावित किए बिना डाटा परिवर्तन/ विलोपन संभव नहीं होगा। ऐसे रूपांतरणों से संवितरित लेजर प्रौद्योगिकी में निहित 'टैपल प्रूफ' प्रकृति पर ही प्रश्न उठने लगेंगे।

<sup>24</sup> <https://eugdpr.org> पर उपलब्ध



## VI. पर्यवेक्षण, प्रवर्तन और बाजार निगरानी

### क. परिसंपत्ति गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु किए गए उपाय

3.42 बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वर्ष 2015 से ही किए जा रहे प्रयासों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के निवारण हेतु सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनेरिक फ्रेमवर्क 12 फरवरी 2018 के अपने परिपत्र संख्या आरबीआई / 2017-18/131 डीबीआर.सं.बीपीबीसी.101/21.04.048/2017-18 के माध्यम से जारी किए। संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार ऋणदाताओं को चाहिए कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके चूक होते ही ऋण खातों में पनप रहे दबाव की शिनाख्त करें। ऋणदाताओं को अपने सभी ऐसे उधारकर्ताओं जिनके लिए सकल जोखिम 50 मिलियन या उससे अधिक है, के बारे में खातों को एसएमए के रूप में वर्गीकृत करने सहित क्रेडिट जानकारी सेंट्रल रिपाजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को देनी होगी। अब सीआरआईएलसी-प्रमुख रिपोर्ट 1 अप्रैल 2018 से मासिक आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा ऋण दाताओं को चूक करने वाले सभी उधारकर्ता ग्राहकों (5 करोड़ और इससे अधिक का एक्सपोजर वाले) की रिपोर्ट सप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी को देनी होगी। इसके अलावा ऋणदाताओं को इस फ्रेमवर्क के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण हेतु अपने बोर्ड से अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी, जिसमें निवारण हेतु समयबद्धता भी शामिल होनी चाहिए। निवारण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शर्तों और समयबद्धता का भी प्रावधान इस फ्रेमवर्क में किया गया है।

### ख. प्रवर्तन कार्रवाई :

3.43 प्रवर्तन विभाग ने एक उद्देश्यपरक, सुसंगत और निष्पक्ष तरीके से प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन नीति और ढांचा तैयार किया है। विभाग ने बैंक के भीतर और जानकारी को साझा करने के लिए एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया है और प्रवर्तन कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विभाग ने 1 जुलाई 2017 से 31 मई 2018 की अवधि

में 13 बैंकों (जिनमें एक भुगतान बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल है) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और कुल 964 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि ऋणों और अग्रिमों संबंधी विनियामक प्रतिबंधों, लाइसेंस की शर्तों और भुगतान बैंकों के लिए परिचालन की शर्तों का अनुपालन नहीं करने/उल्लंघन करने के लिए और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों, संसूचना सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग, चेक खरीद/ चेक डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने, जाली नोटों को पकड़ना और जब्त करना, अनुपालन और ट्रेजरी प्रकाश्यों में कमी और एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की सीधी बिक्री के बारे में विशिष्ट निर्देशों और इस बारे में विशिष्ट प्रकटीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। आगे चलकर शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित विनियमों के प्रवर्तन को भी चरणबद्ध तरीके से प्रवर्तन विभाग के तहत लाया जाएगा।

### VII. ग्राहक संरक्षण:

3.44 बैंकिंग प्रणाली में उपभोक्ताओं के भरोसे को बरकरार रखने के लिए शिक्षण के माध्यम से ग्राहक को सबल बनाने के साथ-साथ त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण के माध्यम से बैंकों पर ग्राहकों के विश्वास को कायम रखना महत्वपूर्ण है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेन-देन की तेजी से बढ़ती हुई मात्रा मोबाइल टेलीफोनी/ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर ग्राहकों और वित्तीय प्रतिष्ठानों की बढ़ती हुई अंतरसंबद्धता को प्रकट करती है। इसने हाल ही में क्लोनिंग, हैकिंग, फिशिंग, विशिंग, एसएमआईशिंग, फार्मिंग और मालवेयर की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा में जोखिमों को भी बढ़ा दिया है। लेनदेन की डिजिटल पद्धति बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अवसंरचना पर निर्भर है, इस तथ्य के कारण इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होना अपेक्षित है। इसके अलावा बैंकिंग और दूरसंचार नियामकों के बीच प्रगाढ़ समन्वय को सुदृढ़ कराते रहने की आवश्यकता है ताकि दोषकर्ता विनियामक कमियों का दुरुपयोग न कर सकें।

## VIII. कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) संरचना का विकास-संभावित जोखिम

3.45 विश्व बैंक<sup>25</sup> की ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेस 2017 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014-17 के दौरान, भारत में महिलाओं के बैंक खातों की संख्या में 30 प्रतिशत बिन्दुओं से ज्यादा वृद्धि हुई और इतनी ही वृद्धि सबसे गरीब 40 प्रतिशत परिवारों में वयस्कों के खातों के संख्या में हुई। चूंकि नए शामिल बैंक ग्राहकों के इस वर्ग को ज्यादातर कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) द्वारा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, इसलिए बैंकों को ऐसे बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि अशिक्षित ग्राहकों को अनुपयुक्त उत्पाद न बेचा जा सके। इस संदर्भ में, बीसी और बैंकों के फ्रंटलाइन कर्मचारियों जो कभी-कभी कठिन लक्ष्य-आधारित प्रोत्साहनों को पाने में प्रयासरत रहते हैं, के साथ नए शामिल ग्राहकों के बीच बातचीत पर बैंकों द्वारा बारीकी से निगरानी रखी जानी चाहिए।

## IX. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)

### A. विनियामक गतिविधियां:

3.46 गैर-कानूनी रूप से जमा राशियाँ स्वीकार करने की गतिविधियां चिंता का कारण बनी हुई हैं, खासतौर पर इस बात की संभावना से कि लोग गलती से यह समझ लेते हैं कि ऐसी गतिविधियों में लगी संस्थाएं विनियमित हैं। ऐसी संस्थाएं, विनियामक कमियों और भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के संबंध में अपर्याप्त कानून प्रवर्तन का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने में कामयाब रही हैं। समस्या तब अधिक विकट हो जाती है जब ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां खासकर देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय रूप से वंचित, अशिक्षित और जनसंख्या के निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, जमा राशियाँ स्वीकार करने वाली गतिविधियों के लिए विनियामक ढांचा

अलग-अलग नियामकों में बंटा हुआ है। हालांकि, विनियम बाह्य जमा प्रतिबंध योजना बिल 2018 लागू हो जाने के बाद निस्संदेह देश में गैर-कानूनी रूप से जमा राशियाँ स्वीकार करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा मिलेगा, किन्तु इसमें विनियामकीय कमियों और ओवरलैपिंग को दूर करने, कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन करने और वित्तीय जागरूकता पैदा करने की चुनौतियां हैं। इस संबंध में, वित्तीय जागरूकता के तहत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) और 'सचेत वेबसाइट' जैसी पहल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

3.47 स्वामित्व-निरपेक्ष विनियमन को लागू करने के प्रयास के तहत एनबीएफसी विनियमों को सरकारी एनबीएफसी पर भी निर्धारित समय सीमा<sup>26</sup> के अनुसार लागू किया गया। सरकारी एनबीएफसी, जो पहले से ही उनके द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार विवेकपूर्ण विनियमन का अनुपालन कर रही हैं, वे उनका अनुपालन यथावत करती रहेंगी।

### ख. भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) -एनबीएफसी का कार्यान्वयन

3.48 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)<sup>27</sup>, 01 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि से आईएफआरएस भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) को लागू करेंगी। भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन से वर्तमान में एनबीएफसी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन ढांचे जो कि मिश्रित लेखांकन मानकों और विनियामक दिशानिर्देशों, खासतौर पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, माप और हानि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित हैं, में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेखांकन का उद्देश्य अब नियम-आधारित दृष्टिकोण से हटा कर सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है। एनबीएफसी की विनियामक पूंजी पर भारतीय लेखा मानक का समग्र प्रभाव अभी तक अनिश्चित है।

<sup>25</sup> डेमिर्गुक कंत, एसली, लियोरा क्लाप्पर, दोरोथे सिंगर, सानिया अंसर और जेक हेस, 2018. ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेस 2017: वित्तीय समावेशन और फिनटेक क्रांति का आकलन। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक। डीओआई: 10.1596 / 978-1-4648-125-9-0. लाइसेंस: क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन सीसी। बीवाय 3.0 आईजीओ

<sup>26</sup> आरबीआई के परिपत्र संख्या: आरबीआई/2017-18/181/डीएनबीआर (पीडी) सीसी.No.092/03.10.001/2017-18/सरकार के स्वामित्व वाले एनबीएफसी को दी गई छूट को हटा दिया गया।

<sup>27</sup> कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनबीएफसी के लिए इंडएएस के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप को रेखांकित करते हुए निम्न प्रकार से दो चरणों में इंडएएस विवरणों के साथ तैयार करना होगा:

- चरण - I: 5 बिलियन या उससे अधिक के निवल संपत्ति वाले एनबीएफसी और ऐसी कंपनियों की होल्डिंग, सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक पर आधारित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलनात्मक रूप से तैयार करना होगा।
- चरण - II: 5 बिलियन रुपये से कम निवल संपत्ति वाले एनबीएफसी जिनकी इक्विटी और/ या ऋण प्रतिभूति सूचीबद्ध हैं या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और उपरोक्त कंपनियों के अलावा असूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिनकी निवल संपत्ति 2.5 बिलियन से 5 बिलियन रुपये तक है और सहायक कंपनियाँ, ऐसी कंपनियों के संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना होगा।

## अनुबंध 1

### प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष वर्तमान के प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के सहभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अप्रैल-मई 2018 में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का चौदहवाँ सर्वेक्षण है। विशेषज्ञों में वित्तीय मध्यस्थों पर बाजार के सहभागियों, शिक्षाविदों तथा रेटिंग एजेंसियाँ शामिल हैं। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम, समष्टि आर्थिक स्थिति एवं संस्थागत स्थिति पर जोखिम बोध के साथ-साथ बाजार जोखिमों को मध्यम जोखिम के रूप में देखा गया। तथापि, अन्य सामान्य जोखिम को इस सर्वेक्षण में कम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत पण्य कीमतें (कच्चे तेल की कीमतों को शामिल करते हुए) से संबंधित जोखिम को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया। समष्टि-आर्थिक जोखिम समूह के अंतर्गत राजनीतिक अनिश्चितता / नीति कार्यान्वयन के कारण जोखिम कम से मध्यम जोखिम की श्रेणी में आ गए। वर्तमान सर्वेक्षण में घरेलू वृद्धि, घरेलू मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, पूंजी प्रवाह, राजकोषीय घाटा, कारपोरेट क्षेत्र, बुनियादी संरचना विकास की गति, रियल स्टेट कीमतें एवं घरेलू बचत से संबंधित जोखिम को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय बाजार जोखिमों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा जोखिम, इक्विटी कीमत में अस्थिरता, ब्याज दर जोखिम एवं चलनिधि को भी मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा है। विदेशी विनिमय जोखिम को कि अभी मध्यम जोखिम की श्रेणी में है, वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान इसके जोखिम स्कोर में काफी वृद्धि देखी गई। संस्थागत जोखिमों में, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, पूंजी आवश्यकता के कारण उत्पन्न जोखिम एवं साइबर जोखिम को उच्च जोखिम कारकों के रूप में देखा गया (चित्र 2)।

चित्र 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अप्रैल 2018)*			
प्रमुख जोखिम समूह	अक्टूबर-17	परिवर्तन	अप्रैल-18
अ. वैश्विक जोखिम		↑	
आ. समष्टि-आर्थिक जोखिम		↑	
इ. वित्तीय बाजार जोखिम		↑	
ई. संस्थागत जोखिम		↓	
उ. सामान्य जोखिम		↓	

स्रोत: भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2017 & अप्रैल 2018)

टिप्पणी:

जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	उच्च	मध्यम	निम्न	बहुत कम
-----------	------	-------	-------	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित	घटा

चित्र 2: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम (अप्रैल 2018)*				
जोखिम की मद		अक्टूबर-17	परिवर्तन	अप्रैल-18
ए. वैश्विक जोखिम	वैश्विक वृद्धि		↓	
	राष्ट्रिक जोखिम/संक्रमण		↓	
	फंडिंग जोखिम (बाह्य उधार)		↑	
	पण्य कीमत जोखिम (कच्चे तेल की कीमतों सहित)		↑	
	अन्य वैश्विक जोखिम		↑	
बी. समष्टिआर्थिक जोखिम	घरेलू वृद्धि		↓	
	घरेलू मुद्रास्फीति		↑	
	चालू खाता घाटा		↑	
	पूंजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↑	
	राष्ट्रिक रेटिंग में कमी		↑	
	राजकोषीय घाटा		↑	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम		↓	
	आधारभूत संरचना के विकास की गति		↓	
	रियल एस्टेट कीमतें		↓	
	पारिवारिक इकाइयों की बचत		↓	
	राजनैतिक अनिश्चितता/शासन/नीति का कार्यान्वयन		↑	
	अन्य समष्टि-आर्थिक जोखिम		↑	
सी. वित्तीय बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↑	
	इन्विटी के कीमत में उतार-चढ़ाव		↑	
	ब्याज दर जोखिम		↑	
	चलनिधि जोखिम		↑	
	अन्य वित्तीय बाजार संबंधी जोखिम		↑	
डी. संस्थागत जोखिम	विनियामक जोखिम		↓	
	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↓	
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकता		↑	
	बैंकों द्वारा फंडिंग तक पहुंच		↓	
	क्रेडिट वृद्धि का स्तर		↓	
	साइबर जोखिम		↓	
	परिचालन जोखिम		↔	
	संस्थागत अन्य जोखिम		↑	
ई. सामान्य जोखिम	आतंकवाद		↓	
	प्रकृति से संबंधित जोखिम		↓	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती असमानता)		↓	
	अन्य सामान्य जोखिम		↑	

टिप्पणी:

जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम


स्रोत: भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2018)

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित	घटा

\*समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्टूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित (कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

भू-राजनैतिक जोखिमों तथा वास्तविकता में बदलते हुए व्यापार युद्ध की संभावना सर्वेक्षण के सहभागियों के लिए निगरानी का विषय बना रहा। सहभागियों का यह विचार रहा कि कच्चे तेल की कीमतों सहित पण्य कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेगी तथा घरेलू वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। आगामी सामान्य चुनाव तथा फेड (FED) दर में वृद्धि के कारण बाज़ार के सहभागी अस्थिरता का अनुमान लगा रहे हैं। लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाओं में आगामी एक वर्ष में थोड़ा-बहुत सुधार होगा जबकि अन्य उत्तरदाता अभी भी यह मानते हैं कि एनपीए में निरंतर वृद्धि तथा बैंकों में गवर्नेन्स के कमजोर मानक लगातार चिंता का कारण बना हुआ है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: अगले एक वर्ष में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं




स्रोत: आरबीआई प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2018)

मौजूदा दौर के सर्वेक्षण में अधिकांश सहभागियों ने अल्पावधि (1 वर्ष तक) के साथ-साथ मध्यावधि (1 से 3 वर्ष) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली और भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव डालने वाली किसी घटना के घटित होने की संभावना मध्यम रहने की आशा है। वर्तमान सर्वेक्षण में प्रतिवादियों की संख्या में काफी गिरावट हुई जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को लेकर काफी आश्वस्त थे (चार्ट 2)।


चार्ट 2: उच्च प्रभाव वाली घटनाएं घटित होने का बोध और वित्तीय प्रणाली में विश्वास

प्रतिवादी (प्रतिशत)




जारी...

**घरेलू वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव डालने वाली घटनाओं की संभावना**




**वित्तीय प्रणाली में विश्वास**



स्रोत: भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2017, अक्टूबर 2017 एवं अप्रैल 2018)

अधिकांश उत्तरदाताओं का विचार था कि अगले तीन महीनों में क्रेडिट की मांग में 'मामूली वृद्धि' होगी तथा अगले तीन महीनों में औसत क्रेडिट की गुणवत्ता में 'मामूली सुधार' हो सकता है (चार्ट 3)।

**चार्ट 3: क्रेडिट मांग तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी दृष्टिकोण (आउटलुक) (अप्रैल 2018)**



स्रोत: भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2018)

## अनुबंध 2 कार्यप्रणालियां

### 2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

#### बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली आधारभूत/मुख्य स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है। बैंकिंग स्थिरता के मानचित्र में पाँच मिश्रित सूचकांक का उपयोग किया गया है और संकेतक पांच आयाम - मजबूती, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता/दक्षता को व्यक्त करता है। प्रत्येक मिश्रित सूचकांक को बनाने में उपयोग किए गए अनुपातों को सारणी 1 में दिया गया है:-

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक को बनाने के लिए उपयोग किए गए अनुपात				
आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टियर-I पूंजी से टियर II पूंजी #	पूंजी और आरक्षित निधि के लिए कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम के लिए निवल एनपीए	कुल अग्रिम के लिए सकल एनपीए	सकल एनपीए के लिए प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों के लिए में पुनःसंरचित - मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों के लिए चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों के लिए ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों के लिए गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों के लिए 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता/दक्षता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च के लिए व्यवसाय (क्रेडिट + जमाराशि) #	कुल खर्च के लिए स्टाफ व्यय	

नोट: # नकारात्मक रूप से जोखिम से संबन्धित है।

प्रत्येक संयुक्त/मिश्रित सूचकांक, बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए किया जाता है :

$$\frac{(X_t - \min(X_t))}{(\max(X_t) - \min(X_t))}$$

जिसमें  $X_t$  अनुपात के मूल्य को  $t$  समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त/मिश्रित सूचकांकों को सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

#### समष्टि-दबाव परीक्षण

समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रति बैंकों की आघात-सहनीयता पता करने /जानने के लिए, एक मैक्रो दबाव परीक्षण क्रेडिट जोखिम के लिए किया गया। इसके अंतर्गत, बैंकों (सिस्टम एवं बड़े बैंक समूह स्तर पर) के जीएनपीए अनुपात पर एवं अंततः उनकी पूंजी पर्याप्तता (बैंकवार एवं सिस्टम स्तर पर 55 बैंकों के नमूनों के लिए) पर मैक्रो आघात का प्रभाव देखा गया।

#### जीएनपीए अनुपात का प्रभाव

यहाँ, गिरावट अनुपात (एसआर)<sup>1</sup> को समष्टि-आर्थिक चरों के एक फंक्शन के रूप में मॉडल किया गया था जिसमें विविध अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया गया जो चुनिंदा बैंकिंग प्रणालियों को समग्रतः समष्टि-आर्थिक चरों से संयुक्त करता है। जिन समय-शृंखला अर्थमितीय मॉडलों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार हैं: (i) बहुविचर

<sup>1</sup> Slippages are fresh accretion to NPAs during a period. Slippage Ratio = Fresh NPAs/Standard Advances at the beginning of the period.

रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ; (ii) वेक्टर स्वरीग्रेशन (वीएआर) को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ, (iv) बहुविचर रीग्रेशन को नमूना बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात के साथ, और (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात के साथ। समग्र बैंकिंग प्रणाली में गिरावट अनुपात (स्लिपेज रेश्यो) के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि समष्टि-आर्थिक चरों में आधार कीमत पर सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) संवृद्धि, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), सीपीआई (संयुक्त/मिश्रित) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात  $\left(\frac{EX}{GDP}\right)$ , जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष  $\left(\frac{CAB}{GDP}\right)$  और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा  $\left(\frac{GFD}{GDP}\right)$  शामिल होते हैं।

जहां बहुविचर रीग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली के जीएनपीए पर चुनिंदा समष्टि-आर्थिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, वहीं वीएआर मॉडल भी फीडबैक प्रभाव को संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, गिरावट अनुपात के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता का स्तर कुछ भी होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रीग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार यह अंतिम जोखिमों का सामना कर सकता है और समष्टि-आर्थिक आघातों के गैर-रैखिक प्रभावों से भी निपट सकता है।

गिरावट अनुपात (एसआर) पर समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित अर्थमितीय मॉडल अपनाए गए :

### प्रणाली स्तरीय मॉडल

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय मॉडल : बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन का उपयोग किया गया। इन नमूनों से उत्पन्न अनुमानों के औसत को प्रस्तुत किया गया है।

- **बहुविचर रीग्रेशन**

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर गिरावट अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta CPI_{t-4} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहां  $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  and  $\beta_6 > 0$ .

- **वीएआर मॉडल**

नोशनल रूप में, ऑर्डर पी मध्यमान-समायोजित वीएआर (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां,  $y_t = (y_{1t} \dots y_{kt})$  समय t पर वेरिएबल का एक वेक्टर ( $K \times 1$ ),  $A_i$  ( $i=1,2,\dots,p$ ) निर्धारित ( $K \times K$ ) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और  $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})$  एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज़ या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

वीएआर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए, गिरावट अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधारभूत कीमत संवृद्धि पर जीवीए और जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना मानदंड और अन्य उपचारों के आधार पर वीएआर के उपयुक्त क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- **क्वान्टाइल रीग्रेशन**

0.8 पर गिरावट अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन का प्रयोग किया गया:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-5}$$



### बैंक समूह स्तरीय मॉडल

बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात(एसआर) का अनुमान दो भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय मॉडल; बहुविचर रीग्रेशन और वीएआर का उपयोग करके किया गया। इन नमूनों से उत्पन्न अनुमानों के औसत को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

#### • बहुविचर रीग्रेशन

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुविचर रीग्रेशन का उपयोग किया गया:

सरकारी क्षेत्र के बैंक

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_7 \text{Dummy}$$

निजी क्षेत्र बैंक :

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \text{Dummy}$$

विदेशी बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-5} + \beta_5 \text{Dummy}$$

#### • वीएआर मॉडल

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो वेरिएबल पर आधारित थे:

सरकारी क्षेत्र के बैंक: आधारभूत कीमत संवृद्धि पर जीवीए, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी की तुलना में सीएबी अनुपात और क्रम 2 के जीडीपी की तुलना में जीएफडी अनुपात।

निजी क्षेत्र के बैंक: आधारभूत कीमत संवृद्धि पर जीवीए, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और क्रम 1 का जीडीपी की तुलना में निर्यात अनुपात।

विदेशी बैंक: सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी।

### गिरावट से जीएनपीए का अनुमान

उपर्युक्त मॉडलों द्वारा एकबार गिरावट अनुपात का अनुमान लगा लेने पर जीएनपीए का अनुमान निम्नलिखित तादात्म्य के माध्यम से लगाया गया:

$$GNPA_{t+1} = GNPA_t + Slippage_{(t,t+1)} - Recovery_{(t,t+1)} - Write-off_{(t,t+1)} - Upgradation_{(t,t+1)}$$

गिरावट अनुपातों से निकाले गए जीएनपीए जिनका अनुमान उपर्युक्त उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: 11 प्रतिशत की क्रेडिट संवृद्धि; वसूली दर में मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 2.7 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत, 2.4 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की दर से सुधार; मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत की बढ़ा खाते दर; मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में क्रमशः 1.8 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की दरों से अप-ग्रेडेशन।

### पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव

बैंक में पूंजी पर्याप्तता पर समष्टि आघातों का प्रभाव निम्नलिखित चरणों के जरिए निकाले गए:

- भविष्य पूंजी संचयन पर प्रभाव को कल्पित समष्टि परिदृश्य के तहत लाभ का अनुमान कर किया गया है, माना कि केवल 25 प्रतिशत कर पश्चात लाभ (पीएटी) (जो कि न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं हैं) बैंक की पूंजी में गई।
- भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता और समष्टि दबाव परिदृश्य का अनुमान आंतरिक मूल्यांकन आधारित सूत्र का उपयोग कर (आईआरबी) जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का आकलन कर किया गया है।

पूँजी पर्याप्तता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है:

$$CRAR_{t+1} = \frac{Capital_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

$$Common\ Equity\ Tier\ 1\ Capital\ Ratio_{t+1} = \frac{CET1_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

जहां पीएटी का पूर्वानुमान सेटलाइट नमूना का उपयोग कर किया गया है जिसकी व्याख्या आगे के खंड में दी गई है। आरडबल्यूए (अन्य) जो कि कुल आरडबल्यूए में से क्रेडिट जोखिम आरडबल्यूए को घटाकर है, जो पिछले एक वर्ष में देखी गई औसत वृद्धि दर पर आधारित अनुमान पर था। आईआरबी सूत्र का उपयोग करते हुए आरडबल्यूए (क्रेडिट जोखिम) अनुमान निम्नानुसार दिया गया है:

**आईआरबी सूत्र:** क्रेडिट जोखिम के लिए बैंकवार आरडबल्यूए अनुमान निम्नलिखित आईआरबी सूत्र द्वारा की गई थी।

$$RWAs(credit\ risk) = 12.5 \times \left( \sum_{i=1}^n EAD_i \times K_i \right)$$

जहां  $EAD_i$  बैंक के सेक्टर  $i$  ( $i=1,2,\dots,n$ ) का डिफॉल्ट जोखिम है।

$K_i$  क्षेत्र  $i$  के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए की गई है:

$$\begin{aligned} \text{Capital requirement } (K_i) &= \left[ LGD_i \times N \left[ (1 - R_i)^{-0.5} \times G(PD_i) + \left( \frac{R_i}{1 - R_i} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right] - PD_i \times LGD_i \right] \\ &\times (1 - 1.5 \times b(PD_i))^{-1} \times (1 + (M_i - 2.5) \times b(PD_i)) \end{aligned}$$

जहां  $LGD_i$  क्षेत्र  $i$  की दी गई डिफॉल्ट हानि है,  $PD_i$  क्षेत्र  $i$  के डिफॉल्ट की संभाव्यता है,  $N(\dots)$  मानक सामान्य वितरण का संचयी वितरण फंक्शन है,  $G(\dots)$  मानक सामान्य वितरण के संचयी वितरण फंक्शन का व्युत्क्रम है,  $M_i$  क्षेत्र (इस मामले में सभी क्षेत्र के लिए 2.5 ली गई है) के ऋण की औसत परिपक्वता है,  $b(PD_i)$  सुस्पष्ट परिपक्वता समायोजन है और  $R_i$  की अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति के साथ  $i$  क्षेत्र से सह-संबंध है।  $b(PD)$  और  $R$  दोनों की गणना  $PD$  पर निर्भर है।

उपर्युक्त वर्णित आईआरबी सूत्र के लिए तीन प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है, यथा क्षेत्र की  $PD$ ,  $EAD$  और  $LGD$ । यहाँ बैंक डाटा का उपयोग कर संबंधित क्षेत्र की वार्षिक गिरावट से क्षेत्र की  $PD$  ली गई है। क्षेत्र विशेष  $PD$  में प्रत्येक के लिए चयनित 55 बैंकों के समान (अर्थात प्रणालीगत दबाव) मॉडल से लिए गए थे, जबकि,  $EAD$  क्षेत्र विशेष में बैंक के लिए उस क्षेत्र विशेष में बैंक के कुल बकाया ऋण था। इसके अतिरिक्त,  $LGD$  पर पूर्वानुमान इस प्रकार ली गई थी: आधाररेखा परिदृश्य के अंतर्गत,  $LGD = 60$  प्रतिशत (मोटे तौर पर पूँजी पर्याप्तता पर आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार - ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता की गणना के लिए आईआरबी पद्धति) जो मध्यम समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्य में बढ़कर 65 प्रतिशत और गंभीर समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्य में 70 प्रतिशत होती है।

**चयनित क्षेत्र :** निम्नलिखित 17 क्षेत्र (और अन्य) दबाव की जांच के लिए चयनित किए गए।

सारणी 3: चयनित क्षेत्रों की सूची

क्रम संख्या	क्षेत्र	क्रम संख्या	क्षेत्र
1	इंजिनियरिंग	10	मूलभूत धातु और धातु उत्पाद
2	ऑटो	11	खनन
3	सीमेंट	12	कागज
4	रसायन	13	पेट्रोलियम
5	विनिर्माण	14	कृषि
6	कपड़ा	15	रिटेल - हाउसिंग
7	खाद्य प्रसंस्करण	16	रिटेल - अन्य
8	रत्न और आभूषण	17	सेवाएँ
9	बुनियादी संरचना	18	अन्य

क्षेत्रगत वार्षिक गिरावट अनुपात (अर्थात क्षेत्रीय पीडी) का मैक्रो वेरिएबल के साथ औसतन संबंध का अनुमान प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुभिन्नरूपी प्रतिगमन का उपयोग कर किया गया था। इन अनुमानित प्रतिगमन का उपयोग कर प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रगत पीडी की गणना कल्पित आधाररेखा के साथ-साथ दो प्रतिकूल परिदृश्यों, यथा, मध्यम दबाव और तीव्र दबाव के अंतर्गत अगली चार तिमाहियों तक के लिए की गई थी। सेक्टरियल प्रतिगमन के मॉडल आगे के खंडों में प्रस्तुत किए गए हैं।

कल्पित समष्टि परिदृश्यों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रेडिट विकास का अनुमान किया गया जो कि अंतिम दो वर्षों में देखे गए प्रवृत्ति पर आधारित था। बैंकवार कर पश्चात लाभ(पीएटी) की गणना निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर की गई:

प्रत्येक बैंक-समूहों के लिए पीएटी के घटकों (अर्थात निवल ब्याज आय, अन्य परिचालनगत आय, परिचालनगत व्यय और प्रावधान) की गणना आधाररेखा और प्रतिकूल परिदृश्यों के अंतर्गत आगे के खंडों में वर्णित विधि द्वारा की गई।

प्रत्येक बैंक के पीएटी के घटकों के अंश (आयकर को छोड़कर) की गणना उनके संबंधित बैंक-समूह में की गई।

संबंधित बैंक-समूह के पीएटी के घटक की अनुमानित मूल्य और पीएटी के घटक विशेष में उस बैंक के अंश लागू कर प्रत्येक बैंक के पैट (आयकर को छोड़कर) के प्रत्येक घटक का अनुमान किया गया।

अंत में, बैंकवार पीएटी का पूर्वानुमान पिछले चरण में अनुमानित उनके घटकों को उपयुक्त रूप से जोड़ते अथवा घटाते हुए की गई और आयकर का दर 35 प्रतिशत प्रयोग में लिया गया।

उपर्युक्त सूत्रों, कल्पना और इनपुट का प्रयोग करते हुए, बैंक स्तर पर पूंजी पर्याप्तता पर कल्पित समष्टि परिदृश्यों का प्रभाव का अनुमान लगाया गया और अंतिम वास्तविक तथ्यात्मक आंकड़े से आधाररेखा के अंतर्गत भविष्य में पूंजी पर्याप्तता में बदलाव तथा आधाररेखा से प्रतिकूल समष्टि दबाव तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता में बदलाव की गणना की गई। अंत में, इन बदलावों को समुचित रूप से बैंक की अंतिम तथ्यात्मक पूंजी पर्याप्तता (स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंतर्गत) पर लागू किया गया।

### क्षेत्रगत पीडी का पूर्वानुमान

#### 1. इंजीनियरिंग

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA(Industry)_{t-3} + \beta_5 Dummy_t$$

#### 2. ऑटो

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 \Delta CPL_{t-2} + \beta_6 Dummy_t$$

#### 3. सीमेंट

$$PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

#### 4. रसायन और रासायनिक उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

#### 5. विनिर्माण

$$PD_t = \alpha - \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 \Delta CPL_{t-3} + \beta_6 Dummy_t$$

#### 6. कपड़ा

$$PD_t = \alpha - \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 \Delta CPL_{t-3} + \beta_6 Dummy_t$$

#### 7. खाद्य प्रसंस्करण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-3} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

8. रत्न और आभूषण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-3} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

9. बुनियादी संरचना

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

10. मूलभूत धातु और धातु उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1}$$

11. खनन और उत्खनन

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-2} + \beta_4 \Delta CPI_{t-3}$$

12. कागज और कागज उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-4} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

13. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

14. कृषि

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1}$$

15. सेवाएँ

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-1} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1}$$

16. रिटेल - आवास

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1}$$

17. रिटेल - अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} - \beta_3 \left( \frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

18. अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

**बैंक-समूहवार कर पश्चात लाभ (पीएटी) का अनुमान**

प्रमुख बैंकों-समूहों (यथा पीएसबी, पीवीबी, एफबी) के पीएटी के कई घटक होते हैं, जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इन घटकों का विभिन्न समय श्रृंखलाओं पर आधारित अर्थमितीय मॉडलों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पीएटी का अनुमान लगाया जाता है।

$$पीएटी = NII + OOI - OE - प्रावधान - आयकर$$

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई-परिचालनगत खर्च हैं।

*निवल ब्याज आय (एनआईआई):* ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर ज्ञात किया जाता है:

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA\_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv\_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीवीए\_एसए सांकेतिक जीवीए का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी\_जीआर अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रेड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाए गए औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अन्य परिचालनगत आय को निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया:

$$L00I_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times L00I_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP\_SA_t$$

एलओओआई, ओओआई का लॉग है।  $LNGDP\_SA$  नामिनल जीडीपी का मौसमी समायोजित लॉग है।

परिचालनगत खर्च (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतःपरावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधान (बड़े खाते को शामिल करके): अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान निम्नलिखित रीग्रेशन का उपयोग कर किया गया:

$$P\_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P\_Adv_{t-1} - \beta_2 \times \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

$P\_Adv$  कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। जीवीए वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्ति अनुपात हैं और इसलिए कल्पित समष्टि दबाव के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता में हास का आय पर प्रभाव इस समीकरण से निकाला गया। डमी, समयावधि डमी है।

**आयकर:** लागू आयकर को कर पूर्व लाभ का 35 प्रतिशत माना गया है, जो आयकर की तुलना में कर पूर्व लाभ के पिछले अनुपात के रुझानों पर आधारित है।

#### एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव जांच

तिमाही निगरानी के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए जाते हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की आघात सहनीयता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

#### ऋण जोखिम

बैंकों की आघात सहनीयता का पता लगाने के लिए समस्त पोर्टफोलियो और कुछेक चुनिंदा सेक्टरों में जीएनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके ऋण निवेश को आघात दिया गया। ऋण संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए उच्चतम व्यक्तिगत उधारकर्ता (कर्ताओं) और उधारकर्ता(कर्ताओं) के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि को मानक से कम (अवमानक), संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। तथापि, क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम के लिए संभावित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए पर विचार किया गया ताकि उसे केवल अवमानक श्रेणी में रखा जा सके। विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के आधार पर इन दबाव जांचों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। अवमानक, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना में लिए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर इन मानदंडों को लागू किया गया। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय में हुई एक तिमाही की हानि को भी कुल हानियों में शामिल किया गया। इसके अलावा प्रावधानीकरण आवश्यकता में भी वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

#### ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण कल्पित आघात के तहत, पोर्टफोलियो की कीमत में गिरावट या आय में होने वाली गिरावट के कारण हानियां हो सकती हैं। बैंकों की पूंजी में से इन कल्पित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के मामले में मूल्यन प्रभाव (पोर्टफोलियो हानियों) की गणना के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया। दिए गए आघातों के आधार पर, प्रत्येक कालावधि के लिए, इन निवेशों पर पोर्टफोलियो हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर ज्ञात करने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलियो में ब्याज दर आघातों का प्रभाव

देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें मुदत पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियो पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियो दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्कड-टु-मार्केट) है।

बैंकिंग बही पर ब्याज दर जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन (आय पद्धति) के जरिए किया गया। एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो को छोड़कर दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजर अंतर के आधार पर आघातों के प्रभाव का आकलन आय हानियों के अनुमान द्वारा प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु किया गया। यह वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव को दर्शाता है।

### इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम के अंतर्गत इक्विटी मूल्य सूचकांक में निश्चित प्रतिशत अंकों की गिरावट के आघात का बैंक की पूंजी और एनपीए स्तर पर प्रभाव का परीक्षण किया गया। पोर्टफोलियो मूल्य में गिरावट या इक्विटी मूल्य में बदलाव के कारण आय की हानि को कल्पित आघात के कारण बैंक की कुल हानि के लिए लेखाबद्ध किया गया। इस प्रकार आंकलित कुल हानि को बैंक के पूंजी में से कम किया गया।

### चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांच का उद्देश्य यह है कि चलनिधि के अप्रत्याशित रूप से बाहर चले जाने पर, बाहर से चलनिधि की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की संभावनाएं (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) सामने लाती हैं और साथ ही स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीशुदा क्रेडिट (कार्यशील पूंजी की स्वीकृत अप्रयुक्त सीमा, प्रतिबद्ध क्रेडिट और क्रेडिट पत्रों तथा गारंटियों की अप्रयुक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए) सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के लिए मांग उत्पन्न करती है। दबाव परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्रेडिट के लिए अतिरिक्त और अप्रत्याशित मांग को बैंकों की केवल चलनिधि युक्त आस्तियों की सहायता से पूरा करने की उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके।

चलनिधि दबाव परीक्षण के कल्पित बिंदु इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधियुक्त आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेंगे।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के हेयरकट पर कर ली जाएगी।
- दबाव परीक्षण “स्टैटिक मोड” के अंतर्गत किया गया।

### बॉटम-अप दबाव परीक्षण : चुनिंदा बैंक

19 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने बॉटम-अप संवेदनशीलता परीक्षण किया। चुनिंदा बैंकों को समान प्रकार के परिदृश्य और आघात के आकार दिये गए। यह परीक्षण मार्च 2018 के आंकड़ों पर आधारित थे। प्रत्येक मामलों में बैंकों द्वारा घाटे की गणना के लिए उनकी अपनी पद्धति अपनाई गई।

### चुनिंदा बैंकों के बॉटम-अप दबाव परीक्षण : डेरीवेटिव पोर्टफोलियो

दबाव परीक्षण को शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श समूह के डेरीवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में केंद्रित किया गया और इसके लिए डेरीवेटिव पोर्टफोलियो का अनुमानित मूल्य लिया गया। प्रतिदर्श में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित डेरीवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के डेरीवेटिव पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया। डेरीवेटिव व्यापार के लिए, जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव परीक्षण से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता परीक्षणों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया दर और घरेलू ब्याज दरों को मानकों के रूप में शामिल किया गया था।

सारणी 3: संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 1	एक दिवसीय	+2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशत अंक
घरेलू ब्याज दरें		
आघात 2	एक दिवसीय	-2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशत अंक
विनिमय दरें		
आघात 3	यूएस डालर/भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत
विनिमय दरें		
आघात 4	यूएस डालर/भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

## 2.2 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

### एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव परीक्षण

#### ऋण जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण किया गया। यह परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित था। ऐतिहासिक मानक विचलनों (एसडी) का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया था :

- परिदृश्य I: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य II: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य III: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि वाले अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य IV: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि वाले अग्रिमों में वर्गीकृत).

#### चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि वाले नकदी प्रवाह पर आधारित एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें आउटफ्लो के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी आउटफ्लो की तुलना में इनफ्लो का कम होना)] की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

परिदृश्य I : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 50 प्रतिशत तक बढ़ना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)

परिदृश्य II: 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 001प्रतिशत तक बढ़ना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)

## 2.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

### एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण

#### ऋण जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली -दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर तीन विभिन्न परिस्थितियों में सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन(एसडी) की वृद्धि।
- परिदृश्य II: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन(एसडी) की वृद्धि।
- परिदृश्य III: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन(एसडी) की वृद्धि।

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानिगत श्रेणियों में उसी अनुपात में बांटा गया जिस अनुपात में वे जीएनपीए के मौजूदा स्टॉक में उपलब्ध थी। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी स्थिति से समायोजित किया गया। दबाव परीक्षण एकल एनबीएफसी स्तर के साथ ही साथ समग्र स्तर पर भी किया गया।

## 2.4 अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क विश्लेषण के केन्द्र में मूलतः मैट्रिक्स अल्जेब्रा होता है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़रों का उपयोग किया जाना। वित्तीय प्रणाली में एक संस्था की सभी अन्य संस्थाओं को दी गई उधारियों अथवा ली गई उधारियों को स्कवायर मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क ग्राफ में मैप किया जाता है। प्रणाली में अंतर-संबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :

**संबद्धता:** यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच श्रृंखलाओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में  $K = \sum_{i=1}^N k_i$  के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या दर्शाती है और  $N$  नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता  $\frac{K}{N(N-1)}$  के रूप में दी गई है।

**क्लस्टर गुणांक:** नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपस में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है।  $k_i$ , निकटवर्ती/पड़ोसियों वाले प्रत्येक बैंक हेतु उनके बीच सभी प्रकार के संभावित जुड़ावों की कुल संख्या  $k_i(k_i-1)$  द्वारा दर्शायी जाती है। मान लेते हैं कि  $E_i$  एजेंट  $i$  बैंक के  $k_i$  निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को प्रदर्शित करता है अर्थात् जो  $i$  के  $k_i$  निकटवर्ती हैं वो आपस में भी निकटवर्ती हैं।  $i$  बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक  $C_i$  को इस सूत्र द्वारा व्यक्त गया है:-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i-1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी  $C_i$  का औसत निम्नलिखित है:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i}{N}$$

**टियर नेटवर्क संरचना:** विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में टियर संरचना की प्रवृत्ति देखी जाती है। टियर संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के इन-डिग्री और आउट-डिग्री अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं वे भीतरी केंद्र का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशत के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशत वाले बैंकों की एक तीसरी परत होती है। 40 प्रतिशत से कम संबद्धता प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**नेटवर्क चार्ट में रंग संकेत:** नेटवर्क चार्ट में नीली और लाल गेंदें क्रमशः निवल उधारदाता और निवल उधारकर्ता को निरूपित करती हैं। परतदार नेटवर्क चित्र में श्रृंखलाओं के रंग संकेत नेटवर्क में मौजूद विभिन्न परतों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं (उदाहरण के लिए हरे रंग की श्रृंखलाएं मूल कोर में स्थिति बैंकों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं)।

## ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता का विश्लेषण

संक्रामकता विश्लेषण एक प्रकार का दबाव परीक्षण होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम राउंड बाई राउंड या सीक्वेंशियल अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूप संक्रामकता, जिसे अब फरफाइन (2003) के नाम से बेहतर जाना जाता है, निर्माण की जा सके। यदि ट्रिगर बैंक  $i$  से प्रारंभ करें जो समय 0 पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उन्हें  $Dq$ ,  $q = 1, 2, \dots$  के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 7 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।



### चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण


जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में वित्तीय प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में इस प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान व्यक्त करता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोजर के संबंध में किया जाता है। एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल हैं। इस विश्लेषण की मूलभूत कल्पना यह है कि किसी बड़े निवल उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए बैंक प्रारम्भ में अपनी चलनिधि भंडार या बफर का उपयोग करेंगे। चलनिधि आस्तियों के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं: (क) सीआरआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष और (ग) निवल मांग और मीयादी देयताओं का 11 प्रतिशत। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में आगे कोई और संक्रमण नहीं होगा।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामकता होगी। विश्लेषण के प्रयोजन से केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य माना गया है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बच गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामकता हो सकती है जिससे अन्य बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी कल्पना यह की गई है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (यह मानकर कि प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा)।

### संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता का विश्लेषण

औसतन किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति धनात्मक निवल ऋण प्रदान करने की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधार की स्थितियां -दोनों ही होती हैं। ऐसे किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया है:

#### किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना गया कि प्रारंभकर्ता बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात् दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। उसी समय, यह अपनी आस्तियों को भी बेचना प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन प्रक्रिया एक चलनिधि संसर्ग उत्पन्न करती है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मंगाना प्रारंभ कर देता है।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूंजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर जाते हैं और वे दूसरों को संक्रमित नहीं करते। दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार के उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त होती है वे भी आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेते हैं। परंतु कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मँगवाते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस मांगने की प्रक्रिया से वे पुनः एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देते हैं।

ऋणशोधन और चलनिधि दोनों ही ओर से संक्रामकता तभी रुक पाएगी/स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली ऐसी हानि/आघातों को भविष्य में विफलताएं न उत्पन्न करते हुए पूर्णतः अवशोषित कर सके।